खण्ड-173, अंक-2
मंगलवार, 25 वैशाख, शक संवत् 1878
(15 मई, 1956 ई0)

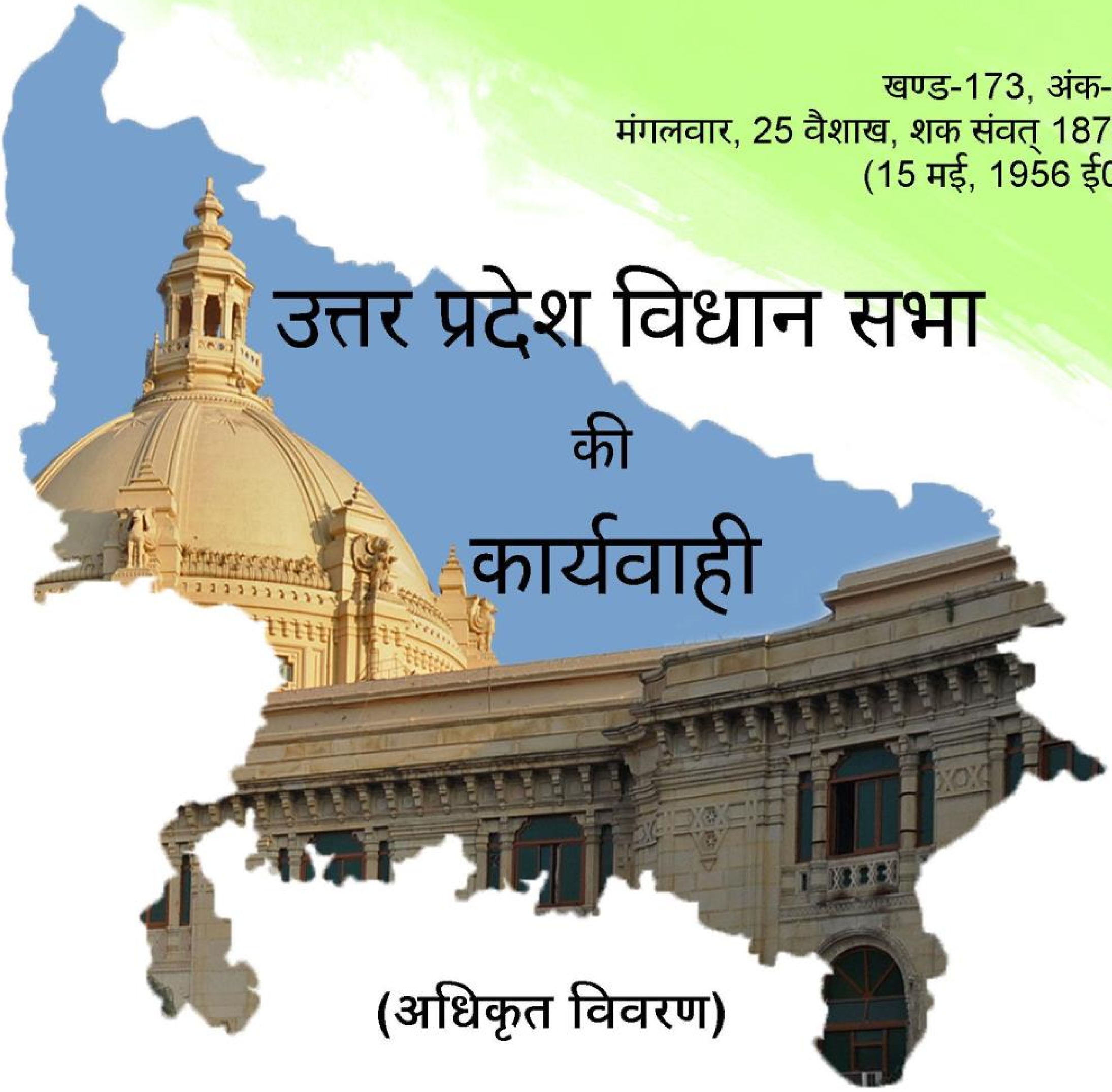

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 173 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १५ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१९६)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गज्जू राम, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास दास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री

नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुवरजी, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फारूकी, श्री
मोहनलाल, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राज बंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
राम वचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
राम सेवक यादव, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विश्वनाथराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री

ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजबासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत,
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १५ मई, १९५६

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के बाढ़-ग्रस्त गांवों को ऊंचा करने में अनुमानित व्यय

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में बाढ़ से सुरक्षा के लिये योजना के अनुसार किन-किन तहसीलों के कौन-कौन गांव ऊंचे किये जा रहे हैं?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—आजमगढ़ जिले में १९० ग्रामों को ऊंचा करने का विचार है, जिसमें १५० ग्राम टोंस नदी के किनारे और ४० ग्राम घाघरा नदी के किनारे हैं। इनकी तहसीलवार सूची मेज पर रखी हुई है।

(देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४६—१४८ पर।)

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन गांवों को ऊंचा करने में सरकार का कितना रुपया व्यय होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९० जलमग्न ग्रामों को ऊंचा करने में लगभग १९ लाख रुपया खर्च होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि घाघरा नदी के किनारे कुल ४० गांव ही ऊंचे किये जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नदी के किनारे के गांव पड़े नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा बांध बन रहा है। लिस्ट उन्हीं गांवों की बनाई गई है जहां पर बांध बन रहा है। अगर कुछ गांव और होंगे तो उनकी नामावली दे दें तो उन पर भी विचार कर लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो बांध घाघरा नदी के किनारे बनाया जा रहा है तो उत्तर की तरफ १५० गांव नदी के किनारे पड़ते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जो गांव नदी के किनारे पड़ेंगे और जिन गांवों में पानी पहुंचने का खतरा रहेगा हम उनको ऊंचा करेंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर तहसील में कितने गांव हैं जिनको ऊंचा करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

श्री अध्यक्ष---इसकी फेहरिस्त उत्तर में दे दी गयी है।

श्री व्रजविहारी मिश्र---हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप अपने मित्र से ले लें क्योंकि लिस्ट बहुत लम्बी है।

श्री व्रजविहारी मिश्र---संख्या बतला दी जाय।

श्री अध्यक्ष---(श्री कमलापति त्रिपाठी से) आप संख्या बतला दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी लिस्ट है, फूलपुर तहसील में २६ गांव दिखाई दे रहे हैं नदी टोंस के किनारे। यदि माननीय सदस्य नाम देखना चाहें तो देख लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १९० गांव ऊंचे किये जा रहे हैं वह बरसात से पहले ऊंचे किये जा सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---चेष्टा तो यही हो रही है कि बरसात से पहले ही हो जाय। मैं आजमगढ़ गया था, काम लगा हुआ है। माननीय सदस्य को भी ज्ञात होगा कि काम हो रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव ऊंचे किये जायेंगे, उनमें से कितने ऊंचे किये जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत से गांवों पर काम लगा हुआ है, निश्चित संख्या तो मालूम नहीं है लेकिन पहले फेज में हमने १९० गांव लिये हैं। इस इरादे से कि बरसात से पहले यथासंभव काम पूरा कर दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---जिन गांवों में बांध बनने के कारण पानी पहुंचने का खतरा रहेगा क्या उनको इतना ऊंचा किया जायगा जितना बांध ऊंचा होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इतना किया जायगा कि वह फ्लड लेविल के ऊपर हों।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महुला गढ़वाल की तरफ जो १५० गांव हैं उनमें से बरसात में कितने बह जाने वाले हैं, ऊंचा न करने के कारण ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं न तो ज्योतिषी ही हूं और न भविष्यवाणी ही कर सकता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव ऊंचे किये जा रहे हैं उनमें से कोई ऐसा आधार रखा है कि जो गांव नदी के किनारे हैं और पहले डूब जाते हैं थोड़ी सी बाढ़ आने पर और इसके बाद जो दूसरे डूबते हैं तो पहले किन को ऊंचा किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आधार जरूर रखा है और यह रखा है कि जो गांव नदी के पेटे में डूबते हैं जिनमें बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उनको पहले ऊंचा कर रहे हैं ; जहां तक घ.घरा के किनारे के गांवों का सवाल है वह इसलिये है कि बांध और नदी के बीच में कुछ गांव पड़ जाते हैं, उनकी तादाद कितनी है, मैं नहीं कह सकता हूं। यह बतलाया गया है कि १५० हैं मुमकिन है कम हों, उनको हम ऊंचा करेंगे जिससे वे डूबने न पायें।

*३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद में वापसी-चुंगी की आज्ञा देने में विलम्ब

*४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रांत में कौन-कौन से नगरों की चुंगी वापसी हटाई जा रही है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---सरकार के सामने अभी तक २ नगरपालिकाओं---मेरठ तथा इलाहाबाद---के बिना-वापसी-चुंगी लगाने के प्रस्ताव (Formal proposal) आये हैं। मेरठ के प्रस्ताव की तो सरकार ने स्वीकृति (sanction) दे दी है, और अब यह मेरठ म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर है कि वह उसे अपनी सुविधा को देखते हुये कब से लागू करे।

इलाहाबाद का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार बतायेगी कि एक विज्ञप्ति के अनुसार कि पहली अप्रैल से इलाहाबाद की वापसी चुंगी हटाई जायगी, जो घोषित हुआ था, वह क्यों नहीं हटाई गई ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने बताया कि वह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार ने कोई विज्ञप्ति निकाली थी कि जिसमें यह कहा गया था कि पहली अप्रैल से चुंगी हटाई जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे मालूम नहीं कि किस विज्ञप्ति का हवाला आप दे रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि हमने यह कहा हो कि हम पहली अप्रैल से हटा सकेंगे और वह बात नहीं हो सकी होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद और मेरठ, जब दोनों जगहों के प्रस्ताव सामने थे तो मेरठ को इजाजत दे दी गई और इलाहाबाद को क्यों नहीं दी गई ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि मेरठ का मामला तो पहले से जेरेगौर था और यह तय हुआ था कि पहले मेरठ में एक्सपेरीमेंट कर लिया जाय और यह देखा जाय कि वहां यह नयी स्कीम किस तरह चलती है, लेकिन जब इलाहाबाद की तरफ से इसरार हुआ तो यह कहा गया कि उसका इंतजार न किया जाय बल्कि वहां भी यह कर के देखा जाय और हो सके तो साथ ही साथ दोनों जगह हो जाय। इसलिये दोनों मामले जेरे गौर हैं। मेरठ का पहले से चल रहा था इसलिये वह काम हो गया है और इलाहाबाद का अभी काम नहीं हुआ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रयोग मेरठ में हुआ है वह क्या इतना संतोषप्रद है कि चुंगी वापसी का मामला पूरे प्रांत में लागू करने का यह सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता नहीं क्योंकि जवाब जो दिया है उसमें यह स्कीम अभी लागू ही नहीं हुई। मेरठ म्युनिसिपैलिटी जब स्कीम को चालू कर ले उस समय यह प्रश्न उठ सकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद चुंगी-वापसी का मामला कितने वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरा ख्याल है कि कोई साल, डेढ़ साल से।

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*६-८---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---[२८ मई, १९५६ के लिये प्रश्न १८-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिलों में सूचना-कार्य के लिए गाड़ियां

*९---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में सूचना वान सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और उनके लिये कितना पेट्रोल जिलेवार खर्च करने का कोटा दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---संलग्न सूची में दिये गये जिलों के अतिरिक्त जहां के लिये नई गाड़ियों की खरीद का आर्डर ट्रांसपोर्ट विभाग को भेज दिया गया है अन्य सभी जिलों में सूचना वाहन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

गत वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में संलग्न अनुसूची के (क) भाग में दिखाये गये २२ जिलों को १०० रुपये प्रतिमास तथा उसी सूची के (ख) भाग में दिखाये २९ जिलों को ८० रु० प्रतिमास पेट्रोल पर व्यय करने की स्वीकृति दी गयी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस दर को थोड़ा बढ़ा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४९---१५० पर)

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कितनी गाड़ियों की खरीद के लिये आर्डर दिये हैं और कितने जिलों में सूचना वाहन ठीक काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी जितने जिलों में गाड़ियां नहीं हैं उनके लिये आर्डर दिये हैं इस साल और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही वह आ जायेगी।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि १४ जिलों में गाड़ियां काम नहीं कर रही हैं इसका अर्थ यह है कि ३७ गाड़ियों का करीब-करीब आर्डर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कितनी गाड़ियों के लिये आर्डर दिया गया है, उनकी संख्या इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन जिन जिलों में गाड़ियां नहीं हैं और जिनके नाम इस सूची में दिये गये हैं, उनके लिये प्रबन्ध किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखा गया है कि गाड़ियां खरीद दें।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी १४ जिलों के नाम पढ़ देने की कृपा करेंगे कि जहां पर गाड़ियां काम नहीं कर रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अलीगढ़, अलमोड़ा, बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर, गाजीपुर, जालौन, मैनपुरी, मेरठ, नैनीताल, सीतापुर, इटावा, फतेहगढ़ और मुजफ्फरनगर; ये १४ जिले हैं।

जिला सूचना अधिकारियों का कार्यक्रम

*१०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले के हेडक्वार्टर पर सूचना अधिकारी एक महीने में कितने दिन रहते हैं और देहातों में दौरे के लिये कितने दिन लगाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला सूचना अधिकारियों को आदेश है कि वे प्रतिमास देहातों में कम से कम १८ दिन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और शेष दिन जिला के हेडक्वार्टर्स पर रहें।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सूचना अधिकारियों के दौरे का कार्यक्रम जिलाधीश बनाते हैं या स्वयं वह सूचना अधिकारी बनाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कलेक्टर के आदेश से सूचना अधिकारी बनाते हैं और प्लानिंग अफसर जो प्रत्येक जिले में होते हैं उनकी राय से और सलाह से वह अपना कार्यक्रम बनाते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय को कोई ऐसा सुझाव मिला है कि सूचना अधिकारी का हेडक्वार्टर हमीरपुर में होने के कारण वह देहातों का दौरा पर्याप्त रूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिये उनका हेडक्वार्टर चरखारी कर दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सुझाव तो, मान्यवर, अभी मिल रहा है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि खास कर पर्वतीय जिलों में जहां तक गाड़ी जा सकती है वहां तक सूचना अधिकारियों का दौरा केन्द्रित होता है और देहात में वह नहीं जा पाते ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे पहाड़ी जिलों में बड़ी दूर-दूर तक गांव होते हैं। यह मुमकिन है कि कहीं दूर के गांव में सूचना अधिकारी न पहुंच सके हों लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि सूचना अधिकारी ऐसी जगह भी जाते हैं जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि माह में १८ दिन जब सूचना अधिकारी जिले के देहाती क्षेत्र में रहता है तो क्या सरकार का कोई आदेश है कि क्या-क्या काम वह १८ दिन के अन्दर करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, है और यह है कि वह अपने कार्यक्रम की रिपोर्ट भी भेजा करे और क्या कार्यक्रम बनाया और क्या काम किया यह भी लिख कर भेजा करें और यह बराबर आता रहता है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि सूचना अधिकारी अपनी कार लेकर साहित्य बांटने वहां नहीं जाते हैं, जहां तक पक्की सड़क नहीं है और वह यह कहते हैं कि ऊपर से ऐसा आदेश है कि कच्ची सड़क पर मोटर नहीं जा सकती ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। प्रत्युत यह आशा की जाती है कि वह घोर देहाती क्षेत्र में जायं।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सूचना अधिकारी मुकर्रर किये जाते हैं वह कलेक्टर के अधीन रहते हैं और उन्हीं के आज्ञानुसार कार्य करते हैं ? क्या उनकी लिस्ट भी होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला कलेक्टर के अधीन तो वे होते ही हैं और उन्हीं की आज्ञा से काम करते हैं। अब लिस्ट कौन सी है जिसके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, यह समझ में नहीं आयी।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार को ज्ञात है कि अलीगढ़ में जो गाड़ी सूचना अधिकारी के पास रहती है वह २ वर्ष से खराब पड़ी है और कोई काम देहात में नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न संख्या ९ से संबंधित था।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---उत्तर में बताया गया है कि १८ दिन का दौरा करते हैं तो जब गाड़ी दो वर्ष से अधिक से खराब है तो दौरा किस प्रकार करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह बात सही है कि अलीगढ़ जिले में जो गाड़ी है वह खराब पड़ी है और इस कारण से देहाती क्षेत्र में दौरा कम हुआ है। सरकार का ध्यान अब इसकी ओर आकर्षित किया गया है, उचित कार्यवाही की जायगी।

सूचना विभाग से सम्बन्धित साहित्य का ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण

*११---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश से जो साहित्य वितरण के लिये जाता है उसकी प्रत्येक ग्राम सभा, न्याय पंचायत तथा तहसील या थाने के कितने क्षेत्र में समान रूप से नियमित बंटने की व्यवस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रदेश की ग्राम सभाओं, न्याय पंचायतों के क्षेत्र के आधार पर सूचना विभाग का प्रचार साहित्य समय-समय पर पहुंचता रहता है। परन्तु प्रकाशित सब साहित्य सब क्षेत्रों में समान रूप से नहीं भेजा जाता है क्योंकि किसी अवसर विशेष पर या किसी स्थानीय महत्व के विषय पर कोई प्रकाशन होता है तो उसका वितरण उसी आधार पर किया जाता है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या-क्या विशेष साहित्य इस वर्ष में तैयार हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---साल भर में बहुत सा साहित्य तैयार होता है इसलिए उसकी लिस्ट नहीं दी जा सकती।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग से संबंधित साहित्य ग्राम सभाओं और सूचना केन्द्रों द्वारा भी प्रचारित और वितरित किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गांवों में जहां ऐसे सूचना केन्द्र हैं वहां से भी वितरित होता है, जिले के हेड क्वार्टर पर जो सूचना केन्द्र हैं वहां से भी वितरित होता है तथा ग्राम सभाओं के हेडक्वार्टर पर भी भेजा जाता है। प्रायः सभी ग्राम सभाओं के पास हमारा साहित्य जाता रहता है।

आजमगढ़ जिले में पंचायत इन्सपेक्टरों व सेक्रेटरियों के स्थान

*१२—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत इन्स्पेक्टरों और सेक्रेटरियों के स्थान रिक्त हैं और उनकी पूर्ति कब तक की जायेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—आजमगढ़ जिले में इस समय पंचायत इंस्पेक्टर अथवा सेक्रेटरी का कोई भी स्थान रिक्त नहीं है।

*१३—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४-१५—श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—[५ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६—श्री विश्राम राय—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले के अलीसापुर ग्राम में मड़ियाहूं ब्रांच नहर की दागबेल

*१७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मड़ियाहूं ब्रांच जिला जौनपुर की ग्राम अलीसापुर में पहले जो दागबेल लगी थी और जो बदल दी गई थी वह पुनः बदल कर किसानों के खेत में लगाई गई है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मड़ियाहूं ब्रांच की दागबेल के मामले पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस विषय में माननीय सदस्य के विचार जानने का प्रयत्न किया था इसके फलस्वरूप ज्ञात हुआ है कि माननीय सदस्य को अलीसापुर ग्राम से नहीं किन्तु सरतासपुर ग्राम के निकट नहर की लाइन पर आपत्ति थी। परन्तु क्योंकि जो लाइन स्वीकृत की गई है वही सारी परिस्थितियों को देखते हुये उपयुक्त है, उन्होंने उस पर अपनी सहमति प्रकट कर दी है।

जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति

*१८—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सूचना मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि सूचना विभाग में इस वर्ष कितने जिला सूचना अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस वर्ष १६ जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। सहायक सूचना अधिकारी का कोई पद विभाग में नहीं है।

*१९—श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिले में जो सूचना अधिकारी काम कर रहे हैं उनमें कुछ को सहायक सूचना अधिकारी बनाने का सरकार ने निर्णय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*२०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद वाटर वर्क्स को बढ़ाने की आवश्यकता

*२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद में वाटर वर्क्स के फैलाव के लिये कितना धन रक्खा है और तद्विषयक क्या योजना है ?

श्री सैयद अली जहीर—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की जल-कल व नाली निर्माण योजनाओं के लिए कोई निश्चित धनराशि अभी तक निर्धारित नहीं की जा सकी है, क्योंकि यू० पी० का कोटा इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अभी निश्चित नहीं हुआ है। इलाहाबाद जल-कल विकास योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही आरम्भ हो चुकी है। इस विकास योजना का प्रथम चरण प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुका है। इस योजना का कुछ भाग द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए अभी कोई धनराशि निश्चित नहीं की गई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कितना खर्च किया और कितना उसमें से बाकी है?

श्री सैयद अली जहीर—१५ लाख पहली योजना में खर्च हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—इसमें कितना धन खर्च हुआ और कितना बाकी है?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त तो यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें से अधिकतर धन व्यय हो चुका है।

*२२-२३—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४-२६—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में पंचायत मंत्रियों का बकाया वेतन

*२७—**श्री रामेश्वर लाल**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले में पंचायत मंत्रियों में कुछ का वेतन गत १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ बजट वर्ष का भी बकाया है?

श्री सैयद अली जहीर—केवल चार मंत्रियों का वेतन शेष है।

*२८—**श्री रामेश्वर लाल**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि सन् १९५४-५५ के बजट वर्ष के पूर्व का कुल कितना धन देवरिया जिला में पंचायतराज मंत्रियों के वेतन के रूप में बकाया है?

श्री सैयद अली जहीर—५३६ रु० १३ आ०।

*२९—**श्री रामेश्वर लाल**—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मंत्रियों के वेतन बाकी हैं उनमें से कुछ अपने पद से हटा दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने और क्यों?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ४ मंत्रियों का वेतन किस कारण से अवशेष है?

श्री सैयद अली जहीर—यह १९५०-५१ और १९५१-५२ का वेतन है, उस जमाने में उनको सरकार वेतन नहीं देती थी बल्कि उनका भुगतान खुद गांव सभायें करती थीं, मालूम होता है कि या तो रुपया न था या किसी और वजह से गड़बड़ी थी जिससे वह बकाया रह गया।

श्री रामेश्वर लाल---क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिन गांव सभाओं से इन मंत्रियों का वेतन नहीं मिला है उन्होंने अपना किसी प्रकार का बजट नहीं बनाया और इसीलिए रुपया एकत्रित नहीं हुआ और उन्होंने वेतन नहीं दिया?

श्री सैयद अली जहीर---वैसे तो इस वक्त मैं सही तौर से नहीं कह सकता लेकिन मुमकिन है कि माननीय सदस्य जो कहते हैं वह सही हो।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---इस बकाया की जिम्मेदारी किस पर है?

श्री सैयद अली जहीर---अब तो वह रुपया मौजूद है; वह जिस वक्त चाहें ले सकते हैं?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतायेगी कि क्या वह वेतन उनको दिलाने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर---वह आयेंगे तो वह उनको मिल जायगा लेकिन अभी उनके रिकार्ड वगैरा पूरे नहीं हैं। उसके मुताल्लिक कुछ कागजात गड़बड़ हैं; वैसे वह आयेंगे तो रुपया मिल जायगा।

श्री बलदेव सिंह---क्या सरकार उनको सूचना देने की कृपा करेगी कि वह अपना वेतन ले जायं?

श्री अध्यक्ष---ऐसा सुझाव आप सरकार के पास भेज दें।

श्री रामेश्वरलाल---क्या यह सही नहीं है कि जिनका वेतन बकाया है उन्होंने अपने वेतन के लिए जिला अधिकारियों को कई बार लिखा है और प्रादेशिक सरकार के मंत्रियों को भी इसकी सूचना दी है?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*३०-३१---**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---[स्थगित किये गये।]

*३२-३४---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५-३६---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)---[स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में बाढ़ के समय पट्टीनाले पर पुल बनवाने तथा नाव मंगाने में व्यय

*३७---**श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़)---क्या यह सही है कि जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत तहसील हेडक्वार्टर्स पट्टी में जुलाई, १९५५ में कुमिया कंजा मकरा पूरेबोधराम पट्टी बाजार आदि की ग्रामीण जनता ने परगनाधीश पट्टी से इस बात की प्रार्थना की थी कि पट्टी नाले से उनके घर डूब रहे हैं, अतएव पट्टी प्रतापगढ़ सड़क को कटवाने का आदेश दिया जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

निर्माण उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*३८---**श्री रामकिंकर**---क्या यह सही है अधिक वृष्टि के कारण पट्टी के नाले से तथा सड़क के कटवाने के कारण पट्टी का पुल टूट गया? यदि हां, तो उस पुल के टूटने तथा अस्थायी नवीन पुलों के बनवाने में अब तक कितना धन खर्च हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---भयानक वर्षा के कारण पट्टी का पुल टूट गया। अस्थायी पुल तथा उसके लिये एक फर्लांग लम्बी सड़क के निर्माण में लगभग ३,००० रुपये व्यय हुआ।

*३९---**श्री रामकिंकर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद से जो नाव मंगाई गई थी उस पर अब तक कितना किराया देना पड़ा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इलाहाबाद से दो नावें मंगाने पर कुल किराया ४३७ रुपये दिया गया जिनमें उनके परिवहन व्यय भी सम्मिलित हैं।

श्री रामकिंकर---क्या यह सही है कि परगनाधीश १८ जुलाई से २३ जुलाई, १९५५ तक हेडक्वार्टर पट्टी में थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---परगनाधीश वहां थे। निश्चित तिथियां नहीं मालूम हैं लेकिन जो तिथियां माननीय सदस्य ने बताई हैं उन तिथियों में भी वे वहां मौजूद थे।

श्री रामकिंकर---क्या यह सही है कि जब कभी बाढ़ आती थी तो पट्टी के निकट दो या तीन स्थानों पर सड़कें कटवा दी जाती थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सड़क कटवाने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ। किसी घर में पानी नहीं गया। सड़क तो स्वयं अपने आप ही कट गई।

श्री रामकिंकर---क्या परगनाधीश ने जनता को यह आश्वासन देते हुए कहा था कि सड़क कटवाने से नमक, तेल की सप्लाई रुक जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसी बात तो नहीं मालूम होती। श्रीमन्, जैसा मैंने कहा सड़क तो स्वयं ही अपने से कट गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नावें इलाहाबाद से लाई गई थीं वे किस सवारी से लाई गई थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुझे इस समय तो नहीं मालूम लेकिन खयाल करता हूं कि शायद ट्रक में आई होंगी।

*४०---**श्री रामसेवक यादव** (जिला बाराबंकी)---[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१---**श्री ब्रजबिहारी मिश्र**---[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२-४३---**श्री रतनलाल जैन** (जिला बिजनौर)---[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४-४५---**श्री ब्रजभूषण मिश्र**---[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६-४७---**श्री शिवकुमार शर्मा** (जिला बिजनौर)---[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

चन्दौसी नगरपालिका को विकास कार्यों के लिए सहायता

*४८---**श्री महीलाल**---क्या स्वशासन मंत्री बतलायेंगे कि नगरपालिका चन्दौसी, जिला मुरादाबाद, को वर्ष १९५५-५६ में विकास कार्यों के लिये कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—१९५५-५६ में चन्दौसी नगरपालिका को विकास कार्यों के लिये निम्नलिखित सहायता दी गई है:—

(१) जलकल योजना के लिये ७,२५,००० रुपये का ऋण दिया गया है।

(२) सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत के लिये २९,३०० रुपये का अनुदान दिया गया है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जल-कल योजना के लिये नगरपालिका ने कोई मांग की थी या सरकार ने स्वयं धन दे दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं जहां तक समझता हूं, कायदा यह है कि पहले बोर्ड को एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि वह कर्ज ले कर अपने यहां जलकल योजना चलाना चाहता है और उसके लिये वह टैक्स लगायेगा। अगर इस तरह का रिजोल्यूशन आता है तो उसके बाद रुपया दिया जाता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां की जनता की ओर से सरकार के पास यह प्रस्ताव आया है कि हमारे यहां पानी का किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और हम अपने यहां जलकल योजना नहीं चाहते ?

श्री सैयद अली जहीर—इस किस्म की बात मुझे मालूम नहीं कि चन्दौसी में हुई या नहीं वहां बोर्ड की तरफ से रिजोल्यूशन आया है कि वे जलकल योजना चाहते हैं और टैक्स भी लगाने को तैयार हैं लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां होती हैं वे इस किस्म का पब्लिक में एजिटेशन शुरू कर देती हैं लेकिन जाहिर है कि सरकार ऐसे एजीटेशन का कोई लिहाज नहीं कर सकती।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विकास योजना के अन्तर्गत जलकल योजना और सड़कों के निर्माण में चन्दौसी नगरपालिका ने क्या प्रगति की है ?

श्री सैयद अली जहीर—जलकल योजना, श्रीमन्, एल० एस० जी० इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है और सड़कों के लिये उनको रुपया दिया गया है और सूरत यह है कि उतना ही रुपया वह अपने पास से लगायें। उसके लिये मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है। लेकिन जलकल योजना वहां बन रही है।

जिला बोर्ड के चेयरमैनों की जीपें

*४९—**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बोर्ड के चेयरमैनों के जीपों के हेतु पेट्रोल का व्यय कौन बर्दाश्त करता है—जिला बोर्ड अथवा सरकार ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा प्राप्त कार के पेट्रोल और मोबिल आइल तथा अन्य ऊपरी खर्चों के बदले में २५० रुपये की एक निश्चित धनराशि बोर्ड द्वारा नियमानुसार दी जाती है।

*५०—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के कितने जिला बोर्डों के चेयरमैनों के पास जीपें हैं और कितनों के पास नहीं हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका के रूप में रक्खी है। जिन कुछ जिलों से यह सूचना अभी प्रतीक्षित है, प्राप्त होते ही सदस्य महोदय को भेज दी जायगी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५१ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह जो २५० रुपया दिया जाता है, मासिक दिया जाता है या वार्षिक ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो माहवारी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह २५० रुपया माहवार जिला बोर्डों की जो २५० रु० तनख्वाह है इसके अलावा दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---यही २५० रु० मिलता है । इसके अलावा तो मुझे नहीं मालूम है कि २५० और कोई मिलता हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो नियम इस सम्बन्ध में बनाये गये हैं वह नियम सरकार ने बनाये हैं या जिला बोर्डों ने ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मेरा खयाल है कि सरकार के बनाये हुए नियम हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इन नियमों के अनुसार जिला बोर्ड के सदस्य भी इस जीप का प्रयोग कर सकते हैं नियमों के अनुसार ?

श्री सैयद अली जहीर---नियमों के अनुसार जीप तो खाली प्रेसीडेंट के लिये होती है। अगर उसकी इजाजत हो तो और बात है ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या यह सही नहीं है कि बोर्ड के कार्यों से सम्बन्धित यात्रा में बोर्ड के मेम्बर्स भी उसको यूज कर सकते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा कि मैंने कहा, वह होती तो चेयरमैन के लिए है लेकिन अगर चेयरमैन मेम्बरों के लिए भी इजाजत दे इस्तेमाल करने की तो उसमें कोई मुमानियत नहीं है ।

*५१---श्री नारायणदत्त तिवारी---[५ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

उन्नाव जिले में हाकिम परगना व जुडीशियल मैजिस्ट्रेट पुरवा के विचाराधीन मुकदमे

*५२---श्री देवदत्त मिश्र---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव, तहसील पुरवा, परगना डौंडिया खेरा, खाटमपुर, भगवन्तनगर और बीहार के कितने मुकदमें हाकिम परगना पुरवा और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट पुरवा के यहां धारा १०७, ११० और १४५ जाब्ता फौजदारी के अनुसार इस समय चल रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---हाकिम परगना पुरवा की अदालत में २ मई, १९५६ ई० को ऐसे ३६ मुकदमें थे । जुडीशल मैजिस्ट्रेट पुरवा की अदालत में ऐसा कोई मुकदमा नहीं चल रहा था ।

*५३---श्री देवदत्त मिश्र---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितने छः महीने से अधिक और कितने एक साल से अधिक समय से चल रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसा कोई मुकदमा नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न ५३ का उत्तर ६ महीने की अवधि या एक वर्ष की अवधि या दोनों से संबंधित है ?

श्री अध्यक्ष---उत्तर तो स्पष्ट है । दोनों के लिये है । वह तो स्पष्ट ही है ।

श्री देवदत्त मिश्र---अगर मंत्री महोदय के सामने इसके अलावा जो साल भर से ऊपर के करीब २७ मुकदमे एक ही परगने के लाये जायं तो इस पर वह कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---यह इत्तला तो मेरे पास जिले से आयी है। अगर इसके खिलाफ कोई बात हो तो उसके ऊपर जरूर पूछूंगा कि क्यों गलत इत्तला दी गयी ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि नोटिस जाने के बाद यह सब मुकदमे फैसल किये गये ?

श्री सैयद अली जहीर---शायद माननीय सदस्य जानते हों, अपने इल्म से कह रहे हों उन्नाव के मुताल्लिक। मैं नहीं कह सकता कि गलत है। मगर मुझे मालूम नहीं है।

*५४-५६---**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)---[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत फूलपुर उत्तरी छेत्र में निर्मित नलकूपों के लिये बिजली की मांग

*५७---**श्री ब्रजबिहारी मिश्र**---क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ जिला के फूलपुर उत्तरी क्षेत्र में करीब १६ ट्यूबवेल लग चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां।

*५८---**श्री ब्रजबिहारी मिश्र**---क्या यह सही है कि अब तक वहां बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उपरोक्त सब नलकूप डीजल इंजनों से चल रहे हैं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र---क्या सरकार यह व्यवस्था करने के लिये तैयार है कि इन ट्यूबवेलों को भी बिजली सप्लाई की जावे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, जरूर करने को तैयार है। इसीलिये मऊ का बड़ा भारी पावर हाउस बन रहा है और मैं समझता हूं कि यहां लाइन भी लग रही है, खंभे भी लग रहे हैं और सन् १९५६ के अक्तूबर तक मुझे आशा है कि बिजली इन कुओं को मिल जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजली की मोटर लग जाने के बाद जो इंजिन होंगे वह बेकार होंगे, उनका क्या किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय सदस्य की कृपा से अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलती रही तो सब हमारे इंजिन काम करते रहेंगे।

*५९-६०---**श्री रामवचन यादव** (जिला आजमगढ़)---[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय वर्कशाप रुड़की

*६१---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि राजकीय वर्कशाप रुड़की में कौन-कौन सी खास मशीनों तथा उसके पुर्जों का निर्माण होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आवश्यक सूचना संलग्न अनुसूची (क) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ १५२-१५३ पर)

*६२—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार यह बतायेगी कि पिछले सन् ५० से ५५ तक सालाना उसकी क्या आमदनी तथा खर्च है और इस कारखाने में सरकार ने कितनी पूंजी लगाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी हुई सूचना संलग्न अनुसूची (ख) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५४ पर)

*६३—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त वर्कशाप में कितने स्थायी और कितने अस्थायी मजदूर क्लर्क और अधिकारी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी हुई सूचना संलग्न अनुसूची (ग) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५५ पर)

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतावेंगे कि इस कारखाने में सन १९५०-५१ के बाद पिछले साल तक बराबर घाटा किस कारण से आ रहा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—घाटे का कारण तो यह था कि यह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधीन था। तो उस वक्त काम उनको कम मिलता था और यह पुराना वर्कशाप है काम इनके पास कम था। अब काम बढ़ा है, मिलने लगा है, इसलिये घाटा भी नहीं हो रहा है।

श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि इस कारखाने में हाथ से चलने वाली कौन-कौन सी मशीनें तैयार होती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैंने कुछ प्रश्न समझा नहीं। जितना काम होता है इस कारखाने में उसकी एक लिस्ट पूरी दी हुई है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप लिस्ट में देख लें।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, लिस्ट में आठवें नम्बर पर लिखा है कि हाथ से उपयोग में आने वाली मशीनें; तो मैंने पूछा कि कौन-कौन मशीनें हाथ से उपयोग करने वाली वहां बनती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मशीनों के बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं है। अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो बता दूंगा। जितने पुरजे वगैरह बनते हैं उनकी लम्बी-चौड़ी लिस्ट दी हुई है जिसे माननीय सदस्य ने देखा होगा।

*६४—**श्री देवदत्त मिश्र**—[स्थगित किया गया।]

मुड़सान टाउन एरिया, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायत

*६५—**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास मुड़सान टाउन एरिया, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हाँ।

मुड़सान टाउन एरिया, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध दिसम्बर, १९५५, में श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ की एक शिकायत प्राप्त हुई। जिलाधीश अलीगढ़ की सिफारिश के आधार पर टाउन एरिया मुड़सान को अधिक्रांत (सुपरसीड) करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*६६—श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि टाउन एरिया मुड़सान के छः सदस्यों ने इस्तीफा जिलाधीश, अलीगढ़ के पास भेज दिये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

टाउन एरिया मुड़सान के छः सदस्यों ने अक्तूबर सन् १९५४ में प्रतिबन्ध सहित (कंडीशनल) त्यागपत्र जिलाधीश को प्रस्तुत किये।

*६७-६८—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला सूचना अधिकारियों के कर्तव्य

*६९—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो सूचना अफसर नियुक्त किये गये हैं उनके लिए अपने कार्य-क्षेत्र में करने के लिए क्या-क्या कर्तव्य नियत किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला सूचना अधिकारियों के लिए जो कर्तव्य नियत किये गये हैं उनका विस्तृत विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १५६ पर)

बरेली में प्रधान न्यायाधीश का निवास स्थान

*७०—श्री जगदीश सरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या बरेली नगर में प्रधान न्यायाधीश के लिए निवास स्थान निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और इसकी क्या स्थिति है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस समय यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*७१-७२—श्री तेज बहादुर (जिला आजमगढ़)—[१२ जून, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

माताटीला बांध पर दुर्घटना

*७३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत मास (जनवरी) में माताटीला बांध पर ठेकेदार के पत्थर ढोने वाले एक ठेले के नदी में लुढ़क जाने से कितने मजदूरों की मृत्यु हो गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१२ जनवरी, १९५६ को ठेकेदार की एक ट्रक नदी में उलट जाने के कारण एक मजदूर की मृत्यु हो गयी थी।

*७४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन मजदूरों के कुटुम्बियों को कोई मुआविजा दिया गया ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मृतक के वारिशों का पता ज्ञात नहीं है, जिसकी छान-बीन की जा रही है। वारिशों का पता लगते ही ठेकेदार से मुआविजा दिलवाने का बन्दोबस्त किया जायगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि दुर्घटना के वक्त उस ट्रक में कितने मजदूर मौजूद थे और उनमें से कितनों को चोटें आयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह ट्रक तो ठेकेदार की थी, इसकी संख्या कि कितने उसमें थे मेरे पास नहीं है, लेकिन एक आदमी को और हल्की सी चोट आयी है उस आदमी के अलावा जिसकी मृत्यु हुई है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस मजदूर को चोट आयी उसको कुछ सहायता दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो मजदूर मारा गया उसकी रिपोर्ट पुलिस में करायी गयी थी ?

श्री अध्यक्ष---यह जब जवाब दे दिया गया कि मर गया, इसको उन्होंने मंजूर कर लिया, तो इसके बारे में यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मारा कोई नहीं गया, वह ट्रक उलट जाने की वजह से मरा।

श्री अध्यक्ष---वह बुन्देलखंड की भाषा है। हर एक आदमी जो बीमार होकर भी मरता है, वह उस भाषा में मारा जाता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---बड़ा दोषपूर्ण है यह अगर इस तरह हो।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि ठेकेदार के ट्रक से मजदूर मारा गया उसका पोस्ट मार्टम भी हुआ था ?

श्री अध्यक्ष---(सूचना मन्त्री से) मारा गया का अर्थ मर गया, ऐसा आप समझें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--- यह तो सब जितना कानूनी काम होता होगा वह हुआ होगा। पोस्ट मार्टम हुआ या नहीं, इसकी सूचना नहीं है। ट्रक उलट गयी यह सही है, मजदूर मरा एक, यह सही है, एक मजदूर को चोट आयी यह बात भी सही है ; उसके वारिशों का पता लगाने के लिए कलेक्टर से कहा गया है और एक्जीक्युटिव इन्जीनियर से भी कहा गया है, यह सही है, और इसके लिए उस ठेकेदार के दो हजार रुपये रोक रखे हैं ताकि उसके वारिशों का पता लगे, तो उनको दे दिया जाय, यह बात भी सही है।

कुमायूं सर्वे डिवीजन द्वारा निर्मित नहरों की मरम्मत के लिए योजना

*७५---**श्री नारायण दत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमाऊं सर्वे डिवीजन द्वारा बनायी गयी घोड़ियां, हल्सों, लोहाली तथा अमेल नहरें क्षत विक्षत-अवस्था में हैं ? अगर हां, तो सरकार इनके पुनः निर्माण-हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---घोड़ियां, हल्सों तथा अमेल नहरें, बरसात में चट्टान के फिसलने के कारण, विक्षत हो गयी थीं। लोहाली नहर विक्षत नहीं हुई है और सुचारु रूप से चल रही है। घोड़ियां हल्सों नहर के हेड के समीप जहां यह सन् १९५५ में चट्टानों के फिसलने के कारण अत्यन्त विक्षत हो गयी थी, वहां एक पाइप साइफून बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अमेल माइनर की खास मरम्मत एवं इस को पम्प नहर में बदलने के लिए दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अन्तिम निर्णय होने पर इस योजना पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि अमील नहर के पम्प नहर की शक्ल देने के लिए बिजली की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब बिजली वैसे अगर न प्राप्त होगी तो डीजल से चलावेंगे, नहीं तो चेष्टा तो की ही जा रही है।

नैनीताल जिले के कुछ ग्रामों से सिंचाई गूलों के लिए मांग

*७६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास नैनीताल जिले के तल्ली सेटी, बुढ़लाकोट तथा हरौली ग्रामों के काश्तकारों द्वारा उनके ग्रामों में सिंचाई गूल अथवा नहर निर्माण के सम्बन्ध में कोई मांगें आयी हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । इन मांगों के प्राप्त होने पर इनकी जांच की गयी । तल्ली सेटी, बुढ़लाकोट, सिंचाई योजनाओं पर कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि इनकी लागत प्रति एकड़ बहुत अधिक होती थी । हरौली योजना का एस्टीमेट स्वीकृत कर लिया गया है परन्तु निकटस्थ ग्राम बजेरी के निवासियों द्वारा विरोध किये जाने के कारण अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया जा सका ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि तल्ली सेटी और बुढ़लाकोट में प्रति एकड़ कितना खर्चा बैठने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बुढ़लाकोट योजना के निर्माण में तो ९३ हजार रुपये खर्च होंगे और ८० एकड़ की सिंचाई होगी । इस हिसाब से प्रति एकड़ मूल्य ११६८ रुपया होता है और तल्ली सेटी योजना की लागत ७४८ रुपये प्रति एकड़ होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रति एकड़ का कोई औसत निर्धारित किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब और मैदानी इलाकों में तो सौ डेढ़ सौ रुपये की सीमा बांधी गई है और पर्वतीय इलाकों में हमने ५ सौ या ७ सौ रुपये तक भी कहीं-कहीं अगर आ गया है, तो उसे भी स्वीकार किया है । इन योजनाओं में एक दोष और भी है और वह यह है कि इसमें पानी कोसी से लिया जायगा और कोसी से पानी लेने के कारण कोसी में पानी की कमी हो जायगी और कोसी की कैनाल्स निकलती हैं, उनमें पानी की कमी हो जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि अबतक जितनी वहां पर नहरें सरकार की ओर से उठायी गयी हैं वह सब कोसी और बोंली का पानी ले रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी पानी उनका ले लिया जाय या नहीं, इस पर विचार करना है । कुछ कोसी की कैनाल्स हैं जिनसे नीचे सिंचाई होती है । अगर कोसी से पानी ले लिया जाता है, तो नीचे के हिस्से में पानी की कमी हो जायगी ।

आजमगढ़ जिले में टांडा नहर की रसूलपुर शाखा निकालने पर फसल को क्षति

*७७—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के लहरवार ग्राम, परगना कोड़िया के कितने काश्तकारों की खड़ी फसल उखाड़ कर नहर (टांडा कैनाल) का निर्माण किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टांडा नहर की रसूलपुर शाखा आजमगढ़ जिले के लहर पार ग्राम से होकर निकलती है । इस शाखा के निर्माण में ५१ काश्तकारों के खेत काटकर कार्य करना पड़ा ।

*७८—श्री उमाशंकर—क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के किसानों को खड़ी फसल उखाड़ने का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। ५१ काश्तकारों में से ५० को मुआविजा दिया जा चुका है। १ काश्तकार मुआवजा बटने की तिथियों पर अनुपस्थित था। अतः उसे मुआवजा नहीं मिल सका।

*७९---श्री उमाशंकर---क्या सरकार जिनकी फसल उखाड़ी गई है उनके नामों की एक सूची इस सूचना सहित कि कितनी फसल उखाड़ी गई, मेज पर रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १५७-१५८ पर)

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जायदाद उखाड़ने के बाद मुआविजा दिया जाता है या मुआविजा देकर जायदाद उखाड़ी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दोनों ही तरह से किया जाता है। जैसे एक जायदाद उखाड़ने के पहले भी मुआविजा दे दिया जाय और दूसरे एक ओर जायदाद उखाड़ी जा रही हो और मुआविजा दे दिया जाय और कभी उखाड़ने के बाद भी दिया जाता है। यह वही चीज है जैसे अंडे से मुर्गी होती है और मुर्गी से अंडा।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से यह आदेश दिया जा चुका है कि खड़ी फस्ल का मुआविजा तुरन्त दे दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, आदेश यह दिया गया है कि खड़ी फस्ल यथा-संभव जब तक कि काश्तकार राजी न हो तब तक उखाड़ी न जाय और दूसरे यह भी दिया गया है कि मुआविजा उसको तुरन्त दिया जाय। अगर पहले नहीं दे सकते तो कम से कम फस्ल उखाड़ते-उखाड़ते तो उसको मुआविजा दे ही दिया जाय। यही आदेश दिये गये हैं। अगर इसके विरुद्ध कहीं कार्यवाही हुई हो तो माननीय सदस्य उसकी ओर ध्यान आकर्षित करें तो हम उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि इस गांव में मुआविजा देकर फस्ल उखाड़ी गयी है या फस्ल उखाड़ने के बहुत दिन के बाद मुआविजा दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह सूचना अगर आप दें तो इसकी जांच करके बता दूंगा कि पहले मुआविजा दिया गया या बाद में।

फतेहपुर जिले की खजुहा तहसील में नलकूप लगाने में असफलता

*८०---श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर को जो नलकूप दिये गये थे वह खजुहा तहसील में नाकामयाब होने के कारण फतेहपुर एवं खागा तहसील को दे दिये जावेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

मिर्जापुर जिले के अगौरी परगने में असींच क्षेत्र की सिंचाई के लिए योजनाएं

*८१---श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के परगना अगौरी के कौन क्षेत्र में तथा चनरवार, जोंग इल, परसोई, कनहरा के क्षेत्र में सिंचाई के क्या साधन सन् १९५० के पहले तक थे और १९५० के बाद सरकार द्वारा क्या-क्या साधन प्रस्तुत किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---परगना अगौरी, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर, के क्षेत्र में सन् १९५० के पूर्व नहर विभाग के कोई सिंचाई के साधन नहीं थे, अब बलुई तालाब का निर्माण हो रहा है, यह १३०० एकड़ भूमि को जो कि सोन नदी के उत्तर में परगना अगौरी में है, जिसे अधिकतर मारकंडे क्षेत्र कहते हैं, सिंचित करेगा ।

*८२---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त क्षेत्र में हल के नीचे कितनी भूमि है और उसमें कितना क्षेत्र सींच और कितना असींच है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अगौरी क्षेत्र के आंकड़े इस प्रकार हैं:---

			एकड़
पूर्ण क्षेत्र	..	..	१,०७,६८३
कृषि योग्य क्षेत्र	..	..	१,०२,१६९
कृषित भूमि	..	..	६२,२०७
निजी साधनों से तथा कुएं द्वारा पूर्ण सिंचित क्षेत्र		..	६२

*८३---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या असींच क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था के लिये व्यापक सर्वे करा कर उसकी सिंचाई की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कौन सी और सिंचाई साधन प्रदान करने के हेतु योजनाएं खोजी जा रही हैं ? तीन योजनायें जो अब तक जांची जा चुकी हैं वह कोटा बांध, निगई बांध और बरवाडीह बांध हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर जायगा कि जो उत्तर ८१ प्रश्न के उत्तर में दूसरा हिस्सा है वह उस हिस्से का उत्तर नहीं है जिसके सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है ? यह सोन के उत्तर में बजरी बांध दिया गया है, लेकिन सोन के दक्षिण में जो पूछा गया है उसका कोई उत्तर नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि सोन के उत्तर में परगना अगौरी हिस्सा है जिसको मारकंडे क्षेत्र कहते हैं और जहां तक दक्षिणी हिस्से का सम्बन्ध है उसमें कोटा बांध, निगई बांध और बरवाडीह बांध है । अगौरी का क्षेत्र तो इतना ही मुझे मालूम है अब उसमें ज्यादा दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी में नहीं कह सकता कि क्या हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ६२ हजार एकड़ जो कृषि भूमि है उसमें केवल ६२ एकड़ भूमि ऐसी है जहां सिंचाई की योजना है ? कुल भूमि पर सिंचाई की योजना मंत्री जी कब तक बनवा देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया जा रहा है और यहां सिंचाई का साधन प्रस्तुत करना बहुत कठिन काम है इस कारण कि यह बहुत कुछ पहाड़ी इलाका है जहां पानी पीने के लिये नहीं मिलता । सिंचाई के साधन बहुत ज्यादा छोटी-छोटी बंधियों से चलता है जिनमें रुपया खर्च होता है और सिंचाई भी उनसे कम होती है फिर भी हम उपाय कर रहे हैं कि कोई साधन ऐसा निकल सके जिससे वहां के खेत के लिये भी पानी मिल सके और लोगों को पीने के लिये भी पानी मिल सके तो उसका प्रबन्ध सरकार की ओर से किया जाय ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोटा, निगई और बरवाडीह बांधों से कितने क्षेत्र की आबपाशी हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोटा से २२० एकड़, निगई से २७५ एकड़ और बरवाडीह से १५४ एकड़ और यदि आपकी आज्ञा हो तो यह भी बता दूं कि कोटा पर २ लाख २ हजार रुपया खर्च होगा, निगई पर ३ लाख ७४ हजार रुपया खर्च होगा और बरवाडीह पर १ लाख ४५ हजार रुपये खर्च होंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि वहां छोटे-छोटे नाले ऐसे बहते हैं जिनको बांध करके वहां की सिंचाई की समस्या हल की जा सकती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, मंत्री जी को ज्ञात सब है ; उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

बस्ती जिले के उत्तर राप्ती क्षेत्र में गांव ऊंचा करने की योजना

*८४—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के ग्राम ऊंचा करने की योजना में कितने ग्राम लिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ग्राम ऊंचा करने की योजना के अन्तर्गत डुमरियागंज तहसील में उत्तर राप्ती क्षेत्र के ६९ ग्राम लिये गये हैं।

इटावा जिले की विधूना तहसील में सिंचाई के अपर्याप्त साधन

*८५—श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या विधूना तहसील (इटावा) में सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है या नहीं ? यदि है, तो कौन सी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रामगंगा बांध, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है, के बन जाने पर तहसील विधूना में सिंचाई साधन प्राप्त हो सकेंगे।

*८६—श्री रामेश्वर लाल—[२३ मई, १९५६ के लिये प्रश्न २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित नलकूपों को शासकीय नियंत्रण में लेने का विचार

*८७—श्री गजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री इटावा कोआपरेटिव ट्यूबवेल सोसाइटियों के ट्यूबवेलों को सरकारी नियन्त्रण में लेने को सोच रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार उन सभी सहकारी नलकूपों को शासकीय नियंत्रण में लेने का विचार कर रही है जिन्हें सहकारी संस्थायें शासन को हस्तान्तरित करना चाहती हैं।

महुला गढ़वाल तथा हाहा नाला बांध पर काम की मजदूरी

*८८—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महुला गढ़वाल तथा हाहा नाला बांध पर कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं और प्रति घनफुट मिट्टी उठाने की कीमत सरकार से कितनी मिलती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—महुला गढ़वाल तथा हाहा नाला बांध पर क्रमशः करीब २५ और ५५ ठेकेदार काम कर रहे हैं। मिट्टी के काम की दर १३ रुपया से १४ रुपया चार आना प्रति हजार घन फुट मिट्टी को १०० फीट तक की दूरी से लाने का है। १०० फीट के बाद प्रति ५० फुट तक एक रुपया बारह आना प्रति हजार घन फुट मिट्टी का अतिरिक्त रेट है। आठ आना प्रति हजार घन फुट मिट्टी का ५ फुट के ऊपर प्रति फुट ऊपर उठाने की दर है।

श्री विश्राम राय—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि मजदूरों को कितनी मजदूरी प्रति घंटे मिलती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो उत्तर में है कि ठेकेदार काम कर रहे हैं और अब मजदूरी कितनी प्राप्त करते हैं यह मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, अच्छी खासी मजदूरी हमारे वहां मजदूरों को मिल रही है ।

श्री उमाशंकर—क्या ठेकेदार मजदूरों को मजदूरी कम देते हैं इस बात पर भी सरकार कुछ नियंत्रण रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, हां । इसीलिये तो इस बात की चेष्टा की जाती है कि उनकी मजदूरी उनको मिल जाय और ऐसी शिकायत न आने पाये कि ठेकेदार काम कराकर चलता बना और मजदूरों की मजदूरी मार ली । यदि इस प्रकार की शिकायत आ जाती है तो उस पर विशेष कार्यवाही की जाती है । यदि कोई ऐसी शिकायत हो तो माननीय सदस्य कृपा करके मेरे सामने उसे भेजें तो मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा ।

इलाहाबाद के स्थानीय निकायों को सहायता

*८९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार ने इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ४ वर्षों में कितना-कितना रुपया किस-किस मद में कर्ज के रूप में दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—वांछित सूचना एक तालिका के रूप में सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १५९ पर)

*९०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो रुपया ४ वर्षों में नगरपालिका, जिला बोर्ड तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जिस मद में कर्ज के रूप में दिया था उसमें से कितना काम हुआ और कितने का काम बाकी है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को भेज दी जायगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो धन जल और कल योजना के लिये दिया गया है वह पुरानी मशीन ठीक करने के लिये दिया गया है या शहर में जल-कल बढ़ाने के लिये दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—सवाल नम्बर ९० का तो जवाब मैंने यह दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर भेजी जायगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो धन जल-कल योजना के लिये दिया गया है वह पुरानी मशीन ठीक करने के लिये दिया गया है या शहर में जल बढ़ाने के लिये दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में दोनों ही बातें उसमें होंगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो धन मेहतरों के मकान बनाने के लिये दिया गया है वह कितने मकान बनाने के लिये मांगा गया था और कितनों के लिये दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना कि इसमें कितने मकान बने, इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

गाजीपुर जिला बोर्ड को सहायता

*९१—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिला बोर्ड को सन् १९५३-५४ व १९५४-५५ के साल में स्कूली इमारतों और सड़कों तथा पुलों की मरम्मत के लिये कितनी सरकारी सहायता दी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—गाजीपुर जिला बोर्ड को सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में नीचे लिखी सरकारी सहायता दी गई:—

१९५३-५४

रुपया	प्रयोजन
१४,६००	गांव की कच्ची सड़कों तथा जिले की अन्य सड़कों की मरम्मत के लिये ।

१९५४-५५

रुपया	
२०,०००	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा भवनों की मरम्मत के लिये ।
२०,०००	सड़कों तथा भवनों की मरम्मत के लिये विशेष आर्थिक सहायता ।
१४,६००	कच्ची सड़कों के लिये ।
१४,०००	सामान्य प्रयोजनों के हेतु जिसमें सड़क की मरम्मत भी सम्मिलित है ।
३,०००	प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण के लिये ।

आजमगढ़ जिला बोर्ड तथा म्यूनिसिपल बोर्ड मऊनाथ भंजन को सहायता

*९२—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड मऊनाथ भंजन एवं आजमगढ़ शहर ने बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की सड़कों, पुलों एवं भवनों के पुनर्निर्माण के लिये सहायता की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार कितनी सहायता कब करने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में निम्नांकित सहायता आजमगढ़ जिला बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड मऊनाथ भंजन एवं आजमगढ़ को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की सड़कों और भवनों तथा अन्य अचल सम्पत्ति की मरम्मत के लिये दी गई ।

	रुपया
जिला बोर्ड आजमगढ़	३,००,०००
म्युनिसिपल बोर्ड आजमगढ़	२२,०००
,, ,, मऊनाथ भंजन	१०,०००

शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत के हेतु दिये गये अनुदान के संबंध में पूछताछ की जा रही है और माननीय सदस्य को स्थिति से यथाशीघ्र अवगत किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड को जो ३ लाख की रकम दी गयी है तो जिला बोर्ड की तरफ से सरकार के पास कितने रुपये की मांग आयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मुझे खयाल है, कोई १३ लाख रुपये की मांग थी ।

नोट—तारांकित प्रश्न ९२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या सरकार इस छोटी सी रकम को देखते हुये फिर ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि ३ लाख रुपये की रकम से जिला बोर्ड की जो सड़कें और भवन हैं उनकी पूरी मरम्मत भी नहीं हो सकेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, यह तो मालूम है। लेकिन सूबे से जितनी मांगें आयीं थीं कहीं की सारी मांग नहीं पूरी की जा सकी है और जिन जिनको रुपया दिया गया उनमें सबसे ज्यादा रकम आजमगढ़ के जिला बोर्ड को दी गयी है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी जिला बोर्ड के अनियंत्रित खर्च को देखते हुये इस रुपये को अपनी देखरेख में खर्च करायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—रुपये के खर्च करने के तो नियम बने हुये हैं और जिलाधीश की निगरानी में वह खर्च होता है और उन्हीं की मंजूरी लेनी पड़ती है। उसी तरह से यह भी खर्च होगा।

१९५२–५४ में निर्मित मार्गों पर व्यय

*९३—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार विधान सभा की बैठक के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३५–३६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि वांछित सूचना अभी तक प्राप्त हुई या नहीं? यदि नहीं, तो वह कब तक प्राप्त हो जायगी?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)*—आवश्यक सूचना लगभग प्राप्त हो चुकी है और सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिकाओं में दी हुई है। प्रदेश में जिला बोर्डों की सड़कों के बारे में आवश्यक सूचना अभी एकत्रित की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को उपलब्ध कर दी जायगी।

नगरपालिका अलीगढ़ में मार्गों का आधुनीकरण

*९४—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में १९५५–५६ में asphalt की कोई नयी सड़क बनी है ? यदि हां, तो कहां से कहां तक, कितनी लम्बाई में ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सन् १९५५–५६ में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा नगरपालिका अलीगढ़ के निम्नलिखित मार्गों का आधुनीकरण डामर छोड़कर किया गया है :—

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें

१—अलीगढ़-टप्पल सड़क	३ मील	सड़क के पहले ३ मील
२—बरेली-मथुरा सड़क	३ मील	मील संख्या ८८, ८९ तथा ९०

नगरपालिका अलीगढ़ की सड़कें

१—समद रोड	४ फर्लांग १६० फिट
२—मसूदाबाद रोड	१ फर्लांग ४४० फिट।
३—दोधपुर रोड	४ फर्लांग।

कानपुर में जरीब की चौकी से कालपी रोड पर पत्थर की गिट्टी की बरबादी

*९५—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**—क्या निर्माण मन्त्री को यह मालूम है कि कानपुर शहर में जरीब की चौकी से लेकर कालपी रोड के दोनों तरफ काफी दूर तक पत्थर की गिट्टी बरबाद हो रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

*तालिकायें छापी नहीं गयी हैं।

*९६—यह कुल गिट्टी कितनी थी और उसकी कुल क्या कीमत हुई, इस बरबादी का कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—आवश्यक सूचना स्थानीय अधिकारियों से मांगी गयी है, तथा प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को उपलब्ध की जायेगी ।

नैनीताल जिले में ग्राम सभाओं का चुनाव

*९७—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में ग्राम सभाओं के चुनाव में कहां कहां आर्म्ड पुलिस भेजी गयी तथा जिले के पंचायत-अधिकारियों के विरुद्ध किन किन ग्राम सभाओं द्वारा सरकार को शिकायतें प्राप्त हुईं ?

श्री सैयद अली जहीर—(क) पंचायत चुनाव के सिलसिले में जिन जिन स्थानों पर सशस्त्र पुलिस भेजी गयी थी उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(ख) राता, बनबसा, रामनगर और लोडरिया साल मल्ला गांव सभाओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इन शिकायतों को मौलिक रूप में जिलाधीशों के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १६० पर)

अतारांकित प्रश्न

१-२—**श्री मुश्ताक अली खां** (जिला बदायूं)—[१२ जून, १९५६ के लिए स्थगित किये गये ।]

३-४—**श्री कमलासिंह** (अनुपस्थित)—[५ जून, १९५६ के लिए स्थगित किये गये ।]

५—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—[स्थगित किये गये ।]

हमीरपुर जिले में वितरित रेडियो सेट

६—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि जिला हमीरपुर में कितने रेडियो सेट सरकार द्वारा दिये गये हैं और उनमें कितने चालू हैं ? क्या सरकार तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला हमीरपुर को कुल ३२ रेडियो सेट दिये गये हैं । इन ३२ रेडियो सेटों में से ८ वेट बैट्री सेट वापस आ गये हैं जिनके स्थान पर ड्राई बैट्री सेट दिये जा रहे हैं । शेष २४ सेटों में २१ सेट चालू हैं । जो तीन सेट चालू नहीं हैं, उनमें से दो वेट बैट्री सेट हैं, जिन्हें विभाग को वापस होना है । तीसरा सेट सूचना केन्द्र का है जिसकी बैट्री समाप्त हो गयी है । सूचना केन्द्र के सेट के लिए नयी बैट्री भेजी जा रही है । वितरित रेडियो सेटों की तहसीलवार सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १६१-१६३ पर)

७—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि वे रेडियो सेट कितने गांवसभाओं को और कितने अन्य संस्थाओं को प्रदान किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन रेडियो सेटों में से ६ रेडियो सेट ग्राम सभाओं को २६ रेडियो सेट अन्य संस्थाओं को दिये गये हैं ।

८—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने रेडियो सेट सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रदान किये गये हैं और कितने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये जाने की योजना है ? क्या सरकार जिलेवार सूची सदस्य की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेडियो सेट लगाने की कोई योजना नहीं थी किन्तु सूचना विभाग के सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत इस समय तक प्रदेश में ३,५२१ रेडियो सेट लगाये जा चुके हैं जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १,००० से १०,००० की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक एक रेडियो सेट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस अवधि में १० हजार रेडियो सेट लगाये जाने की योजना है । प्रत्येक जिले के जिन-जिन ग्रामों को सेट दिये जाने की योजना है, उनकी सूची तैयार की जा रही है

सदन के आगामी कार्यक्रम के विषय में पूछताछ

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक इन्फार्मेशन चाहता हूं कि गवर्नमेंट यह बता दे कि हाउस कब तक बैठेगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं एक कामरोको प्रस्ताव का जिक्र कर रहा हूं । उसके बाद आप कहियेगा ।

तराई भावर तथा रुहेलखंड डिवीजन में सरकार द्वारा गन्ना पेरने की उचित व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने एक काम रोको प्रस्ताव तराई भावर और रुहेलखंड डिवीजन में जो गन्ना खड़ा हुआ है, उसकी परिस्थिति पर जांच करने के बाद, मेरे पास भेजा है और उन्होंने कल यह कहा था मुझसे कि वह जांच की रिपोर्ट मेरे पास भेज देंगे । वह आज करीब पौने ग्यारह बजे मेरे पास पहुंच गयी और मैंने मन्त्री जी को भी दे दी । मैं उन से यह जानना चाहूंगा कि जहां तक विषय के महत्व का प्रश्न है, महत्व का है और एक दृष्टि से निश्चित भी है, कि यह किसी खास स्थान के गन्ना खड़े रहने पर विचार करने के बारे में है । लेकिन इसके विषय में एक दफा सदन में चर्चा हो चुकी थी इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि कामरोको प्रस्ताव द्वारा फिर से इस पर विचार किया जाय इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ी । इसका लिहाज करके आप कृपा करके मुझे इस विषय की अर्जेन्सी बतलायें ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरे विचार से जितने विषय आज महत्व के और अर्जेन्ट माने जा सकते हैं वे आज ये हैं । एक तरफ तो आठ मई से मन्त्री जी ने बतलाया था कि भारत सरकार ने गन्ने का दाम रिकवरी के हिसाब से कर दिया है, तो जो पहले उनको गन्ने का दाम एक रुपया सात आने के हिसाब से मिलता था वह रिकवरी से मिलने लगेगा, तो जितने भी काश्तकारों का गन्ना आज तक नहीं जा सका या सरकार की किसी गलती के कारण या ज्वाइनिंग ठीक न होने के कारण जिन काश्तकारों का गन्ना नहीं जा सका उनको नुकसान बरदाश्त करना पड़ा । वे बेचारे बेचैन हैं और जगह जगह पर इस सम्बन्ध में वे अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं । यहां पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि जब यू० पी० के लिए रिकवरी के हिसाब से किया है, तो बिहार में एक रुपये चार आने के हिसाब से क्यों किया.....

श्री अध्यक्ष—खैर, यह तो आप फिर बाद में कह सकते हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं यह बतला रहा हूं कि क्षोभ का क्या कारण है। जब कि गर्मी बढ़ रही है और किसानों को आशा नहीं है कि हमारा गन्ना जून तक पेरा जा सकता है, तो बेचैनी बढ़ना नितांत अनिवार्य है। फिर कोई मौका नहीं मिल सकता था कि काम रोको प्रस्ताव के अलावा और किसी समय इस पर विवाद हो सके, क्योंकि सेल्स टैक्स चल रहा है, फिर गोरखपुर युनिवर्सिटी वगैरह अन्य बिल चलेंगे। इसलिए कोई मौका नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या पर विचार हो सके, जहां एक करोड़ मन गन्ने का सवाल है। मैंने अपना प्रस्ताव केवल तराई, भाबर और रुहेलखंड के लिए इसलिए रखा क्योंकि मुझे यहां की जानकारी है और लोगों ने बतलाया कि सभी जगह ऐसा हाल है। इसलिए मैंने ऐडजर्नमेंट मोशन यहीं के लिए रखा है। मैं आवश्यक समझता हूं कि बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए और आग लगने के डर को ध्यान में रखते हुए क्योंकि पिछले साल के बारे में हमें मालूम है कि कितना नुकसान हुआ था, तो मैं यह समझता हूं कि यह मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और अर्जेन्ट है और आज ही इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि इस पर विवाद हो सके।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्री नारायणदत्त जी तिवारी का यह कथन है कि यह मसला बहुत अर्जेन्ट है, इसके विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई नयी परिस्थिति जहां तक गन्ने के पेरने का विषय है, अभी उठती नहीं है। प्रान्तीय सरकार गन्ने के पेरने के विषय में बार-बार इस सदन में अपनी नीति घोषित कर चुकी है और गन्ना उत्पादकों को प्रान्तीय सरकार की नीति भली-भांति विदित है और वह यह है कि प्रान्तीय सरकार . . .

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पास यह जो नारायणदत्त जी की जांच की रिपोर्ट है वह क्या पहुंच गयी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो अभी मुझे मिली, लेकिन यह जो कल ऐडजर्नमेंट मोशन आया था उसकी इत्तला जब आज मैं वापस आया तब मुझे प्राप्त हुई। उस समय मैंने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और उस सम्बन्ध में मैंने एक वक्तव्य भी लिख लिया। यदि आप मुझे उसकी इजाजत दें, तो उससे स्थिति भी साफ हो जायगी और सरकार की नीति का भी पता चल जायगा और सरकार ने क्या क्या इन गन्ना उत्पादकों के सिलसिले में कार्यवाही की है उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान इस सदन को और माननीय नारायणदत्त जी को हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---जो जांच उन्होंने की है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप वक्तव्य दे रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जांच की है उसके आंकड़ों को सामने न रखते हुए जो सिद्धांत की बात है, जो नीति की बात है, और जो कार्यवाही इन क्षेत्रों में गन्ने के विषय में और उस सिलसिले में जिसकी चर्चा उन्होंने इस जांच के सिलसिले में की है उस सब का विवरण इस वक्तव्य में होगा, जिसके पढ़ने की यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

श्री अध्यक्ष---आपका वक्तव्य तैयार है तो आप उपस्थित कर दें। उसके बाद मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सही है कि चालू पिराई सीजन में केवल तराई और रुहेलखंड क्षेत्र की चीनी मिलों को ही नहीं बल्कि प्रदेश की समस्त पश्चिमी और मध्य प्रदेश क्षेत्र की मिलों को भी, गन्ना उत्पादकों के हित में अतिरिक्त (surplus) गन्ना पेरना है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने अतिरिक्त गन्ने की पिराई के लिए समुचित कार्यवाही नहीं की है।

प्रत्येक मिल के गन्ने की स्थिति का समय-समय पर अध्ययन किया जाता रहा है और आवश्यकतानुसार इस प्रकार के आदेश जारी किये गये हैं कि जिससे पूरे तौर से हर प्राप्य कैपेसिटी (available capacity) का समुचित लाभ

उठाया जा सके। उदाहरणार्थ जब सीजन के बीच में यह पता चला कि पीलीभीत फैक्टरी अपने क्षेत्र के गन्ने को न पेर सकेगी तो उस क्षेत्र के चार स्टेशन (पूरनपुर, दुधिया-खुर्द, कुरम्भा तथा माला) का गन्ना एक फासले वाली फैक्टरी हरगांव को दे दिया गया, जिसके फलस्वरूप हरगांव फैक्टरी जो पिछले सीजन में २६ अप्रैल को बन्द हो गयी थी, अब तक चालू है और आशा की जाती है कि जून के अन्तिम भाग तक पिराई कराती रहेगी। इसी प्रकार धामपुर का भी ७ लाख मन गन्ना स्योहारा मिल को दिया गया और यह भी जून के अन्त तक चलती रहेगी। सीजन के मध्य में ऐसा प्रतीत हुआ कि अमरोहा मिल में अपने क्षेत्र का गन्ना जल्दी समाप्त हो जावेगा और इस लिए इस मिल की पिराई शक्ति को पूरे तौर से इस्तेमाल करने के लिए बिजनौर तथा स्योहारा मिलों के क्षेत्र का गन्ना इस फैक्टरी को और दे दिया गया। तराई के गन्ने के लिए भी अत्यधिक प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ प्राग फार्म का २ लाख मन गन्ना पीलीभीत फैक्टरी को दिया गया है। अभी हाल में ही कुछ गन्ना काशीपुर मिल क्षेत्र से निकाल कर रामपुर मिलों को दिया गया है। कहने का सारांश यह है कि जब-जब और जहां-जहां पिराई शक्ति मिलती गयी है या मिलती जा रही है, उसका पूरा-पूरा उपयोग काश्तकार के गन्ने को पेरने के लिए किया जाता रहा है और किया जावेगा।

पिछला सीजन गन्ना विभाग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहा है और इसमें सबसे अधिक मात्रा में गन्ना पेरा गया है। उस सीजन में बहुत-सी मिलें जिनका नाम नीचे दिया हुआ है मई में ही बन्द हो गयी थीं :—

मिल का नाम	बन्द होने की तारीख
बहेड़ी	१७-५-५५
बिलारी	५-५-५५
अमरोहा	१२-५-५५
रजा	२६-४-५५
बुलन्द	११-५-५५
न्योली	१९-४-५५
गोला	११-५-५५
हरगांव	२८-४-५५
हरदोई	१२-४-५५
पीलीभीत	२५-५-५५
महोली	२५-५-५५
बेगमाबाद	२२-५-५५
मुहीउद्दीनपुर	३१-५-५५
मलियाना	३१-५-५५
खतौली	२८-५-५५
मन्सूरपुर	२९-५-५५
सहारनपुर	२९-५-५५
काशीपुर	२६-५-५५
स्योहारा	२६-५-५५

उपरोक्त सभी फैक्टरियां मई भर तो अनिवार्य रूप से ही चलेंगी और इनमें से अधिकतर जून के अन्त तक भी चलेंगी। इन मिलों का इतनी देर तक चलना इस बात को सिद्ध करता है कि सम्बन्धित अधिकारी कितनी उत्सुकता तथा तत्परता के साथ गन्ने का वितरण करते रहे हैं और गन्ना उत्पादकों के अधिक से अधिक गन्ने के पिराने का भरसक प्रयास करते रहे हैं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इस सीजन में अतिरिक्त (surplus) परिस्थिति उत्पन्न होने के दो मूल कारण हैं। प्रथम तो यह है कि गन्ना उत्पादकों ने अपना रकबा पहले से बढ़ा लिया है और द्वितीय यह कि गुड़ के मन्दे भाव के कारण उत्पादकों ने अपना गन्ना अधिक से अधिक मात्रा में फैक्टरियों में खपत के लिए रोक लिया और जो मात्रा अन्य सीजनों में गुड़ बनाने में खप जाती थी उसके अधिकांश का भार फैक्टरियों पर पड़ गया है। ऐसी दशा में जब कि फैक्टरियों की पिराई शक्ति सीमित है, यह आशा करना ठीक नहीं होगा कि गन्ना उत्पादकों का सारा का सारा गन्ना फैक्टरियों में खप जायेगा।

इस स्थिति को सीजन प्रारम्भ के पहले ही जांच लिया गया था और उनको हल करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को फैक्टरीज जल्दी चलाने के विषय में अपने सुझाव भेजे थे। परन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार ने उन सुझावों को अस्वीकृत कर दिया।

नैनीताल के तराई क्षेत्र में गन्ने की समस्या पन्नीजी फैक्टरी के हट जाने के पश्चात् कठिन हो गयी है और प्रत्येक वर्ष गन्ना उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तिस पर भी गन्ना उत्पादक अपना गन्ने का क्षेत्र बढ़ाते ही जा रहे हैं। हाल के बुवाई के मौसम के पूर्व गन्ना उत्पादकों को इस परिस्थिति से आगाह कर दिया गया था मगर प्राप्त सूचना से पता चलता है कि उन्होंने और अधिक क्षेत्र में गन्ना बो लिया है। पिछले सीजनों की भांति इस साल भी तराई का अधिक से अधिक गन्ना पिरवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही इस क्षेत्र में इस सीजन में गन्ना उत्पादकों का कोल्हू और क्रशर के लिए तकावी भी बांटी गयी और उनको समय-समय पर सचेत कर दिया गया था कि उनको स्वयं उस गन्ने का प्रबन्ध कर लेना चाहिए जो फैक्टरियों की पिराई शक्ति की सीमा के बाहर है।

उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से सदन को भली-भांति विदित हो जायगा कि सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है कि फैक्टरियों को अधिक से अधिक दिन चलवा कर गन्ना उत्पादकों का अधिक से अधिक गन्ना पिरवा दें और इस पर भी यदि कुछ गन्ना शेष रह जाय तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---इस वक्तव्य के होने के पश्चात् क्या आप अब भी अपने प्रस्ताव पर जोर देते हैं?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं इस कामरोको प्रस्ताव के संबंध में नहीं, लेकिन अभी जो वक्तव्य माननीय उद्योग मंत्री जी ने दिया है उसके संबंध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेहतर तो यह होगा कि सदन को यह मौका दिया जाय कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कुछ देर के लिये विचार विनिमय अवश्य कर सकें।

श्री अध्यक्ष---(नियोजन मंत्री से) तो या इस प्रश्न पर विवाद के लिये आप कुछ समय देना चाहते हैं जिसमें कुछ सुझाव यह सदन दे सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी दोपहर के समय में माननीय विरोधी दल के नेता से बात कर लूंगा और मैं अपनी डायरी देखकर समय बता सकूंगा कि किस दिन मैं यहां उपस्थित रहूंगा। उस दिन सायंकाल के समय ५ बजे के बाद आधा घंटा इस पर बातचीत कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मेरी पद्धति यह है कि मैं जरूर महत्वपूर्ण विषय के बारे में यह कोशिश करता हूं कि सदन को कुछ समय विवाद के लिये मिले और उस विषय में वह कुछ सुझाव दे सके। प्रस्तुत विषय में किसानों के नफे और नुकसान का संबंध आ जाता है और इस विषय पर माननीय मंत्री जी विचार करने के लिये तैयार भी हैं। इसलिए मैं आज इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं देता हूं। मैं समझता हूं कि इस बीच में सरकार तथा विरोधी दल में बातचीत हो जाय

और इसके लिये कोई समय निश्चित हो जाय तो फिर कामरोको प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। यह विषय ऐसा उन्होंने उपस्थित किया है जिसपर कि एक दफा इस सदन में बहस हो चुकी है। परन्तु अब सदन कुछ काल के लिये उठने वाला है और बहुत दिनों तक नहीं बैठेगा, इस कारण इस पर इसी बैठक में चर्चा होना आवश्यक है। बातचीत से यह बात तय हो जाय कि १,२ या ३ घंटे तक इस पर विचार हो जाय तो उसके लिये मैं किसी दिन मौका देना चाहता हूं। इस कामरोको प्रस्ताव के ऊपर मैं फैसला कल दूंगा। आज समय देने के विषय में बातचीत हो जाय।

सदन का आगामी कार्यक्रम

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह भी बता दे कि हाउस कब तक बैठेगा क्योंकि हम लोगों के बहुत प्रोग्राम हैं।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—हुजूरवाला, पहले सेल्स टैक्स बिल खत्म होगा। उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल खत्म होगा, उसके बाद गवर्नमेंट इस्टेटस बिल खत्म होगा, उसके बाद लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बिल हैं वे खत्म होंगे, उसके बाद एक और बिल है जिसका नाम इस वक्त याद नहीं है, वह होगा। जिस दिन यह हाउस उनको खत्म कर देगा तब तक यह बैठेगा और उसके बाद नहीं बैठेगा।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, टाइम नहीं बताया गया।

श्री अध्यक्ष—अब आप अन्दाजा लगा लीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जो वक्त मुकर्रर करूं उसमें यह हाउस खत्म कर दे तो वक्त भी बता सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार का इरादा सेल्स टैक्स बिल पर क्लोजर या गिलोटीन करने का है?

श्री अध्यक्ष—जो इरादा होगा वह सदन के सामने आयेगा।

वित्त विभाग की कतिपय *विज्ञप्तियां

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त (ए० और एस० टी०) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३५००/१०, संख्या एस० टी०—३५०१/१०, संख्या एस० टी० ३५०२/१०, संख्या एस० टी० ३५०३/१०, एस० टी०—३५०४/१०, एस० टी० ३५०५/१०, संख्या एस० टी० ३५०६/१०, दिनांक १० मई, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

†उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

‡खंड ६ (क्रमागत)

श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपकी सेवा में विनम्र निवेदन किया था कि मोटे अनाज जैसे जौ, चना, मटर, मटकी, बेझरा सवां, कोदों, ज्वार, बाजरा आदि गरीब जनता का भोजन है, जिसको खाकर वह जीवित रहते हैं। यह उनके जीवन के लिये बहुत उपयोगी चीज है। ऐसी दशा में मेरी यह प्रार्थना है कि इन अनाजों से बिक्रीकर हटा दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना अवश्य सुनी जायगी। कारण यह है अध्यक्ष महोदय, कि

---

*छापा नहीं गयी।

†२७ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

‡१४ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नारायण दास]

जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आयी तब हमारे प्रदेश में भुखमरी फैली हुई थी। अनाज यहां पर था नहीं, और निर्माण का भी कोई साधन न था। लेकिन जब हमने उसका आवाहन किया तो वह जनता जो किसान श्रमिक गरीब है दोनों बाजुओं को उठाकर फावड़ा और हल हाथ में लेकर निर्माण के लिये जुट गयी और आज हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल हो गयी जिस पर उत्तर प्रदेश को गर्व है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। लोग कहते हैं कि जनता में कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी वही जनता जो हमारे श्रम करने की रीढ़ है, वह अपने श्रमधन के द्वारा इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनायेगी। लेकिन श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आयी हुई थी, उस समय के हालात आप गौर करें। यहां पर उस समय एक हाट कर होता था जिसको वसूल करने के लिये ठेकेदार लोग होते थे और वह बाजार में टैक्स वसूल करते थे और उस का उद्देश्य यह होता था कि भारतीय जनता जबरदस्ती लूटी जाय। अंग्रेज लोग इस तरह से नवाबों और राजाओं पर हावी होते थे और वे अपने माल पर आयात और निर्यात के लिये कर मुक्त थे और यहां के कच्चे माल पर वह कर लगता था जिस से यहां की जनता उसको न खरीद सके और वह मुफ्त में ले जाकर उसका अपने देश में उपयोग करें। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां के कारोबार, उद्योग धंधे नष्ट हो गये बल्कि कहना चाहिये कि उनके हाथ पैर काटकर नष्ट किया गया।

एक समय वह था जब देश में ऐसा वातावरण फैला हुआ था। लेकिन जिस वक्त हमारे देश में कांग्रेस आन्दोलन ने जड़ पकड़ी और उस में पूज्य बापू जी का हाथ बढ़ा। तो उन्होंने इस नस को पकड़ा। तो उन्होंने एक तरफ तो नमक कर हटाने के लिये और दूसरी विलायती माल के बहिष्कार की आवाज उठाई। इस का नतीजा यह हुआ कि वह इसमें सफल हुये देश के लोग आजाद हुये और विदेशी यहां से चले गये लेकिन जिस समय वह देश को छोड़कर गये उस समय यहां की क्या दशा थी वह यहां का हर एक नागरिक जानता है। यहां पर भुखमरी फैली हुई थी और हर तरफ त्राहि त्राहि का वातावरण था और ऐसे समय में कांग्रेस सरकार को राज्य का भार वहन करना पड़ा। उसी समय यह बिक्री कर लगाया गया था और उस समय इतना ही नहीं है कि कांग्रेस के नेता लोग रहे बल्कि जो आज बिरोधी दल के माननीय श्री पालीवाल जी उधर बैठे हैं वह उस समय वित्त मंत्री थे। उस वक्त जो बिक्री कर लगाया गया था उसका एक उद्देश्य और वह यह था कि हमारे प्रदेश के लोग कुछ त्याग और उससे जो धन मिले उससे यहां के उद्योग धंधे और खाद्यान्न आदि बढ़ें, पनपें और सम्भलें, विदेशी वस्तुओं की रोकथाम हो। उसका अन्जाम यह हुआ कि उन ४–५ सालों में हम कह सकते हैं कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कामयाब हुई और जिसको कि हमारे सदन के सभी लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने भी माना है कि वह कामयाब हुई है। ऐसी दशा में मैंने जिन मोटे अनाजों का नाम लिया है उनके बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि चूंकि उन गरीब लोग खाते हैं इसलिये उनको बिक्री कर से मुक्त करने की बात पर गौर किया जायगा। यहां पर जिस समय अध्यादेश के बारे में वादविवाद हो रहा था और माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री जी और नियोजन मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था और जो बातें कही थी वह बिलकुल सही साबित हुई और नमक पर से और दूसरी चीजों पर से, कुछ से बिक्री कर हटाया गया और कुछ से यह कर कम किया गया है। इसी तरह से मुझे माननीय वित्त मंत्री जी तथा दूसरे नेताओं पर विश्वास है कि वह हमारे मोटे अनाजों पर से इस कर को उठाने की कृपा करेंगे और मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब स्पीकर साहब, पानी पर टैक्स नहीं है, इस असली ऐक्ट में लिखा है, दूध पर नहीं है, नमक पर पहले ही छोड़ दिया गया है और मोटर स्प्रिट और समाचार पत्रों के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। बाकी बात यह है कि आम तौर पर ग्रेन्स को एग्जेम्पट कर दिया जाय, ऐसी राय गवर्नमेंट की नहीं है, सिर्फ यह हो सकता है कि हम सुनें और जानें और उसके बाद गल्लों में से कोई गल्ला गवर्नमेंट की समझ में ऐसा तजवीज में आये कि उसको छोड़ दिया जाय तो उस पर गवर्नमेंट विचार जरूर करेगी। इससे ज्यादा मुझको अफसोस है कि इस मामले में इस वक्त कुछ नहीं हो सकता है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि स्कीम जो मुस्तकिल है वह बाद में आ रही है उसके सिलसिले में मजीद गौर कर लिया जायगा और इस सिलसिले में इस वक्त इतना ही हो सकेगा और जिनको मैं चुन लूंगा उनको आखिर में बतलाऊंगा कि क्या होगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे असल में इस अमेंडमेंट पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मुझे वित्त मंत्री जी की उक्तियों को सुनने के बाद मजबूर होना पड़ा कि जब हम व्यावहारिक तौर पर सैकिंड रीडिंग इस बिल की इस वक्त शुरू कर रहे हैं उस वक्त हम वित्त मंत्री जी को अपने ख्यालात के मुताल्लिक कम से कम कुछ बताने की कोशिश करें कि उस पर माननीय वित्त मंत्री जी अगर विचार करना चाहें तो विचार कर लें। यों मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो अपना ख्याल इस वक्त पेश किया है वह बहुत मजबूती के साथ उसे पकड़े रहेंगे। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि हमारे कहने से कुछ अपने ख्याल बदल सकते हों, क्योंकि जो सरकार का रवैया है वह रवैया यह है चाहे कितनी ही मुनासिब बात हो, लेकिन अगर सरकार की तरफ से वह बात नहीं आई, सरकार के मिनिस्टर साहबान के दिमाग में वह बात नहीं आई तो इन ४३१ आदमियों में से किसी के सुझाव में वह बात आये तो आखिरी वक्त तक वह बात मंजूर नहीं करने के। नारायण दास जी का जो अमेंडमेंट है वह ऐसा अमेंडमेंट है जिसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो खेतों में मजदूरी करते हैं। एग्रिकल्चरल लेबरर जिनको कहते हैं उनको कुछ मदद मिलेगी और वह तबका देश का जो सबसे निर्धन है उस तबके को मदद मिलेगी। बाकी लोगों को मदद नहीं मिलती। नारायण दास जी का जो अमेंडमेंट है वह सिर्फ इतना है कि जो माल एग्जेम्ट किये गये हैं उनमें मोटा अनाज जोड़ दिया जाय; अनाज भी नहीं लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी इजाजत से चाहता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं नारायण-दास जी के उस अमेंडमेंट में यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अनाज के आगे "मोटा" लफ्ज जो है वह निकाल दिया जाय और अनाज ही रहने दिया जाय।

एक सदस्य---आगे संशोधन है।

श्री गेंदासिंह---मोटे अनाज पर ही संशोधन मंजूर नहीं करते तो मुमकिन है उस वक्त वाक आउट करना पड़े तो यों ही पास हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दास जी के इस संशोधन को आपकी इजाजत से इस प्रकार से अमेंड करना चाहता हूं कि उसमें से मोटा लफ्ज निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय देवकीनन्दन विभव जी का संशोधन आगे है।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त इस बिल पर विचार करते समय ऐसी स्थिति ला सकती है सरकार जिस वक्त हम यहां बैठना उचित न समझें।

श्री अध्यक्ष---उसमें मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा कि आप यहां से चले जायं।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं तो सहायता यह चाहता हूं कि सरकार इस तरह की हठवादिता करे तो उस वक्त अपोजीशन की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य होता है कि आप हमारी रक्षा करें ताकि हम बैठे रह सकें। हम इसमें आपकी सहायता चाहते हैं। तो इस वक्त मैं केवल इतना चाहता हूं कि नारायण दास जी के इतने छोटे से अमेंडमेंट को सरकार स्वीकार कर ले।

मैं तो उन लोगों को भी अनाज के ऊपर टैक्स लगाने की बात नहीं सोचता हूं जो लोग अनाज खाना चाहें। जो कोई भी अनाज खाना चाहे उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। अनाज न खाकर दूसरी चीज पर जो जीवित रहना चाहें मुमकिन है कि उस पर टैक्स लगाया जाय। लेकिन अनाज तो मैं समझता हूं कि हर आदमी जिन्दा रहना चाहता होगा उसको खाना पड़ेगा। मैं जिन्दगी के ऊपर टैक्स लगाने का पक्षपाती नहीं हूं। सरकार के अख्तियार में किसी की जिन्दगी नहीं है। सरकार किसी को मार भले ही हो सकती है। लेकिन जिला नहीं सकती। अगर सरकार किसी को जिला नहीं सकती तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि जिन्दगी की जरूरी चीजों पर जिसके बिना वह मर सकता है उस पर टैक्स लगाये। अगर हमारे देश की ऐसी अवस्था हो गयी होती कि अनाज खाने वाले ऐसी अवस्था में होते कि आज वह जितना अनाज खाते हैं। उससे कम अनाज खाना शुरू कर देंगे या इस टैक्स से उन पर इतना कम बोझ पड़ेगा कि जिस बोझ से उनके सामने कोई खास दिक्कत नहीं मालूम होती तो मैं इसका विरोध नहीं करता और मैं नारायण दास जी के इस संशोधन का समर्थन करता। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश में जिन लोगों का गुजारा अनाज के ऊपर होता है वह वह तबका है जो सबसे निर्धन तबका है और उस निर्धन तबका से हम किसी प्रकार से एक पैसा टैक्स लेने के विरुद्ध हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनसे एक पैसा भी टैक्स का आये। सरकार कहती है कि देश का उससे डेवलपमेंट होगा। मैं समझता हूं कि उन गरीबों के घर से पैसा निकालने के बाद डेवलपमेंट के प्रोग्राम का अहित होगा। उनके पैसे से हम विकास करें तो उस विकास की सफलता पर जो पैसा आता है उस पैसे को इस ढंग पर बटवारा नहीं देखते हैं। जहां ग्रेटर प्रोडक्शन है वहां प्लान के साथ साथ बेटर डिस्ट्रीब्युशन भी है। अगर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो ग्रेटर प्रोडक्शन बेकार की चीज है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस अनाज पर टैक्स लगने से डिस्ट्रीब्युशन बेटर होता है। जो लोग आठ छटांक भी अनाज खरीद कर खाते थे उसको भी इस टैक्स के जरिये सात छटांक खाना पड़ेगा। इसलिये कि कम से कम एक रुपये पर डेढ़ आने टैक्स देना पड़ेगा। अगर एक रुपये पर डेढ़ आने टैक्स देना है तो एक मजदूर के पास, जिसके पास सिर्फ एक रुपया मजदूरी का आता है उस एक रुपये की मजदूरी से उसको जितना अनाज मिलता था उसको साढे १७ आने खर्च करके खरीदना पड़ेगा। मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार जरा यह बताये कि उसके राज्य के अन्दर मजदूर कितने हैं, उसके राज्य में खेतिहर मजदूर खरीद कर खाने वाले गांवों में कितने लोग हैं, उसके राज्य में खरीद कर खाने वाले शहरों में कितने लोग हैं, और उसके राज्य में खरीद कर खाने वाले बेकार लोग कितने हैं। अगर सरकार के पास यह आकड़े नहीं हैं कि उसके राज्य में बेकार लोग कितने हैं तो फिर सरकार इस बात का वादा कैसे करती है कि सब आदमियों की २७७ रुपया आमदनी हो गयी। या तो सरकार यह कहे कि इस देश में कोई भी बेकार आदमी नहीं है। जो यह सरकार दावा करेगी कि उसके राज्य में कोई बेकार आदमी नहीं है तो फिर २७७ रुपये की पर कैपिटा इनकम की बात समझ में आ सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। सरकार को बताना चाहिये कि इस देश में बेकार कितने हैं। आखिर हमारे गांवों के हरिजन भाई जो आज दोनों वक्त खाना नहीं खा सकते, एक वक्त खाने पर गुजारा करते हैं।

उनको क्या चाहती है सरकार कि वह एक वक्त भी खाना न खाने पायें ? इसका क्या मतलब है ? इस मोटे अनाज पर टैक्स लगाने के माने क्या होते हैं, मैं तो हिसाब किताब पूंछना चाहता हूं ? माननीय परिपूर्णानन्द जी इत्तफाक से मौजूद नहीं हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बुलवा लिया जाय ?

श्री गेंदासिंह---बुलवा लिया जाय तो बहुत अच्छा है और मैं पूछना चाहता हूं माननीय परिपूर्णानन्द जी से और सरकार से, दोनों से कि इस मोटे अनाज के खाने वाले माननीय परिपूर्णानन्द, हाफिज जी, गेंदासिंह जी हैं या माननीय धर्मसिंह जी के जो भाई बिरादरी के हैं जो दिन भर धूप में फावड़ा चलाते हैं ? कौन खाता है ?

निर्वाचन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---इनमें से हर एक आदमी खाता है ।

श्री गेंदासिंह---गुप्ता जी चना खाते हैं ? अगर आप चना खाये होते तो देश की बड़ी जल्दी तरक्की हुई होती । चना खाने वाला बहुत मर्दाना होता है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर यों बात होगी तो चने का ही जिक्र चलता रहेगा ।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी जब कहा करते हैं तो मुझे तकलीफ नहीं होती है ।

श्री अध्यक्ष---मुझे तो तकलीफ होती है । मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही शान्ति से चले, जिसमें किसी वक्त में गरमा गरमी न हो ।

श्री गेंदासिंह---तो मैं यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय, कि चना खाने वालों को और गेहूं खाने वालों को तो मैं छोड़ देता हूं । मोटे अनाज में तो यह आते भी नहीं । उसमें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ जिसको की कोई सफेदपोश जल्दी पसन्द नहीं करेगा, यह मोटा अनाज उन लोगों के लिये है जो लोग कि देहात में मजदूरी करते हैं और दिन भर मजदूरी करके शाम को बाजार में जाकर और अगर ८ आना मजदूरी मिली तो उतने ही का खरीद लिया और रात को अपने बच्चों का पेट पालते हैं और फिर सवेरे मजदूरी करने जाते हैं, चाहे देहात के रहने वाले हों या शहर में बसने वाले हों । मैं यही जोर देना चाहता हूं कि इस अनाज पर गुजर करने वाले वह लोग हैं जो समाज के सबसे निचले तबके में आते हैं, हर्गिज ऐसे तबके से कोई टैक्स लेना माफिक नहीं हो सकता और न कोई समझदार आदमी हो सकता है । मेरा मतलब यह है कि सरकार समझदारी से काम ले और जो हमारा सूबा आज भी डेफिसिट में है, मैं दावे से कहता हूं पूर्ति मंत्री जी इधर बैठे हुए हैं । उन्होंने गलत ढंग पर, फर्जी कागजों के आधार पर कह दिया कि हमारा मुल्क सेल्फ सफिशियेंट हो गया अनाज के मामले में । मैं डाक्यूमेंट के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि सेल्स सफिशियेंट नहीं हुआ, खरीद करके खाने की जरूरत पड़ेगी । इसलिये मैं कह रहा हूं । सफिशियेंट के माने क्या होते हैं ? जरा मैं समझने की कोशिश करता हूं । स्वावलम्बी, हर आदमी अपनी जरूरत भर खाने को पाले यही सफिशियेंट के माने होते हैं । सरकार कहती है कि हमारी पैदावार बढ़ गई । बल्कि वह तो यहां तक दावा करती है कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों को मदद करने के लिये आज हमारे पास अनाज हो गया । मैं कहता हूं ? १ करोड़ ६० लाख टन चाहिये अगर १० छटांक फी आदमी आप देते हैं तब । तो सारे फर्जी कागज भी मान लें तो भी १ करोड़ २० लाख टन से अधिक नहीं पैदा हुआ । तो १ करोड़ ११ टन पर हम कहते हैं कि हमारी जरूरत पूरी हो गयी । तो यह गलत है और इसी का नतीजा है कि आज अनाज के भाव बढ़ रहे हैं । किसान को तो पैसा नहीं मिला, तो उससे तो सस्ते भाव पर खरीदा गया और मिडिल मैन उस अनाज को इकट्ठा करके तेज भाव में बेच रहा है । गांव का मजदूर, किसान जिसके पास थोड़ी जमीन है सरकार भी उसमें से १ आना, दो पैसा या ६ पैसा बढ़ा करके लेना

[श्री गेंदासिंह]

चाहती है। तो यह सरकार की प्लान की सफलता नहीं है, विफलता है। सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होना चाहिये वह यह होना चाहिये कि नीचे का जो तबका है उसको हम अनाज पहुंचा सकें। जब सरकार कहती है कि हम सब को कम से कम, भोजन दे सकते हैं, सेल्फ सफिशेंट हैं, सेल्फ सफिशियेंसी के माने मैं फिर समझाऊं क्या? सेल्फ सफिशियेंसी के माने कम से कम यह होते हैं कि जब हम बाहर से अनाज इम्पोर्ट नहीं करते हैं, इसके माने हैं कि सारे मुल्क के लोगों को भूख भर अनाज पहुंच गया। भूख भर अनाज पहुंच जाने से सरकार को तसल्ली होती है। ठीक है, लेकिन अब भूख भर अनाज पहुंचाने का क्या यह तरीका है कि जो मोटे अनाज पर भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। मोटे अनाज पर टैक्स लगा कर के आप भूख का सवाल नहीं हल कर सकते हैं और मैं तो ऐसे जिले से आता हूं कि जिस जिले के किसी गांव में जा कर के देखा जाय तो उस गांव में १०० में से ७५ घर ऐसे निकलेंगे जिनमें एक वक्त खाने पर लोग गुजारा करते हैं। एक वक्त खा कर के गुजारा करने वालों से यह टैक्स लेना चाहते हैं। कहां २६ सौ कैलोरी की बात और कहां ३ हजार कैलोरी की बात, बैलेन्सड डाइट की बात मैं नहीं करता, बैलेन्सड डाइट में तो दूध भी आता है, मक्खन भी आता है, मांस भी आता है, मछली भी आती है, उस सब का सपना हम छोड़े हुए हैं। हम तो यह सोचते हैं कि हमको पेट भर खाना मेहनत करने के लिए, हमको जिन्दा रहने के लिए केवल मिल जाय। उस अनाज का बन्दोबस्त नहीं और जब उस अनाज का बन्दोबस्त नहीं, अनाज महंगा होता चला जा रहा है, उस वक्त भी इस टैक्स को बढ़ाना बहुत ही नामुनासिब बात है।

मैंने कल कहा था कि सरकार को हिसाब भी नहीं मालूम है कि इस प्रकार कुल कितने अनाज खरीद कर खाते हैं। अगर सरकार को हिसाब मालूम होता तो कभी भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती। मैंने कल हिसाब जोड़ कर बताया था कि कम अनाज पर ही जिस प्रकार का टैक्स सरकार ने लगाना शुरू किया था और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा हम कुछ नहीं करने वाले हैं तो अगर छः महीने तक वही हिसाब चालू रहे तो छः महीने के भीतर छः करोड़ रुपये आ सकते हैं। छः महीने के भीतर केवल अनाज पर टैक्स लगाने से छः करोड़ रुपये आ सकते हैं।

अब रही बात यह कि सरकार इस बात को नामंजूर करे, लेकिन मैं कहता हूं कि मंजूर करना चाहिए उसको। हिसाब-किताब से चलती है सरकार। हमसे ज्यादा लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा संख्या और अर्थ विभाग की जानकारी रखते हैं, वह बैठे हुए हैं। वह जरा हमारे सामने इस बात को बतावें तो कि कितने लोगों को अनाज खरीदने की वह समझते हैं जरूरत पड़ेगी और कै छटांक रोजाना की जरूरत पड़ेगी और उस पर छः महीने के भीतर कितना अनाज खरीदा जायगा, इस पर सरकार को टैक्स मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि छः करोड़ रुपया मिलने वाला है। यह छः करोड़ रुपया उन लोगों से मिलने वाला है जिनके बदन पर सिर्फ चमड़ा है, कपड़ा नहीं है। आठ छटांक खा कर जीवन व्यतीत करते हैं। कपड़ा भी साल में जो १५ गज का हिसाब बताते हैं कि १५ गज हर आदमी खरीद लेता है, वह उन लोगों में से नहीं है। इस तरह के लोगों से टैक्स वसूल करने की योजना है। तो मैं तो इस ख्याल से कि यह नारायणदास जी का अमेंडमेंट है इसमें सरकार को क्या परेशानी होगी, विरोधी दल की तरफ से अगर कोई अमेंडमेंट होता ...

श्री अध्यक्ष—मैं मौका दूंगा उसका भी। अभी सब संशोधन मैं इकट्ठे ले लेता हूं। आप कहना चाहें तो उन पर भी कह सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—अगर वह अमेंडमेंट आ जायेंगे तो मैं उन्हीं अमेंडमेंट्स को मंजूर करने को कहूंगा। नारायणदास जी ने तो इसलिए अमेंडमेंट यह रखा होगा कि सरकार सारे अनाजों को एग्जेस्ट नहीं करेगी, इसलिए मोटे ही अनाज के लिए कहो। मोटे ही

अनाज पर से सरकार अपना टैक्स वापस ले ले। तो अगर इस अमेंडमेंट पर वित्त मंत्री जी मेहरबानी करके यह फर्मा दें कि वह मोटे अनाज को भी वापस लेने की बात सोच रहे हैं तो फिर मैं सोचता हूं कि उन अमेंडमेंट्स के लिए बड़ा रास्ता खुल जाता है और वक्त बहुत कम लगेगा जैसा कि इरादा सरकार का है कि जल्दी से जल्दी यह बिल पास हो जाय, वह जरूर पास हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---मैं चाहता हूं कि जो संशोधन उपखंड (१) के बारे में हैं वे सब एक साथ ले लें जिससे एक साथ बहस हो जाय। समय भी बच सकता है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन उपस्थित हुआ था उसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि वह कुछ वस्तुओं को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) की पंक्ति १ के शब्द "समाचार पत्र" तथा शब्द "और" के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"मिट्टी का तेल....

अध्यक्ष महोदय, यह नोट कर लें, उसमें मिट्टी का तेल बढ़ा दें।

"मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गुड़, गृह उद्योगों के लिए प्रयुक्त विद्युत शक्ति, पुस्तकें, पत्रिकाएं।"

अध्यक्ष महोदय, विधेयक की जो धारा है वह इस तरह है कि मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र और ..... .तो "समाचार-पत्र" और "और" के बीच में अगर मेरा संशोधन जोड़ दिया जाता है तो पूरा अगर पास होता है तो वह इस प्रकार होगा---

"(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गुड़, गृह उद्योगों के लिए प्रयुक्त विद्युत शक्ति, पुस्तकें, पत्रिकाएं और मोटर स्पिरिट की, जिसकी परिभाषा यू० पी० सेल आफ मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन) ऐक्ट, १९३९ में की गयी है।"

तो इसमें और मूल अधिनियम की धारा में जो दिया हुआ है वह इस बात से सम्बन्ध रखता है कि कौन-कौन सी चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि इन चीजों पर से सेल्स टैक्स हटाया जाय, इनको भी मुक्त कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जल्दबाजी में और हर तरीके के साधन अपना कर के यह सरकार बिक्री कर विधेयक को पास कराने जा रही है उसकी निन्दा तो बार बार हो रही है।

श्री अध्यक्ष---आपने अपने संशोधन में केवल 'मिट्टी का तेल' ये शब्द जोड़े हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जी हां, तो उसकी निन्दा बार बार हो चुकी, लेकिन कोई बात सुझाव के लिये रखी जाय तो यह सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो बहुमत के बल पर किसी प्रकार का विरोध सुनने के लिये तैयार नहीं है। आपने देखा ही कि किस तरह से अनियमित तरीके से इसी काम के लिए कि बिक्री कर अध्यादेश लागू किया जाय, कौंसिल को प्रोरोग कर दिया गया। उसके बाद फिर जब हाहाकार मचा, प्रदेश में हर तरह लोगों ने खिलाफ आवाज उठाई और इस बात को बता दिया कि जनता सरकार के इस कदम के खिलाफ है जो उसने इस सम्बन्ध में उठाया है उस वक्त

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

भी सरकार ने तरह-तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की और यह दिखलाने की कोशिश की कि प्रदेश की जनता बिक्री कर देने लायक है, दूसरी बात यह कि जिन पर बिक्रीकर का असर पड़ेगा वह उससे खुश हैं और जिनको हिसाब-किताब लिखना पड़ता है वही लोग ऐसे हैं जो कि हल्ला मचा रहे हैं या प्रदर्शन और डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं जो कि वस्तु स्थिति से परे की बात है। एक तरफ रूलिंग पार्टी है, दूसरी तरफ जो विरोधी दल है और दूसरी अन्य पार्टियां हैं, अगर वे जनता की नुमायंदगी नहीं करते तो क्या केवल कांग्रेस का ठेका थोड़े ही है कि वह कहे कि वही जनता की नुमाइंदगी करते हैं। चूंकि वह बहुमत के द्वारा चुने गये हैं तो जिस तरह के और जिस तरीके के कानून बनाना चाहें बना लें यह प्रजातंत्र के माने नहीं है। जो व्यापारी हैं वह क्या कंज्यूमर नहीं हैं? वह भी हैं। एक जगह दुकान करते हैं, उसके अलावा उनके बाल-बच्चे हैं तो क्या उनका प्रोटेस्ट जनमत का प्रोटेस्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ अपोजीशन को कूल करने की कोशिश की जा रही है ताकि यह विधेयक जल्दी से पास हो जाय। जितना जनमत द्वारा विरोध हो सकता था वह किया गया लेकिन सरकार ने भेद भाव डालना शुरू किया कि जो उपभोक्ता हैं वह बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आखिर उपभोक्ताओं के बोलने का क्या तरीका अख्तियार हो सकता था? जो लोग उनकी नुमायन्दगी किया करते हैं उन्होंने नुमाइन्दगी की। रूलिंग पार्टी यह दावा तो करती है कि वह नुमाइन्दा करती है लेकिन चूंकि सरकार टैक्स लगा रही है इसलिये उनकी नुमाइन्दगी का प्रश्न नहीं है बाकी जो विरोधी दल है, जो सरकारी पार्टी के विरुद्ध पार्टियां हैं उन्होंने आन्दोलन किया, लोगों को सत्याग्रह करना पड़ा, जेल जाना पड़ा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस प्रोटेस्ट की बात नहीं मानी गयी। थोड़ा बहुत संशोधन करके आज सरकार यह चाहती है कि प्रदेश की जनता को गुमराह करे लेकिन हमारे विरोध का मूलाधार यह है कि आगे अब टैक्स लगने पर जनता की कमर और उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट जायगी। लेकिन यह सेन्टर की सरकार की भी प्रादेशिक सरकार की भी एक चालाकी है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इन्होंने एक नियम बना लिया है कि अगर ८ आना टैक्स लेना हो तो एक रुपये के लिये घोषणा की जाय और होते होते दस आना, आठ आना रह ही जायगा। आपने स्वयं देखा कि सरकार को यह पता ही नहीं है कि जो बिक्री कर बिल पेश किया गया है उसके पास हो जाने के बाद कितना आखिर वसूल होगा।

बम्बई या मद्रास की जनगणना से अगर यू० पी० की जनगणना की तुलना करें तो उसका हिसाब कल कुछ माननीय नेता विरोधी दल ने बताने की कोशिश की कि केवल गल्ले की १२ करोड़ की आदमनी होगी सिर्फ गल्ले से। लेकिन मैं समझता हूं कि २०,२५ करोड़ तक सेल्स टैक्स की आमदनी चली जायगी। छोटे बड़े थोड़े से इधर उधर संशोधन करके बड़ी मासूमियत के साथ सरकार ने कह दिया कि यह बोझ अब जनता पर कम पड़ेगा और पहले साढ़े पांच करोड़ पड़ता अब दो ढाई करोड़ पड़ेगा और इसी के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि ६ महीने तक वसूल करके हिसाब किताब देख लें कि कितना पड़ेगा। इसके मतलब यही है कि सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितना बिक्री कर पड़ेगा और किन लोगों पर कितना होता है और जिस समय विकास योजनाओं की बात कही गयी है अब अध्यक्ष महोदय ऐसे विषय हैं जैसे साइकिल है, हो सकता है सरकारी दृष्टि-कोण से अगर एक रुपये पर एक आना टैक्स लगाया जाय तो ढाई सौ रुपये की साइकिल पर १५ रुपये टैक्स लग जाता है और सरकार कहती है कि वह अमीरों की चीज है और गरीब लोग साइकिल नहीं खरीदते। लेकिन मैं कहता हूं कि वह एक आवश्यक साधन है। लेकिन उसका भी हमने विरोध नहीं किया इसलिये कि जब सरकार कहती है कि विकास के लिये यह कर रही है तब हो सकता है कि सब पर विरोध किया जाय तो बेकार हो जाय। वह विरोध हम कर चुके और उसमें हम असफल रहे। इसलिये हमने एक बीच का तरीका निकालने की कोशिश की कि जो जीवन की अत्यन्त आवश्यक चीजें हैं उनके लिये ही कहें कि उन पर टैक्स न लगाया जाय।

मूल अधिनियम की धारा ४ के अनुसार साल्ट फूडग्रेन्स, मिल्क, गुड़, एलेक्ट्रिक एनर्जी फार इंडस्ट्रियल परपजेज, बुक्स एंड मैगजीन्स, न्यूजपेपर्स और मोटर स्प्रिरिट– ये चीजें हैं। यह तो स्पष्ट ही है और कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने जो बिल अब पेश किया है उसमें कुछ चीजें जो पहले मुक्त थीं उन पर भी अब लागू कर दिया है और साल्ट के लिये तो खैर वित्त मंत्री जी को कुछ बुद्धि आ गई और उन्होंने इतने आन्दोलन के बाद साल्ट को छोड़ दिया है, लेकिन जो मैंने संशोधन रखा है वह जीवन के लिये आधारभूत वस्तुयें है जीवन की परमावश्यकीय वस्तुयें हैं। उन पर टैक्स छोड़ने के लिये है और कर लगाने का मूल सिद्धांत हर एक अर्थशास्त्री भी यह मानता है कि कर ऐसा लगाया जाना चाहिये जो कि लोग दे सकें और दूसरे ज्यादातर ऐशोआराम की चीजों पर कर लगाना चाहिये। हो सकता है कि ऐशोआराम की चीजों पर १० रुपये के सामान में अगर २ रुपया टैक्स का ले लें तो लोग ८ रुपये की चीज पर सन्तोष कर लें। लेकिन जो चीजें मैंने अपने सुझाव में पेश की हैं मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गुड़ गृह उद्योगों के लिये प्रयुक्त बिजली, पुस्तकें और पत्रिकायें, तो मिट्टी का तेल अध्यक्ष महोदय, एक तो आजकल बिजली का बोलबाला है और जो देहात का गरीब है उसके लिए मिट्टी के तेल के सिवा और कोई सहारा नहीं है। तरह तरह के चढाव उतार से यह चीजें यों ही गुजरी हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से कंट्रोल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ब्लैकमार्केटिंग की और एक रुपया और बीस आने बोतल तक मिट्टी का तेल बिका। लेकिन आज नार्मल हालत होने के बावजूद भी अगर इस पर टैक्स लगा दिया जायगा तो देहात की जनता पर बड़ा भार पड़ जायगा। खाद्यान्न को ले लीजिये। इससे आवश्यक चीज और क्या हो सकती है। इसके बिना तो किसी का जीवन चल नहीं सकता चाहे वह गरीब हो या अमीर हो।

माननीय नारायण दास जी ने कोर्स ग्रेन (मोटे अनाज) की बात कही। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सरकार लोगों के खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाती है उसके लिये कोई औचित्य उसके पास नहीं है क्योंकि हर आदमी को अपना पेट भरना ही है। फिर गृह उद्योगों के लिये प्रयुक्त विद्युत शक्ति है। गृह उद्योगों के बारे में सरकार की भी घोषणा है और बहुत से गृह उद्योगों पर टैक्स माफ भी है और अगर आप संशोधनों को देखें जो आगे आने वाले हैं तो उनमें भी माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की है कि गृह उद्योगों के बने हुए सामान पर सेल्स टैक्स न लगे। सरकार ने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल परपेजेज के लिये बिजली है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स माफ कर दिया। मेरा संशोधन यह प्रस्तुत है कि जो काटेज इंडस्ट्रीज हैं सिर्फ उनमें प्रयोग की गई बिजली पर टैक्स न लगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी मिलें बिजली से चल रही हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो टैक्स दे सकते हैं उन पर लगना चाहिये।

फिर पुस्तकें लीजिये। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बहुत कोशिश के बावजूद भी हमारे प्रदेश में बहुत कम प्रतिशत संख्या पढ़े लिखे लोगों की है और सरकार के इस वादे के बावजूद कि पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल माफ कर देंगे आजतक जो कदम उसने उठाया है वह नगण्य है। तो पुस्तकों पर अगर टैक्स लगा दिया जाय तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। कोई भी आदमी अगर पढ़ने लिखने की कोशिश करता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और पत्रिकायें, अध्यक्ष महोदय; कितनी आवश्यक हैं। पत्र-पत्रिकायें ऐसी चीज हैं जो हमारे ज्ञान वृद्धि का साधन है। दुनिया की चीजें उनसे जानते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरुक रहते हैं। अगर उन पर भी टैक्स लगा तो बहुत से लोग उस ज्ञान से वंचित रह जयांगे। सरकार

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कहती है कि हमें विकास के लिये टैक्स लगाने की जरूरत है। ऐसी हालत में बहुत सी चीजों को हमने छोड़ दिया क्योंकि उनका कर भार ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो कि दे सकते हैं। विकास किसको पसन्द नहीं है। हर पार्टी अपने-अपने दृष्टिकोण से विकास करती है। अब यह समय नहीं है कि हम इस पर प्रकाश डालें कि हम इस सरकार के विकास को सही माने में विकास नहीं मानते क्योंकि गरीबों का विकास सही मानों में नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यह दृष्टि-कोण सामने रखना ही है कि हमारे देश की जनता को कितना कर देने की शक्ति रह गयी है और उस शक्ति के बारे में मैं समझता हूं काफी वाद विवाद हो चुका है इस सदन में आर्डिनेन्स पर भी और इस बिल पर भी किसानों की बात लेकर मजदूरों की बात लेकर मध्यम श्रेणी के लोगों को लेकर। हमने यह साबित कर दिया है कि जब अंग्रेजी जमाने में १२ करोड़ का बजट था और अब ९४ करोड़ का बजट हो गया। इसके बावजूद भी यह सरकार इस स्थिति में है कि वह बतला नहीं सकती है। वह भी अंधेरे में टटोल रही है और हमारे पास तो आंकड़े नहीं हैं। सरकार ने अपनी घोषणा में विकास कार्यों के लिये कर लगाना आवश्यक बतलाया है, तो हम चाहते हैं कि जीवनोपयोगी वस्तुओं पर कर न लगाया जाय। मैं आशा करता हूं कि अगर यह कर लगाया जाय तो इनको छोड़कर अन्य वस्तुओं पर लगे। मुझे आशा है कि मंत्री जी को मेरे संशोधन के मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी

श्री अध्यक्ष---श्री रामेश्वर लाल जी का संशोधन असंगत सा मालूम होता है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, मेरा संशोधन भी करीब-करीब वैसा ही है जैसा कि रामनारायण जी त्रिपाठी ने रखा है। केवल अन्तर यह है कि जिस बिजली का उपयोग गृह उद्योगों के लिये हो वह बिक्री कर से मुक्त हो। यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो पहले जो मूल अधिनियम की धारा थी वह वही रहती है। "उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। इससे स्पष्ट हो जायगा।

"4 (1) No tax shall be payable on,

(*a*) the sale of water, salt, foodgrains, milk, gur, electrical energy for insustrial purposes, books, magazine, newspapers and motor spirit as defined in the Uttar Paresh Sales of Spirit Taxation Act, 1939, and any other goods which the State Government may by a notification in the official Gazette, exempt from time to time, and"

मंत्री जी ने जब आर्डिनेंस जारी हुआ तब साल्ट पर यानी नमक पर भी कर लगाने की व्यवस्था की थी लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, जैसे भी उनका दिमाग बदला हो। जब वह बिल लाये तो उसमें साल्ट पर छोड़ दिया। इसके बाद जब उन्होंने इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया तो अपनी स्पीच में उन्होंने कुछ और वस्तुओं में छूटें दी और जैसा कि उपमंत्री जी ने कहा था कि जब हमने आर्डिनेंस जारी किया तब हमने विस्तृत रूप से विचार नहीं किया था और जब इस पर धारावार विचार होगा या डिटेल में विचार होगा तो विचार कर लेंगे कि कौन-कौन सी वस्तुयें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं और तब उनमें हम कोई जिद नहीं करेंगे और जो भी तरमीमें उपयुक्त होंगी उनको स्वीकार कर लेंगे। आप देखेंगे कि जब उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया तो उन्होंने कुछ घोषणायें कीं जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, न्यूज प्रिंट्स, संदल वुड को सेल्स टैक्स से मुक्त कर दिया है। मैं समझता हूं कि जैसा कि विचार चल रहा है और धारावार उस पर विचार हो रहा है तो यह गुंजाइश है कि अगर यह चीज सिद्ध हो जाय कि फलां-फलां चीजों की

बीकर सेक्शन यानी मजदूरों तथा गरीबों के लिये जरूरत पड़ती हैं तो उनको भी मुक्त कर दिया जायगा और इसी वजह से मैंने उचित समझा कि मूल अधिनियम में जो धारा ४(१) है वह ज्यों की त्यों बनी रहे। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी और काम भी निकल जायगा।

आप अब देखेंगे कि एक्जेम्पशन जो दिया जाता है उसको इस टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में बतलाया है कि किस आधार पर हमें ऐक्जेम्पट करना चाहिये। पहली चीज इसमें यह दी हुई है कि केंद्रीय सरकार ने एसेंशियल गुड्स ऐक्ट, १९५२ में बनाया और उसमें बतलाया कि कौन-कौन सी ऐसी वस्तुयें हैं जिनको ऐक्जेम्पशन मिलना चाहिये। यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ वस्तुओं को बतलाना चाहता हूं जिनको भारत सरकार ने आवश्यक समझा कि उनको सेल्स टैक्स से छूट मिलनी चाहिये। उसमें सीरियल्स और पल्सेज भी हैं, आटा, मैदा और सूजी भी है। इसमें बहुत सी वस्तुयें हैं लेकिन मैं दो चार ही गिनाऊंगा जिनसे कि मेरा तात्पर्य है। दूसरे इसके उपखंड ८ में यह भी है कि आल क्लाथ वोवेन आन हैन्डलूम, कोर्स ऐन्ड मीडियम काटेन क्लाथ मेड इन मिल्स। यानी उन्होंने इसकी भी आवश्यकता समझी कि कपड़ा गरीब लोग तथा सभी पहनते हैं, लेकिन इसका भार गरीबों पर न पड़े तो इसलिये उन्होंने कोर्स और मीडियम क्लाथ को, जिसको कि गरीब पहनते हैं, इसमें एक्जेम्प्ट किया। लेकिन आप देखेंगे कि सारी रिपोर्ट सामने रखी हुई है और उस पर कोई विचार नहीं किया गया। इन चीजों को मुक्त करना चाहिये था, लेकिन मुक्त नहीं किया गया। समझ में नहीं आता कि यह रिपोर्ट जो है उसको किस तरह से कंसल्ट किया गया है और छूट देने का क्या आधार रखा गया है।

जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था इसको विचारार्थ प्रस्तुत करते हुये कि उसकी मोटी-मोटी सिपारिशें यह हैं कि हाफ परसेंट मल्टीपुल टैक्स हर वस्तु पर लगना चाहिये। ऐसा टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कहती है, चाहे वह फूडग्रेन्स हों या और कोई अन्य आवश्यक वस्तुयें हों, हर एक पर करीब-करीब १ पाई फी रुपया टैक्स लगना चाहिये। लेकिन आप देखेंगे कि उस सिपारिश को नहीं माना गया जैसा कि प्रकट होता है कि फूडग्रेन्स पर आपने ६ पाई लगाया है फी रुपया। आखिर यह ६ पाई फी रुपया क्यों लगाया गया है? किस आधार पर यह लगाया गया है? कौन सा तर्क इसके पीछे है कि यह टैक्स लगाया जाय? यह किसी आधार पर भी नहीं लगता। अगर मल्टीपुल प्वाइन्ट लगाना था तो आप १ पाई लगाते। उस समय समझ में आता कि उस रिपोर्ट का आपने आधार लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें यह भी कहा है जो प्रोड्यूसर होगा खाद्यान्नों का, उसको हम छूट दे देंगे, ऐसा किसी ने कहा था और वह इस आधार पर कहा कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एग्रीकल्चरिस्ट को अपने प्रोड्यूस के बेचने पर कोई बिक्री कर न लगना चाहिये। तो आपका यह ६ पाई फी रुपया टैक्स लगाने वाली बात समझ में नहीं आती। जब प्रोड्यूसर अपने खाद्यान्नों को बेचता है तो दूकानदार उसको महंगे भाव पर खरीदते हैं। आखिर उनको जब टैक्स लगेगा तो भाव पर असर पड़ेगा ही और इससे निश्चित रूप से एग्रीकल्चरिस्ट सफर करेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती कि वह उस असर से मुक्त हो जाय। इंडाइरेक्टली उसको वह टैक्स लग जाता है। भले ही कहने की दृष्टि से यह टैक्स उस पर आप आयद नहीं करते हैं लेकिन वह उससे बच नहीं पाता, वह उसको देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिपोर्ट पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है और केवल रेवेन्यू की दृष्टि से आपने टैक्स लगाया है। जहां तक एक्जेम्पशन देने की बात है उसके बारे में में भी कुछ सजेशन रखे गये हैं। आपकी आज्ञा से कमीशन की रिपोर्ट के पेज ६५ में पैराग्राफ ५ की कुछ लाइनें उद्धृत करना चाहता हूं—

"Each state will have to determine its own list of exemptions on the basis of its revenue needs and the economic conditions, social habits of its people."

[श्री तेजप्रताप सिंह]

यानी केवल रेवेन्यू के आधार पर ही यह न रहेगा यह तय करते वक्त कि किन-किन वस्तुओं को एक्जेम्पशन दें, उसके लिये हमको यह देखना होगा कि कितना रेवेन्यू हमको बढ़ाना है। लेकिन साथ-साथ जो इकोनोमिक कंडीशन हमारे राज्य के रहने वाले की है और उनकी सोशल हैबिट्स क्या है इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन खेद है कि इकोनामिक कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया गया जैसा कि कल माननीय गेंदासिंह जी ने काफी विस्तृतरूप से इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा की कि हमारे रूरल एरियाज की करीब-करीब ७०,८० प्रतिशत लोगों की पर कैपिटा इनकम देखी जाय तो वह २०० रुपये से ऊपर नहीं होगी। रूरल एरियाज की इनकम १९४ रुपये के करीब है। वह १९४ रुपये की प्रतिवर्ष जो आय है वह उन लोगों की है जिनके पास जमीन नहीं है और जो २० फीसदी गांवों में रहते हैं तो इनकी हालत क्या होगी इसको भी कोई जाकर देखे। उस फूडग्रेन को सब लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी हालत क्या होगी? उनकी इकोनामिक कंडीशन कैसी है?

आप कहते हैं कि इकोनामिक कंडीशन को डेवलपमेन्ट करने के लिये ही यह प्लान बनाया है। आखिर जब किसी प्लान को हम जनता के सामने रखते हैं तो उसके साथ-साथ उसके सारे बलाबल का विचार भी हमें करना चाहिये। अगर हम इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं कि हमारी शक्ति क्या है जिन लोगों पर इस टैक्स का भार पड़ने वाला है उनकी शक्ति क्या है, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि बहुत सी जनता की बरबादी हो जायगी और इसके साथ-साथ उनकी भावना को ठेस भी पहुंचेगी और किसी भी राष्ट्र का उत्थान बगैर भावना के नहीं हो सकता है। कितना फर्क है हमारे समाज में? यदि हम सारी जनता की भावना की कदर नहीं करते हैं और जब कि हम उनकी भावना का ख्याल रखते हुये कोई प्लान नहीं बनाते हैं तब तो वास्तव में हम कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती कर सकते हैं। लेकिन अब यह कैसे हो सकता है खास तौर से जब हमने अपने यहां प्रजातंत्र पद्धति को स्वीकार किया है तब तो और भी यह आवश्यक हो जाता है कि लोगों की भावना विचार का ध्यान कर योजना बनावें।

श्री अध्यक्ष—अब लंच का समय हो गया है, आप सवा दो बजे अपना भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि किन वस्तुओं को एक्जेम्पशन मिलना चाहिये और किन पर टैक्स अधिक लगना चाहिये इस बारे में सरकार ने कुछ ठीक सोचा नहीं है। मैंने इस बारे में कुछ उद्धरण टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से दिये जिससे यह साबित होता है कि किन-किन वस्तुओं को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी एसेन्शियल गुड्स माना है और उन पर छूट देने की बात कही है लेकिन आपने इन बातों को भी नहीं माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कमीशन की रिपोर्ट पर आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप देखेंगे कि फूडग्रेन्स पर और केरोसीन आईल पर यह टैक्स लगाया जा रहा है जो लोगों के काम में रोजमर्रा आते हैं।

अब आपकी टैक्स लगाने की नीति यह है कि जो नयी इंडस्ट्रीज यहां कायम होंगी उनको बढावा देने के लिये आप सेल्स टैक्स में छूट दे रहे हैं। कुछ ही दिन हुए ऐसा विधेयक आपने सदन के सामने रक्खा था और यह अख्तियारात सरकार के लिये मांगे थे। यह जो रिपोर्ट है उसमें इस बारे में भी कहा गया है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ ६६ पर लिखा है—

"Apart from this, sales tax concessions are hardly a suitable method of encouraging particular industries, trades activities, etc."

यानी कुछ इन्डस्ट्रीज को सेल्स टैक्स से बरी करना कुछ अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी आप पावर लिये जा रहे हैं। यह कोई इनकरेज करने का तरीका नहीं है जिसको आप करने जा रहे हैं। आप ऐसे अख्तियारात लेने जा रहे हैं तो फिर यह रिपोर्ट किस लिये है? इन बातों से यह संदेह होता है कि आपने इस रिपोर्ट पर अच्छी तरह से विचार किया भी या नहीं। एक तरफ तो आप फूडग्रेन्स जैसी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगाते हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्टस का फेवर करते हैं कि उनका माल ज्यादा बिके। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो यह टैक्स लगाया गया है उसका असर आम जनता पर नहीं पड़ता। मुझे याद है कि जनरल डिस्कशन के बीच में लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने यह कहा था कि देहात में जो कपड़ा लोग पहनते हैं वह खद्दर होता है, खद्दर लोग पहनते हैं या हैन्डलूम पहनते हैं और उस पर हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने देहातों में लोगों को खद्दर पहनते हुए कहां देखा है? मैंने तो बराबर देखा है कि हमारी तमाम गरीब जनता जिसके पास पैसा कम है वह सब मिल का मोटा कपड़ा या मीडियम कपड़ा पहनती है और उसका कारण यह है कि वह सस्ता होता है। पता नहीं आचार्य जी ऐसी बात कैसे कहते हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि वह झूठ बोलते हैं या गलत बात कहते हैं। हो सकता है कि उनका देहात से कोई परिचय न हो और वह देहात जाते भी न हों और इसलिये उनका कोई सम्पर्क देहात की जनता से न हो और वह इसीलिये कहते होंगे कि देहात में लोग खद्दर पहनते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि एग्जेम्पशन उस चीज पर देना चाहिए कि जो गरीब आदमी के रोज के इस्तेमाल की चीज हो और इस वास्ते कोर्स और मिडियम क्लाथ भी एग्जेम्पशन वाली लिस्ट में आना चाहिये।

इसके साथ ही साथ में यह कह रहा था कि आप एक दलील यह देते हैं कि हमें डेवलपमेन्ट प्लान्स के लिये रुपया चाहिये। विकास तो सब चाहते हैं इसमें कोई २ रायें नहीं हैं। जितनी भी पार्टीज यहां हैं वह सब चाहती हैं कि राष्ट्र का उत्थान हो और यहां से गरीबी, अशिक्षा, अविद्या सब दूर हो और इस तरह की सारी बुराइयां दूर हों। लेकिन प्रश्न यह है कि वह उत्थान हो कैसे? क्या चन्द आदमी उसको करेंगे? आप कहते हैं उत्थान नहीं होगा जब तक राष्ट्र के सभी लोग उसमें में हिस्सा न लेंगे और उस वक्त तक कोई उत्थान होने वाला नहीं है इस बात को सभी मानते हैं। अब सवाल यह आता है कि वास्तव में यदि उत्थान करना है तो सबको दिलोजान से उस काम को करना होगा और जब सब के सहयोग देने से ही काम बनता है तो हमें यह भी देखना होगा कि वह किन हालात में सहयोग दे सकते हैं। वह सहयोग आपको मिलेगा यदि आप एक सही रीतिनीति उन के साथ बरतेंगे लेकिन अगर किसी गलत नीति से या आपके कामों से उनको दिक्कतें हुईं और उनका दिल टूट गया तो आप को जनता का सहयोग नहीं मिल सकता। ऐसा होता भी रहा है लेकिन जब हम अपने यहां डेमोक्रेसी को चला रहे हैं तो हमारे लिए यह अत्यन्त आवश्यक है

[श्री तेजप्रताप सिंह]

कि हम जनमत का आदर करें और जनता की राय को देखते हुए अपने को चलायें और उस हालत में हमें उसका सहयोग प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से हमने स्वराज्य की लड़ाई में सब का सहयोग पाया हम सब ने त्याग किया और हमने एक खास भावना आम जनता में पैदा की और हमें उसका सहयोग मिला और स्वराज्य प्राप्त हुआ। लेकिन उसी प्रकार अब जब कि देश के डेवलपमेन्ट की बात है तो हम उस सहयोग की बात को भूलते जाते हैं। हम खुद त्याग नहीं करते और दूसरों से त्याग करने की बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि तभी राष्ट्र का उत्थान होगा और हमारे राष्ट्र का दुनिया में नाम होगा जब हम इस समय त्याग करेंगे। आप देखते हैं कि इस का असर क्या होता है। आप रोज देखते हैं कि आप की जितनी सर्विसेज हैं जितने भी अहलकारान हैं उनके द्वारा गरीब साधनहीन को न्याय नहीं मिलता। क्या यहीं सदन में ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं कि देहात की जनता जो गरीब है उसके खेतों पर लोग काबिज हुए जा रहे हैं, उनकी अर्जियां अदालतों में पड़ी हुई हैं लेकिन उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है, गरीब पिसे जा रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है, न्याय मंहगा होता जा रहा है, कोई गरीब कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां जाना चाहे तो उनसे मिलना भी मुश्किल है। ये हालात आज समाज में हैं। तो हम कैसे उनकी भावनाओं को बढ़ा सकते हैं, उनकी उमंग को उठा सकते हैं कि वे डेवलपमेन्ट प्लान में आपका सहयोग दें। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी तभी राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। इसके बगैर उनका सहयोग पूरे से हमें मिलने वाला नहीं है। इन सारी चीजों को हमें देखना होगा। जब तक नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आपको यह भी देखना होगा कि आर्थिक हालत कैसी है, आर्थिक असमानता किस दर्जे तक बढ़ी हुई है। कोई मौज कर रहा है और किसी को एक वक्त भोजन भी नहीं मिलता।

किसी प्रोपोगेंडा की दृष्टि से न कह कर मैं यह कहना चाहता हूं कि हालत ऐसी है आज और आप भी देहात में जाते होंगे तो ऐसा देखते होंगे और आप कहते भी हैं कि उनकी हालत को उठाना है। इसी के लिये पैसा आप डेवलपमेन्ट के लिये इकट्ठा कर रहे हैं और कहते हैं तभी तरक्की होगी। लेकिन ऐसी तरक्की आप उन्हीं पर अकेले सारा बोझ डालकर नहीं कर सकते कि सारा भार गरीबों पर पड़े और जो अमीर है जिसके पास सारे साधन उपलब्ध हैं और पैसे हैं वे इन सब दिक्कतों से बचे रहें, वे न्याय भी पाते रहें, वे आपकी स्टेट सर्विसेज से फायदा भी उठाते रहें, अपनी रक्षा भी कर सकें। तो ऐसी हालत में जब हम यह भेद देखते हैं तो जो आम लोग हैं उनकी भावनायें अच्छी कैसे हो सकती हैं। ये देखने में छोटी बात हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत गम्भीर बातें हैं ये। जब तक हम इस दृष्टि से नहीं देखेंगे, जब तक हम इसका गहन अध्ययन नहीं करेंगे और अपने में जाग्रति नहीं लायेंगे और उसके अनुसार निष्पक्ष रूप से हम शासन नहीं चलायेंगे तब तक हमें उनका कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है।

अब पैसा आप कहते हैं कि हमें मिलना चाहिये। इसलिये बहुत सी ऐसी वस्तुओं को भी हम एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिये कि कर वसूली का शासन जैसा चल रहा है वह कैसा चल रहा है। मैं समझता हूं कि वह काफी डिफेक्टिव है। उसमें बहुत ज्यादा गुंजायश है कि सुधार किया जाय। वैसे तो शायद आप मेरी बात कभी मानेंगे नहीं। न आप कभी उत्तर देते हैं न कभी सुनने की तकलीफ गवारा करते हैं लेकिन मैं जो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन

है उसकी रिपोर्ट से उनकी राय इसके प्रशासन के संबंध में क्या है, पढ़ता हूं, उससे पता चलता है कि आज हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन की हालत क्या है। यह सफा ६८ है उसमें दिया हुआ—

"We cannot wholly discount the allegations made to us in several States that there was corruption in the administration of the tax or that evasion was on the increase; and we have evidence to show that assessments have not been prompt and that arrears are on the whole mounting."

तो एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं, एवेजन हो रहा है। जनता पर तो भार उस टैक्स का पड़ता ही जा रहा है उसे तो डीलर्स कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन वह स्टेट एक्सचेकर तक आता है या नहीं या बीच में ही गायब हो जाता है इसे देखना है। आपने एक धारा रक्खी है जिसमें आप कम्पोजिशन करने की व्यवस्था कर रहे हैं और माननीय गेंदासिंह जी ने कल जैसा कहा उससे इवेजन और करप्शन की बहुत ज्यादा गुंजायश बढ़ रही है। जो ८ हजार देगा उसको १२ हजार में शामिल किया सकता है और जो १२ हजार के ऊपर का है उससे टैक्स लिया जा सकता है यानी जिसका टर्न ओवर २० हजार हो उसको १५ हजार से नीचे ले आये। इस तरह से कम्पोजीशन का तरीका इस्तेमाल होगा। १२ हजार से नीचे का जिसका टर्नओवर है वह जनता से टैक्स लेता है, उसकी कोई रोकथाम नहीं है, वह लेता रह सकता है और आपके पास तक पहुंचे भी न राज्य के कोष में पड़े भी न और जनता पर वह भार लादता जाय। ऐसी व्यवस्था करते हैं तो इसको क्या कहा जाय। तो ये सारी बातें हैं जिनसे करप्शन बढ़ रहा है और आगे भी गुंजायश है कि करप्शन बढ़ेगा। एरियर्स के लिए उन्होंने कहा कि वह तो बढ़ोत्तरी पर है। तमाम इन चीजों को और सारे शासन प्रबन्ध को, आप दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। उन पर आप की ठीक से निगाह नहीं है और अगर निगाह होती तो रेवेन्यूज आप की बढ़ती। एरियर्स कम होते, रिअलाइजेशन ज्यादा होता। आप का धन बढ़ता। लेकिन इधर आपने ध्यान नहीं दिया। वह सब घपला चल रहा है। पैसा पड़ा हुआ है और आप नया टैक्सेशन मेजर लगा रहे हैं। वह भी टैक्सेशन मेजर कैसा कि आर्डिनेंस के जरिये। यूनाइटेड किंगडम में कहीं भी ऐसा कोई टैक्सेशन मेजर नहीं आया जिसको बिना पार्लियामेंट की राय के लगाया हो। आप एक भी मिसाल नहीं पा सकेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन मेजर आर्डिनेन्स के जरिये लगाया हो। वार टाइम तक में नहीं लगाया। यह हो सकता था वार टाइम चल रहा है, पार्लियामेंट को कब बुलाएं और कब सलाह लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन तरीकों को आप ने इस्तेमाल किया और लगाया। ये सारी दिक्कतें चल रही हैं और लोगों की भावना खराब हो रही है। इस शासन को भी आपको ठीक करना होगा। अब आप देखें कि यदि आप फूडग्रेन्स पर छूट देते हैं, जैसा कि मैं मांग कर रहा हूं, गुड़ पर छूट देते हैं, कोर्स मीडियम क्लाथ पर छूट देते हैं, मिट्टी के तेल पर छूट देते हैं तो इससे रेवेन्यूज में कमी होगी। अब रेवेन्यूज में कमी होगी तो आप यह पूछेंगे कि यह आखिर धन आये कहां से। उसके लिये भी इस रिपोर्ट में आप को सलाह मिलती है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं नहीं पूछूंगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—आप पूछते भी नहीं और सुनते भी नहीं हैं। दिक्कत तो यह है। अब लग्जरी गुड्स जो हैं, मेरे सुझाव को आप माने या न मानें, लेकिन उन पर गौर तो करें। लग्जरी गुड्स पर अधिक कर लगाया जा सकता है, फूडग्रेन्स पर आप ने छः पाई लगाया और फिर इधर उस दिन भाषण में यह घोषणायें की कि कुछ मोटर वेहिकिल्स पर, रेडियो सेट्स पर आप कुछ छूट दे रहे हैं, एक आना से छः पायी कर रहे हैं। पहले सिद्धांत की

[श्री तेजप्रताप सिंह]

बात मैं आप से कहूं, फिर उसके बाद उसको देखूंगा। लग्जरी गुड्स हैं कौन से आप को इस रिपोर्ट के सफा १३ पर मिलेगा।

"The articles common to most schedules are :

(i) motor vehicles and their accessories;

(ii) refrigerators and air conditioning plants;

(iii) wireless reception sets, radios, gramophones, etc;

(iv) cinematographic, photographic and other cameras and accessories;

(v) electrical goods, instruments, etc;

(vi) fountain pens, pencils of costly types;

(vii) clocks, time pieces, watches and parts thereof;

(viii) upholstered furniture, iron and steel safes, almirah and furniture;

(ix) arms and ammunitions and

(x) perfumery, cosmetics, vanity bags, furs."

इतने आर्टिकिल्स हैं जिनको कि करीब-करीब अपने भारतवर्ष के सभी राज्यों में लग्जरी गुड्स माना हुआ है। लेकिन अब आप ने क्या किया है। आपने आर्डिनेन्स के जरिये जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें ४५ (क) पर दिया है, बेतार प्रसारणी ग्रहण यन्त्र तथा उनके उपकरण। (ख) में दिया हुआ है— रेडियो, ग्रामोफ़ोन तथा उनके भाग। इन पर आप ने कितना लगाया है? एक आना प्रति रुपया और अगर गलत नहीं है मैं जैसी कि वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि हम कुछ वस्तुओं पर जैसे मोटर वेहिकिल्स हैं इन पर १ आने से ६ पाई कर लेंगे। बुलियन और स्पेसी में ५०० रुपये पर जो लगाया था अब ४ हजार लिमिट कर दी गई है। तो इस तरह से आप ने छूट दी है। जब कि उन पर बढ़ाना चाहिये था। रिपोर्ट में कहा हुआ है कि जितने लग्जरी गुड्स हैं उनकी फेहरिस्त बढ़ायें और फेहरिस्त बढ़ाने के साथ-साथ आप ९ पाई से २४ पाई तक उन पर टैक्स लगायें। अब आप १२ पाई लगाये हुये हैं, आप २४ पाई लगा सकते हैं, जो चीजें रोजमर्रा के काम में नहीं आतीं जनता के उन पर टैक्स आप बढ़ा सकते थे। जो वेल टु डू हैं, जो खाते पीते हैं, जो अच्छी हालत में हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स अधिक बढ़ाया जाय तो अच्छा होता और वह सोशलिस्टिक प्रिन्सिपल्स के अनुकूल होता। लेकिन नहीं ऐसा कर रहे हैं आप। अब इस सिद्धांत की भी अवहेलना मैं समझता हूं आप ने की है। एग्जेमप्शन्स किन २ वस्तुओं पर मिलना चाहिये, क्या-क्या सिद्धान्त हैं उसका कुछ ब्यौरा दिया हुआ है, एग्जेमप्शन्स के लिये चार कैटेगरीज दी हुई हैं। पहली कैटेगरी में आती हैं— certain goods which are treated as essential for various reasons" जो आम जनता के काम में आती हैं उनको इसेंशियल गुड्स मान लिया जाय और एगजेमप्शन दिया जाय। दूसरा क्राइटेरिया है—goods which are already taxed appreciably under other laws. कई और आर्टिकिल्स हैं उनके ऊपर टैक्स है तो बरी कर दिया जाय। तीसरे हैं —products of eartain cottage and village industries इसके बारे में मैंने कहा कि आप से कि बहुत से गृह उद्योग जो हैं उनको आप को छोड़ना चाहिये उन पर आप को टैक्स नहीं लगाना चाहिये और साथ-साथ जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पर लगाना चाहिये टैक्स। और इसके विरुद्ध आप उन बड़ी इंडस्ट्रीज को छूट देने जा रहे हैं। तो यह सारी बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं इसका अच्छा असर कैसे हो सकता है। तो पहली कैटेगरी में आपके

फूड ग्रेन्स, मिल्क, फ्रेश वेजीटेबिल्स आते हैं। तो आपने मिल्क पर छूट दी लेकिन फूड ग्रेन्स क्यों छोड़ दिया, उस पर क्यों आप टैक्स लगाना चाहते हैं। अब एग्जमशन्स की लिस्ट में आप देखेंगे कि मद्रास में सब से बड़ी लिस्ट है। करीब तीन आर्टिकिल्स ऐसे हैं जिन पर छूट दी है उन्होंने। तो आप कहेंगे कि वहां ३ हैं हम तो ५, ६ दे रहे हैं। बड़ा अच्छा है लेकिन सौराष्ट्र में ६० आर्टिकिल्स ऐसे हैं जिनको एग्जमप्ट कर रखा है। बहरहाल इससे अपने राज्य को कोई न कोई आधार निकालना चाहिये। स्थिति को देखना चाहिये कि कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती हैं और उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिये। लेकिन आप उनका कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं और इन अत्यावश्यक चीजों पर कर लगाते चले जा रहे हैं। तो मेरा आप से आखिर में यही सुझाव है, मैं समझता हूं कि मानेंगे तो आप नहीं लेकिन जैसा मैंने पहले आप से कहा था कि आर्डिनेंस तो कुछ जारी किया आपने और उसके बाद फिर कुछ अपना विचार बदला, चाहे जिन कारणों से बदला, लेकिन बदला और बिल पेश करते वक्त आपने कुछ और चीजें रखीं और कुछ भी वस्तुओं पर छूट दी और फिर जब आप ने यहां स्पीच दी उसको पेश करते हुए तो फिर कुछ और तीसरा अमेंडमेंट हुआ। तो गुंजाइश इस बात की है, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि जब इस पर धारावार विचार होगा, बिल पर, तो हम सुझावों को सुनेंगे और मानेंगे भी, तो इस ख्याल से मुझे आशा होती है कि आप फूड ग्रेन्स, मिट्टी के तेल और गुड़ और कपड़ा, कोर्स क्लाथ एंड मीडियम क्लाथ, इनको जरूर बरी कर देंगे सेल्स टैक्स से।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और मैं समझता हूं कि यदि इस अमेंडमेंट को आप स्वीकार कर लेते हैं तो सारी बातें उसमें आ जाती हैं। अब रह जाता है सिर्फ केरोसिन आयल के लिये और कोर्स क्लाथ और मीडियम क्लाथ के लिए, वह नोटीफिकेशन के द्वारा आप उनको बरी कर सकते हैं क्योंकि मूल अधिनियम में जो धारा ४ (१) है उस में कोर्स क्लाथ, मीडियम क्लाथ और मिट्टी का तेल नहीं रखा हुआ है तो उसको नोटीफिकेशन से राज्य सरकार बरी कर सकती है, ऐसा अधिकार उसमें है। तो मैं समझता हूं कि इन चार चीजों पर आप निश्चित छूट देंगे और तभी आम जनता की भावना की आप कद्र कर सकते हैं और तभी कुछ सहयोग पाने की आप आशा भी कर सकते हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, खंड ६ के उपखंड १ में जो संशोधन पेश किये गये उनकी सूची मैंने देखी है और मैं समझता हूं कि यदि उनको सबको मान लिया जाय तो यह जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है इसका पेश करना बेकार हो जायगा। जहां तक कि माननीय नारायणदास जी ने फूडग्रेन्स की बात कही, उनकी जो भावनायें हैं उनसे मेरी पूरी सहानुभूति है। माननीय गेंदा सिंह जी ने भी जो अपनी स्पीच दी उसमें जो उन्होंने अपने सेंटीमेंट्स रखे, अच्छे थे। मगर मैं समझता हूं कि वह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से नहीं रखे गये। हमको एक बात साफ सोचनी है और वह यह कि यदि मंशा यह है कि सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल न आये, गोकि वह आ भी गया है, या पास न किया जाय तो दूसरी चीज है, लेकिन यदि इसको पास करना है और जिस अभिप्राय से इसको लाया गया है उसको पूरा करना है तो हमको थोड़ा सा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें शक नहीं कि यह बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छा होता अगर अनाज के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया होता, इसकी कोई खुशी हमको नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार को भी नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक मजबूरी सामने है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये पैसे की आवश्यकता है लिहाजा जिन आइटम्स से अधिक पैसा मिल सकता है उनकी खोज की गयी। इसीलिये अनाज पर भी टैक्स लगाया गया। फिर अनाज का टैक्स कोई यू० पी० के लिये अनोखी चीज नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश में और भी ऐसे प्रदेश हैं जिनमें अनाज के ऊपर सेल्स टैक्स है। जहां तक कि उन्होंने यह कहा कि अनाज के टैक्स से लोगों पर बोझ पड़ता है, सही बात है। अनाज एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करती है और उसका टैक्स अमीर और गरीब सब पर पड़ता है और उसी

[श्री नवलकिशोर]

अनुपात में पड़ता है जिसमें कि वह उसको खाते हैं। लेकिन चारा क्या है? हमको बताया गया है कि इस अनाज से सरकार को यह उम्मीद है कि करीब ३ करोड़ रुपया मिलने वाला है। जो भी आंकड़े सरकार की तरफ से हैं, मैं बता रहा हूं कि तीन करोड़ की आशा है और जब वह सिंगिल प्वाइन्ट हो जायगा तो मैं समझता हूं कि वह करीब डेढ़ करोड़ या पौने दो करोड़ हो जायगा। तो या तो हम यह सोच के बतायें कि डेढ़ करोड़ या पौने दो करोड़ की आमदनी कौन से ऐसे दूसरे टैक्सेज हैं जिनसे कि हम पूरा कर सकते हैं? माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने कहा कि जो आपके लग्जरी गुड्स हैं उन पर आप टैक्स बढ़ा दीजिये। सिद्धांत ठीक है, मैं भी उनसे सहमत हूं, मगर एक कठिनाई है कि जो मौजूदा विधेयक है इसमें जो प्रेसीडेंट की कनसेंट ली गयी वह उन्हीं दरों की ली गयी जोकि दी गयी हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं कि लग्जरी गुड्स पर टैक्स बढ़ाना चाहिये, लेकिन अगर बढ़ाते हैं तो दोबारा प्रेसीडेंट की कनसेंट लेनी पड़ेगी। तो इतनी बात तो मैं भी चाहूंगा और मैं उनसे इत्तफाक करता हूं जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बतलाया कि आगे चलकर ६ महीने बाद जो एक काम्प्रिहेन्सिव बिल आयेगा उस वक्त वह ख्याल करेंगे कि लग्जरी गुड्स पर टैक्स बढ़ाया जाय। अगर बढ़ जाय तो बहुत ही अच्छा है।

अनाज के टैक्स की बाबत हम यह देखते हैं कि यह जो टैक्स का तरीका हमने विधेयक में रखा उसमें जो प्रोड्यूसर हैं उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता। आम तौर से जो आंकड़े हैं वह यह है कि ७४ फीसदी आदमी खेती के ऊपर अपना जीवन आधारित करते हैं। सब के पास उतनी खेती नहीं होती कि वह अपना पेट पाल सकें, फिर भी अन्दाजन अगर हम यह मान लें कि ५५ या ६० फीसदी वह आदमी हैं जो अपने खाने लायक गल्ला पैदा करते हैं और उसके साथ हमारे भूमिहीन लोग और देहात के लोग जो अपने बाजारों से आम तौर से गल्ला खरीदते हैं उनकी तादाद १० परसेंट होगी। कुछ सीधा काश्तकार से भी खरीद लेते हैं। इस तरह से ७० फीसदी आदमियों के ऊपर अनाज का टैक्स नहीं पड़ेगा। ३० फीसदी आदमियों पर अनाज का बोझ पड़ेगा, खास तौर से उन पर जो शहरों में रहते हैं और फिर जबकि आपने यह तय किया और इस भवन ने भी यह तय किया कि प्रदेश का विकास करना है और डेवलपमेंट करना है तो यह सोचना है कि डेवलपमेंट के लिये जो पैसा आयेगा, क्या यह उचित नहीं होगा कि उसके अन्दर कुछ सहयोग या कुछ योग देहात से भी मिलना चाहिये? अच्छा यही हो सकता है कि हमारे इस प्रदेश की जितनी जनता है, छोटी या बड़ी कुछ थोड़ी-थोड़ी आहूति इस विकास के यज्ञ में अपनी ओर से दें तभी जाकर यह काम पूरा हो सकेगा।

एक बात कही गयी और पूछा गया कि कितनी बेकारी है, कितनी गरीबी है और कितने आदमी भूमिहीन हैं? विकास का ध्येय यही है कि हमारे प्रदेश से बेकारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो और जहां तक सम्भव हो भूमिहीन लोग भी भूमि पास सकें। एक तरीका तो, जैसा कि हमारे विरोधी दल के लोग भी बताते हैं और हम में से तो भी बहुत से शख्श सहमत हैं वह यह है कि भूमि का बटवारा हो, लेकिन वह तो यहां सवाल नहीं है। उसके साथ-साथ जो इस प्रदेश में इंडस्ट्रीज हैं वह बढ़ें और दूसरे डेवलपमेंट के, विकास के काम हों तभी उनसे हमारे प्रदेश की बेकारी दूर होगी और उसी कार्य के लिये यह टैक्स भी लगाया गया है।

जहां तक सवाल इंसीडेंस का है, यह सही है कि जब तक हमारे यहां मल्टीपिल प्वाइन्ट रहेगा तब तक ६ पैसे से दो आने और कहीं-कहीं ढाई आने फी रुपया भी लोगों पर टैक्स पड़ जायेगा। मैं समझता हूं कि अनाज के लिये यह बहुत बड़ा बोझ है और मैं बहुत जोर के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरफ सरकार ध्यान दे। माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अपने भाषण में यह संकेत किया था कि कोर्स फूड को वह एग्जेम्पट कर दें, इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि उसमें कुछ छूट हो सकती है या नहीं। अगर मैं तो आम तौर से यह कहता हूं और मैंने ऐसा पहले के भाषण में भी कहा कि जब तक कि आप सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स नहीं लगाते उतने टाइम तक के लिए आपका जो ६ पाई फी रुपया मल्टीपिल प्वाइंट टैक्स है वह ३ पाई फी रुपया रहना

चाहिये और इस बात की आप घोषणा कर दें कि जब सिंगिल प्वाइंट करेंगे तो ६ पाई फी रुपया रहेगा। ग्रेन के ऊपर जो बोझ है वह बहुत ज्यादा बोझ है तो कम से कम इतना तो होना चाहिये कि ६ पाई की जगह ३ पाई फी रुपया इंटेरिम पीरियड में कर देना चाहिये।

जहां तक काटेज इंडस्ट्रीज का सवाल है उनके लिये इस प्रदेश में प्रोटेक्शन रहना चाहिये, उनकी रक्षा होनी चाहिये। और इसके लिये मैंने पहले भी एक सुझाव दिया था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब और इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब आपस में बैठकर इस बात को तय करें कि हमारे प्रदेश में काटेज इंडस्ट्रीज के हित में किन टैक्सेज का होना उचित होगा और किन टैक्सेज का होना उचित नहीं होगा। चूंकि यह नीति कोई अच्छी नीति नहीं होगी कि हम इधर करोड़ों रुपया जनता से इकट्ठा करें विकास के लिये और दूसरी तरफ हमारे व्यापार और हमारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जायं। इन दोनों के बीच एक संतुलन अवश्य होना चाहिये। तो यह भी एक बड़े महत्व की चीज है और उसका निर्णय भी मिनिस्टीरियल लेविल पर होना चाहिये। जहां तक और बहुत सी चीजें हैं उनके लिये मैंने पहले ही कह दिया कि यदि सब को छूट दे दी जाय तो विधेयक ही निरर्थक हो जाता है।

माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने कहा सौराष्ट्र में ६० आइटम्स हैं जिन पर छूट है और दूसरी मिसाल मैं देता हूं मद्रास की है जहां सिर्फ तीन आइटम्स हैं, अब उन्होंने ६० की कही और मैं तीन की कहूं तो उससे कोई बात बनती नहीं है। सिर्फ देखने की बात यह है कि टैक्स लगाना है और यह भी सही है कि वह इस तरह से होना चाहिये कि नेसेसिटीज आफ लाइफ पर जितना कम से कम इंसीडेंस टैक्सेशन का आ सके उतना अच्छा है और जितना गुड्स आफ लग्जरीज पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स हो वह ले लिया जाय, इस नीति को ध्यान में रखते हुये हम को टैक्स लगाना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने दिया है कि खंड ६ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मेरा दुर्भाग्य है कि इस बिल के जेनरल डिबेट के बारे में मुझे बोलने का मौका नहीं मिला और मैं अपने विचार नहीं रख सका। मैं आज वह अपने विचार प्रकट करूंगा कि श्रीमन्, जब यहां बजट आया था तो मैंने उसी समय यह कहा था कि जनता पर कर का भार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह इतना अधिक लग चुका है कि अब जनता में देने की क्षमता बाकी नहीं रही। श्रीमन्, उसमें ९ का घाटा दिखलाया गया था। मैं यह समझता था कि सरकार रिजर्व में रखने के लिये कुछ उपाय करके पैसा ले आवेगी, लेकिन जिस प्रकार से श्रीमन्, यह टैक्स लादा जा रहा है उसका सभी ओर से विरोध हुआ है और होगा। स्वयं सरकार के जो साथी हैं उन्होंने भी काफी विरोध किया और इतने विरोध की वजह से सरकार ने कुछ बातों को मान लिया है। माननीय नवल किशोर जी अभी कह रहे थे कि वह मानते हैं कि अनाज पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। लेकिन फिर भी विकास तो होना ही है इसलिये टैक्स लगाओ यह कह रहे थे। जब वे मानते हैं कि अनाज पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये और इसका असर गरीब जनता पर ही अधिक पड़ेगा तो वे साफ-साफ क्यों नहीं कहते? मैं कहता हूं कि ऐसे विकास को लेकर हम क्या करेंगे जिसमें हमें कष्ट हो, हमें खाने के लिये तकलीफ हो ऐसी नहरें और तालाब लेकर हम क्या करेंगे? मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि जनता के ऊपर जो टैक्स लदा हुआ है वही काफी है। आज यह भी बहुत साफ है कि अनाज की बहुत बड़ी कमी है और उसको पूरा किया जाय। उसको पूरा करने के लिये, पानी देने के लिये नहरों और तालाबों का विकास किया गया। अनाज की कमी पूरी हो गयी। उस समय कृषि आयकर नहीं लगा हुआ था, लेकिन आज लगा हुआ है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया है कि इस प्रान्त का हमको आर्थिक विकास करना है, हमें अपने उद्योगों को बढ़ाना है। यह सही है, लेकिन जब कृषि आयकर मौजूद है तब इतनी कड़ाई के साथ इस बिक्री कर का लाना मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से उचित है। एक ओर तो सरकार यह कहे कि हमारे छोटे बड़े उद्योग-धंधे बढ़ें और दूसरी तरफ ऐसा बिल लायें जिससे जड़ ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

खत्म हो जावे । तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार कोई कमीशन बैठा कर या किसी और तरह से जांच कराये और देखे कि जो बिक्री कर बढ़ रहा है, जैसे मिट्टी का तेल, अनाज वगैरह पर, जिनके लिये हमने इस संशोधन द्वारा प्रार्थना की है कि उनको छूट दे दी जाय वह कर भार जनता पर पड़ता है या नहीं । हमारे एक उपमंत्री आचार्य जी बोले कि ८० फीसदी जनता पर भार नहीं पड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि मिट्टी का तेल कौन खरीदता है, गुड़ कौन खाता है ? यह मेरी समझ में नहीं आता कि केवल चन्द आदमियों पर ही यह भार कैसे पड़ेगा ? अभी हमारे माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि ७० फीसदी किसानों पर नहीं पड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त बिक्री कर लगेगा उस वक्त गल्ले का भाव उसी तरह से लगायेंगे जिसमें उनका बिक्री कर आ जाय । किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने गल्ले को रोक सके या अच्छे भाव से बेच सके । तो यह जो कहा जाता है कि इसका भार चन्द आदमियों पर पड़ेगा, और गरीबों को नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ बड़े-बड़े आदमियों पर पड़ेगा, यह सब गलत चीज है ।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मुमकिन नहीं है कि ९५ करोड़ के बजट में ४ करोड़ की कमी कर सके । सरकार ने एक एस्टीमेट्स कमेटी बनायी है जिसके माननीय सदस्य जो अभी बोल चुके हैं चेयरमैन हैं । ९ रिपोर्टें हम लोगों ने दीं कि फलां-फलां डिपार्टमेंट में यह कमी कीजिये, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने एक भी सुझाव पर ध्यान नहीं दिया । तो एक तरफ तो जनता पर मनमाने टैक्स बढ़ते चले जायं और दूसरी तरफ जब सरकार को कमी करने के सुझाव दिये जाते हैं तो वह उन पर अमल नहीं करती है । तो मैं क्या समझूं कि जनता का रुपया ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं । अखबारों के द्वारा लोगों ने सरकार को बहुत से सुझाव दिये और जो हमारा छोटा मोटा विरोधी दल है इस सदन में उसने बहुत सी बातें आपको बतलायीं । लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि कभी क्लोजर मोशन आता है, कभी एक ही दिन में समाप्त करने की बात होती है । अगर आपको यह करना है तो ठीक है । लेकिन जब मंत्री महोदय ने इतनी बातों को माना है और कई चीजों को छोड़ दिया है, जिस तरह से और भी जरूरी चीजें थीं उन पर से सेल्स टैक्स कम कर दिया तो अनाज पर भी कम करना चाहिये । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर पंचवर्षीय योजना के लिये जनता का सहयोग चाहते हैं, आज लोगों का ख्याल यह भी है कि कुछ नहीं हुआ है लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं और मानता हूं कि जो कुछ हुआ है वह देहात के लोगों के फायदे के लिये हुआ है । अगर आप उनका उत्साह भंग नहीं करना चाहते हैं इस टैक्स को न लगायें । अगर अनाज पर या मिट्टी के तेल वगैरा जैसी चीजों पर आप टैक्स लगायेंगे तो उनका ख्याल यह होगा कि सरकार डेवलपमेंट के भुलावे में डालकर हम लोगों पर टैक्स लगाना चाहती है ।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप ८-१० करोड़ रुपया और तरह से बचा सकते हैं और जैसा कि गेंदासिंह जी और तेजप्रताप सिंह जी आदि ने बतलाया और मैं भी दस साल से इस सभा का मेम्बर हूं और जानता हूं कि अगर सरकार ५।१० करोड़ रुपया खर्च कर सकती है तो बचा भी सकती है, लेकिन मैं समझता नहीं हूं कि मंत्री जी ने इधर ध्यान क्यों नहीं दिया है । यह नहीं होना चाहिये कि सरकार ने एक बिल पेश कर दिया और अपोजीशन करने पर आप चाहते हैं कि जरूर पास किया जाय । आप इसको पास कर दीजिये और एक आध करोड़ इससे ले लीजिये, और जिस तरह से आपने और चीजों पर से टैक्स हटा लिया है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि इस को भी निकाल दिया जाय तो इससे गरीबों के ऊपर असर पड़ेगा और वही चीज निकल जाती है जो गरीब इस्तेमाल करते हैं । आपका रुपया भी बढ़ जायगा और फिर आपकी बकाया पड़ी हुयी है बिक्री कर की और केन सेस में सख्ती कर दीजिये । अभी तो असेम्बली चलेगी, दुबारा टैक्स लगा दीजिये यदि आपका काम न चल सके ।

सरकार के लिये यह उचित है कि विरोध को देखते हुये, जनता की बेकारी को देखते हुये यह न समझें कि इसका विरोध सोशलिस्ट पार्टी ने किया है या प्रजा पार्टी ने किया है, बल्कि

यह जनता की पुकार है और आपके गौतम जी ने भी कहा है और इसका एक कारण है श्रीमन्, कि जनता अब कर के बोझ को बरदाश्त करने के लायक नहीं है। इस पर पंचायत राज्य टैक्स वगैरह बहुत से लगे हुये हैं, इर्रीगेशन रेट कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। श्रीमन्, मैं फिर अर्ज करूंगा कि सरकार को पुनः इस पर विचार करना चाहिये और ठंडे दिल से सोचना चाहिये कि आप जो टैक्स लगा रहे हैं इसको बजट में से पूरा कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप जनता को कष्ट दें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ताराचन्द महेश्वरी (जिला सीतापुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने जिस तरह इस संशोधन का समर्थन किया है मैं उसका विरोध करता हूं। सलाह तो उन्होंने मुनासिब दी है कि अनाज पर टैक्स न लगायें और अन्य आवश्यक चीजों पर न लगायें। वह जो कहते हैं और यदि मैं भी दुहरा दूं तो यह सही है कि बाहर निकलने पर मेरे लिये भी सम्मान सूचक शब्द मिल जायेंगे। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस भावना को उभारकर हम अपने प्रदेश के शासन को कैसे चला सकते हैं और अगर हमें इसका ख्याल है तब तो टैक्स जैसे लगाने वाले अप्रिय कार्य को करना पड़ेगा, भले ही वह अच्छा लगे या बुरा। विचार की बात तो यह है कि हम सब सदन में बैठते हैं और एक सिरे से मांग पेश करते हैं कि प्रदेश में विकास कार्य किये जायं। अब प्रश्न यह रह जाता है कि विकास के कार्य क्या जादू के डंडे को फेरकर किये जायें? विकास का कार्य करना है तो उसके लिये पैसा चाहिये और पैसा इकट्ठा करना है तो कर्ज लेकर किया जाय या टैक्स लगा कर किया जाय, उसके यही दो तरीके हैं। कर्ज लेकर हम विकास का कार्य करें तो किसी बड़े मुल्क के सामने हमको झुकना पड़ेगा और उसकी कुछ न कुछ शर्तें हमको माननी पड़ेंगी तब इतने बड़े पैमाने पर सारे देश में विकास का कार्य हो सकेगा। यदि हमको यह मंजूर नहीं है तो हमारे सामने एक ही तरीका और बच जाता है कि हम कठिन परिश्रम करें और अपने ऊपर स्वयं टैक्स लगवायें और इस टैक्स लगवाने के सिलसिले में जब मैं कहता हूं तो मेरी राय है कि जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो पायेगा और यह टैक्स लगाने का कार्य हमको कई वर्षों तक करना पड़ेगा। यह सही है कि आगे आने वाला जो समय है साल, डेढ़ साल के भीतर चुनाव के लिये हम कोई जमीन तैयार कर रहे हों तो जरूर हमको यह टैक्स नहीं लगाना चाहिये, अन्यथा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति टैक्स के लगाये जाने का विरोध इस निर्माण के समय नहीं करेगा। यह बात दूसरी है कि टैक्स किस प्रकार लगें, किस वस्तु पर लगाय जाय और किस वस्तु पर न लगाया जाय। इस पर विचार किया जा सकता है और इस पर विचार करने के लिये जब आर्डिनेंस लगाया गया था उसके बाद तुरन्त ही हमारे मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि हम को तो रुपया इकट्ठा करना है, नमक और गल्ले पर टैक्स लगाने की जिद नहीं। अगर आप कहें तो टैक्स इधर से उधर हटाया बढ़ाया जा सकता है। इन बातों को कहने के बावजूद भी सदन के भीतर और बाहर जो व्यक्ति टैक्स न लगाने की बात कहते हैं वह यह नहीं बताते कि रुपया किस तरह से इकट्ठा किया जाय। नमक पर टैक्स खत्म हो गया, लेकिन उसके सिलसिले में मैं एक बात अपने विरोधी मित्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

हमारे सामने नमक पर टैक्स लगाने की बात जब उठायी जाती है तो पूज्य बापू जी का नाम जरूर लिया जाता है। पूज्य बापू ने जब नमक सत्याग्रह किया था क्या उनके दिमाग में केवल यह बात थी कि नमक पर टैक्स लगाने जाने का विरोध हमको इसलिये करना चाहिये कि वह एक नया टैक्स लगाया गया है? मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में यह बात जरूर आयी होगी कि नमक का टैक्स छोटे और बड़े सब को देना पड़ता है। उस समय भी टैक्स नमक के अलावा और चीजों पर भी लगा हुआ था, तथा तादाद में अधिक था लेकिन पूज्य बापू ने केवल नमक पर सत्याग्रह करने की बात क्यों सोची? इस सवाल पर मेरे दिमाग में एक बात पैदा होती है और वह यह है कि पूज्य बापू ने इस प्रश्न को लेकर भारतवर्ष की

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

आत्मा को छूने का प्रयास किया था और वह काम नमक के टैक्स का विरोध करके ही किया जा सकता था। गरीब और अमीर सब नमक खाते हैं, थोड़ा या ज्यादा सब उस पर टैक्स अदा करते थे, इसलिये पूज्य बापू ने नमक के टैक्स का विरोध किया। वैसी ही परिस्थिति आज देश के सामने है। जिस तरह से पूज्य बापू ने अंग्रेजी राज्य को देश से बाहर निकालने का प्रयास किया नमक सत्याग्रह करके, उस प्रश्न को लेकर सारे भारत की आत्मा को छूने का प्रयास किया, आज भी देश के सामने उसी प्रकार की परिस्थिति है, उसी प्रकार की समस्या है। आज हमारे सामने देश के नव-निर्माण रूपी यज्ञ की समस्या है, उसमें गरीब और अमीर सबको अपनी २ आहुति डालनी है। यदि हम आज फिर नमक पर टैक्स लगाते तो उसके द्वारा हम भारत के नव-निर्माण में गरीब और अमीर सब को हिस्सा लेने के लिये प्रेरित करते। आज तो उससे भी भीषण परिस्थिति हमारे सामने है, इसलिये कि देश की आजादी प्राप्त करना आसान था पर उस आजादी को बचाना, उसकी रक्षा करना, देश का नव-निर्माण करना उससे कहीं अधिक कठिन है। तो भावनाओं को उभार कर इस प्रयत्न में बाधा देना कोई अच्छा काम नहीं है।

मैं बहुत ही अदब के साथ एक गुजारिश और करना चाहता हूं। मरहूम कायदे आजम मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसी प्रकार से देश की भावनाओं को उभारा था और उसका प्रत्यक्ष परिणाम आज हमारे सामने है। आज कुर्सियां किसी दूसरों के हाथों में हो, ओहदों पर कोई दूसरे लोग बैठे हों, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि हमेशा इस तरफ के लोग ही ओहदेदार नहीं होंगे। आप के सामने भी यही सवाल आ सकता है। आपको भी सरकार बनाने का मौका संभव है मिल जाय। तो क्या उस वक्त भी आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इसी तरह से जनता के भीतर जाकर उभार पैदा करेंगे? मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप स्वस्थ परम्परायें कायम कीजिये और भावनाओं को उभार कर देश में और प्रदेश में एक खिलवाड़ न कीजिये। और उस खिलवाड़ का नतीजा बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। अनाज से संबंधित टैक्स लगाने का जो भाई विरोध करते हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि विरोधी बेंचों पर बैठ कर उन्होंने कभी ऐसा प्रयत्न किया है जो देश के लिये लाभप्रद समझा जा सके? जब गतवर्ष अनाज के भाव नहीं गिरे तो सरकार को अपनी खरीद करनी पड़ी और सरकार के खरीद के परिणामस्वरूप १० रुपये मन पर गेहूं का भाव रुक सका और जिस वक्त इसी वर्ष नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में गेहूं का भाव १८ रुपये मन हुआ था तो इसी सरकार ने फिर गेहूं के भाव को कम करने के लिये अपनी तरफ से राशनिंग की दुकानें खुलवाई और तब गेहूं का भाव १५, १६ रुपये मन पर आकर ठहरा। इस बीच में ७, ८ रुपये मन का मुनाफा जो कैपिटलिस्टों की जेब में गया तो क्या इन काली और लाल टोपी वालों ने इस बात का प्रयत्न किया कि किसी स्थान पर जलूस निकालें और क्या किसी मित्र ने यह आवाज उठायी कि ८ रुपये मन का मुनाफा जो कैपिटलिस्टों की जेब में जा रहा है उसके लिये प्रदर्शन करें? इसको मुनासिब नहीं समझा गया। किन्तु आज यदि सरकार टैक्स लगाने की बात करती है तो सरकार को यह नसीहत दी जाती है कि अनाज पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मैं भी समझता हूं कि अनाज बहुत आवश्यक चीज है लेकिन जितनी भी चीजें हैं वह सब अपनी जगह पर आवश्यक हैं।

अगर अनाज को प्रथम स्थान दिया जाय तो कपड़े की भी जरूरत है और मिट्टी का तेल भी जरूरी है और उसके बाद मैं कहता हूं कि और चीजें जो इस्तेमाल करने वाली हैं तो उनको भी प्राथमिकता दीजिये। हमारे लिये तो सब जरूरी चीजें हैं और जिस चीज पर भी टैक्स लगायेंगे उसको प्रथम जरूरी चीज कहा जा सकता है। इसलिये टैक्स लगाने के लिये अगर उन भावनाओं को उभारेंगे तो उससे प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। लिहाजा टैक्स न लगने पाये और टैक्स देने से इन्कार करने की भावना को उभारने का वक्त तथा उभारकर खिलवाड़ करने का वक्त चला गया अब निर्माण का समय है। इसलिये अब खिलवाड़ आप न कीजिये। जब इधर से टैक्स की बात की जाय उस वक्त आप यह कहें कि उत्तर प्रदेश

में अनाज की सहकारी समितियां बनायी जायं और किसानों से अनाज लेकर सीधे जैसी जरूरत हो पूरी की जाय, जो बीच के आज मुनाफा खाने वाले हैं उनको समाप्त किया जाय तब तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन १०, १० रुपया मन मुनाफा खाने वालों को कुछ न कहा जाय और जब यहां पर टैक्स की बात आवे तो उसका विरोध किया जाय यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये विरोधी पक्ष के सामने मैं यह निवेदन करता हूं कि जो भी बात की जाय वह सोच समझ कर की जाय और वही बात यहां पर कही जाय जो मुनासिब हो।

मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से एक बात निवेदन करनी है और वह यह है कि टैक्स की वसूलयाबी का जो तरीका है वह जनता को जरूर परेशान करता है। वह तरीका ऐसा है जिसका सहारा लेकर लोग जलूस निकलवाते हैं और हमारे विरोधी मित्र व्यवसाइयों की मोटरों में बैठ कर उससे सदन में आने का लाभ उठाते हैं और व्यवसायी मिल कर जनता में विरोध करते हैं। वही व्यापारी वर्ग यह भी जानता है कि इनकी हुकूमत आने पर जो छूट है वह भी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वह बातों में आकर ऐसा करते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप वसूलयाबी के तरीके पर थोड़ा सा विचार करें। अपने वसूलयाबी के अधिकारियों को कुछ ऐसा आदेश दें जिससे वह तमाम व्यापारी वर्ग को बेइमान न समझें। आज टैक्स की जांच का तरीका यह है कि जो ईमानदार आदमी अपने कागज प्रस्तुत करता है अगर उसमें वह एक लाख की बिक्री दिखाता है तो उसको बढ़ा कर दो लाख मान लिया जाता है। मेरा आप से निवेदन यह है कि आप कागज को मान्यता दीजिये भले ही आप को कुछ नुकसान होने का डर क्यों न हो। मैं मानता हूं कि टैक्स वसूलयाबी के ऐसे कागज सम्भवतः पेश किये जायं जिससे आप यह समझें कि टैक्स कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर सेल्स टैक्स अधिकारी कागज को मान्यता प्रदान करें और यह भावना व्यापारीवर्ग में पैदा करें तो वह आप को टैक्स देंगे। जो ५० रुपये पर मुनीम रखने के लिये आनाकानी करते हैं वह भी मुनीम रखेंगे। आप कागज रखने का प्रोत्साहन दीजिये फिर वह अपने आप सब इन्तजाम कर लेंगे और मुनीम का खर्चा भी बरदाश्त कर लेंगे लेकिन उनको यह विश्वास होना चाहिये कि कागज दिखाने पर टैक्स से छूट जायगा या जितनी बिक्री उसने दिखाई है उसी पर टैक्स लगाया जायगा। और बाद में बड़े जोर के साथ इन कागजात की जांच करके टैक्स लगाया जा सकता है। उससे इतना तो फायदा हो ही जायगा कि जो टैक्स न आज गवर्नमेंट के खजाने में आता है और न व्यापारियों को ही बचता है वह किसी एक के पास तो रह ही जायगा।

एक निवेदन और मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं वह यह कि सेल्स टैक्स अधिकारी जो सेल्स टैक्स निर्धारित करता है, अगर उसकी अपील होती है तो वही अधिकारी गवर्नमेंट की तरफ से कागजात लेकर जाता है न्याय के लिये यह ठीक नहीं है। सेल्स टैक्स अधिकारी को उस न्यायालय में नहीं जाना चाहिये जहां उसी के किये हुये फैसले की अपील हो रही है। इसके लिये तो आप एक वकील नियुक्त कर दीजिये और उस टैक्स दिहन्दा को न्याय पाने दीजिये। क्योंकि सेल्स टैक्स अधिकारी के सामने व्यापारी अपने कागजात को दिखा नहीं पाता है, वह डरता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसके लिये कोई वकील मुकर्रर कीजिये जो अपील में जाकर गवर्नमेंट के पक्ष को प्रस्तावित करे।

एक निवेदन मेरा और है वह यह कि प्रदेश के कुटीर उद्योग पनपने चाहिये, क्योंकि बेकारी के मिटाने का यही तरीका है। बेकारी और किसी साधन से मिट नहीं सकती सिवाय कुटीर उद्योगों के, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन आप ने जो टैक्स लगाया है वह उस माल पर भी लगा दिया है जो कुटीर उद्योग से तैयार होता है। मिसाल के तौर पर साबुन का धन्धा ऐसा है जो घर बैठे लोग तैयार करते हैं। साबुन बनाने वाले आदमी तेल को खरीदते हैं, वहां उनको टैक्स देना होता है और जब साबुन बन कर बिकता है तो फिर उस पर टैक्स

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

देना होता है । इस तरह से दो स्थानों पर टैक्स देना पड़ता है । इस प्रकार कुटीर उद्योगों पर जो डबल टैक्सेशन हो रहा है उसको समाप्त करना चाहिये । मैं इस बात से सहमत हूं जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर और वित्त मंत्री महोदय दोनों साहबान बैठ कर इस बात का निर्णय करें कि सेल्स टैक्स किन वस्तुओं पर लगना चाहिये ।

मैं एक बात और निवेदन कर के अपनी बात खत्म करूंगा । इस सदन में माननीय पालीवाल जी और भी किन्हीं साहबान ने सेल्स टैक्स लगाने का विरोध किया तथा मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के रहन-सहन की आलोचना की । उन्होंने यह तब कहा जब कि माननीय पालीवाल जी उस ओहदे पर नहीं हैं जिस पर कुछ समय पहले थे । अगर वे उस समय कुछ त्याग करते तब तो आज उनके कहने में कुछ वजन भी होता लेकिन उस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने एक भी सुविधा का त्याग नहीं किया । आज हम और आप एम० एल० ए० की हैसियत से यहां हैं । तो हम लोग सब इकट्ठे होकर कोई ऐसा कार्य करें जिससे इन मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स पर प्रभाव पड़े और वे उसके अनुसार चलने को मजबूर हो जायं । लेकिन स्वयं कुछ न करके मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के बारे में कहने से जनता समझती है कि यह केवल ईर्षावश ऐसा करते हैं । अगर हमको और आप को इस प्रदेश के विकास के कामों में दिलचस्पी है तो कोई बहाना न बना कर सीधे इस बात पर आ जाना चाहिये और यह तय करना चाहिये कि विधान सभा के सदस्य निर्माण के कार्यों में सहयोग देंगे तो फिर मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर भी पीछे रहने वाले नहीं हैं । लेकिन ईर्षा और द्वेष के वश हो कर हम केवल आलोचना ही करें तो इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ सकता है ।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह भी बताया कि वे गल्ले के मामले में मल्टी प्वाइंट टैक्स के बजाय सिंगिल प्वाइंट टैक्स की व्यवस्था करेंगे तो अगर उनको ऐसा एलान हो जाय कि जब सिंगिल प्वाइंट का एलान होगा उसी वक्त से सारा टैक्स वसूल किया जाय और वह सिंगिल प्वाइंट के रूप में ही हो तो मैं समझता हूं वह बड़ी अच्छी बात कह देंगे, संभव है इसमें कोई वैधानिक आपत्ति हो । मेरा निवेदन है कि ६ मास का समय बहुत अधिक है, यह समय २ मास का होना चाहिये और अगर इस ओर वित्त मंत्री जी अधिक ध्यान देने की कृपा करेंगे तो सारी सरकारी मशीनरी २ मास में यह रजिस्ट्री वगैरा का काम कर लेगी । इस बहुसूत्री टैक्स में तो व्यापारियों को बहुत कठिनाई होगी और हो रही है । इसलिये मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें । इस विधेयक में मैं देखता हूं कि मंत्री जी ने जनभावना का खयाल करके जहां तक हो सका जनता को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया है । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इस पर काफी सदस्य बोल चुके हैं इसलिये अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अब तक ६ संशोधन मूव हो चुके हैं और अभी बहुत कम माननीय सदस्य बोले हैं इसलिये अभी क्लोजर मूव न किया जाय ।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कार्य सरकार ने किया तो हमको मजबूर होकर जिस तरह का भी विरोध का तरीका हमारे लिये खुला होगा वह अख्तियार करना होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने अपना संशोधन सदन के सामने रखा, लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और जो तरीका इस वक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपनाया गया है उस तरह से, जितना समय वैसे लगता उससे ६ गुना कम समय इस वक्त लगाया जा रहा है और वह इसलिये कि सुबह माननीय नारायण दास पासी के संशोधन पर विचार होना शुरू हुआ था, उसके बाद श्री देवकी नन्दन विभव, श्री पुत्तूलाल, श्री राम-नारायण त्रिपाठी तथा श्री राम सेवक यादव के संशोधन थे वह भी इसी में आ गये, उन पर भी समय लगाया जा सकता था लेकिन तेज प्रताप सिंह के संशोधन तक जो उनका पूरा खंड निकालने का संशोधन है, उस तक सब एक साथ ही ले लिये गये हैं। वे सब अलग-अलग भी आ सकते थे और उनमें से हर एक को जो माननीय सदस्य मूव करते उनको भी समय मिलता और हर एक पर दो तीन आदमी बोलते और आप कम से कम हर एक पर माननीय मिनिस्टर साहब को भी बोलने का मौका देते। और इस तरह से बहुत लोगों को बोलने का मौका मिल सकता था। तो जब इस तरह से इतने समय की बचत हो रही है और जब पूरे खंड पर ही एक साथ बहस चल रही है तो इस तरह से जल्दी बाजी करने की मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं है और यह भी नहीं है कि विरोधी दल यहां इसलिये बैठा है कि अन्त काल तक हम इसको यहां पास ही नहीं होने देंगे। अगर यह बात कुछ सोचने की थी तो कल ही सोचने की थी, लेकिन अब सदन में जो अधिकार हमें हैं उनका भी उपयोग हमें करने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अभी आठ दस आदमी इन संशोधनों पर बोल चुके हैं (श्री राजनारायण से) यह संशोधन पर संशोधन अब पेश नहीं हो सकता, यह बहुत देर में आया है और मैं अब इसकी इजाजत नहीं दूंगा। वैसे मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—यह तो आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं। यह संशोधन तो आना चाहिये . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपने यह देर में दिया है।

श्री राजनारायण—आप मुझे मूव करने दें, मैं तो जानता नहीं था कि उधर से क्लोजर मूव हो जायगा, क्योंकि यह एक ऐसा संशोधन आया हुआ है जिसके द्वारा लोग वह चीजें जुड़वाना चाहते हैं जिन पर बिक्री कर न लगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—एक सदस्य बोलते हों तो एक से अधिक सदस्यों के खड़े होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कह दिया था कि जितने संशोधन आयेंगे एक साथ हो जायेंगे। मैं श्री तेजप्रताप सिंह के बाद खड़ा हुआ, लेकिन आप ने बुलाया नहीं। फिर लिख कर मैंने संशोधन भेजा। आप फिर से सोचें, आपने कोई निर्णय नहीं दिया है, जहां तक क्लोजर का सवाल है मैं आप को बतलाता हूं कि माननीय मन्त्री को जरा मालूम होना चाहिये कि महज क्लोजर से हमको रोक नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष—क्लोजर के विषय में आपको अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—क्लोजर अगर उनका पास भी हो जायगा तो अपनी बात कहने से जल्दी हम रुकेंगे नहीं।

*__श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम__—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बात तो शायद इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन हमारे भाई गेंदासिंह जी ने अपनी इस वक्त तकरीर करके उस बात को उसकी हद से बढ़ा दिया। वैसे तो यह एक मामूली बात है कि क्लोजर कोई मूव करे उसको न होने दें, कल भी एक निगेटिव कर दिया, लेकिन यह बात कि धमकियां उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

साथ दी जायं हम यह करेंगे, अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि वह कोई कम से कम ऐसी बात नहीं है जिसको किसी दो शरीफ आदमियों के दर्मियान आना चाहिये और मुझको उसके ये अल्फाज सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने यह कोशिश की थी कि बिजनेस कमेटी इस बिल के लिये कोई वक्त मुकर्रर कर दे लेकिन वहां से मालूम यह हुआ कि अपोजीशन के मेम्बरान की राय की इज्जत करते हुए माना यह गया कि इसके लिए कोई खास वक्त मुकर्रर न किया जाय, महज अपोजीशन हो। यह श्री गेंदासिंह के सामने रख देता हूं। उसको वे सुनें और उसके बाद वे फैसला करें इस बात का कि मामले में क्या होना चाहिये। वह यह है कि यह सबको मालूम है कि यह एक बिल आर्डिनेंस का बिल है और आर्डिनेंस का कानून बन जाने के लिये एक मियाद कांस्टिट्यूशन में दी हुई है। उस मियाद के हिसाब से इस बिल को इस महीने की २७ तारीख तक कानून बन जाना चाहिये और कानून बनने में इसकी एक सूरत यह है कि जब यहां से पास हो जाय तो प्रेसीडेंट साहब की एसेंट के लिए दिल्ली जाय और एसेंट मिलने से पहले वहां के चार डिपार्टमेंट्स से इसको अपने तौर पर एग्जामिन कर लें और प्रेसीडेंट साहब को रिपोर्ट दे दें कि हां, यह बिल इस काबिल है कि इसकी एसेंट दी जाय और तब उसके बाद वह एसेंट हासिल होगी। अगर उसको डेढ़-डेढ़ पिर्मेन भी दिया जाय उन डिपार्टमेंट्स को तब भी ६-७ रोज उसके लिये। यहां से हटने के बाद यह बिल कौंसिल में जाने वाला है और कौंसिल में भी पेश होकर वहां उसको पास होना है। यहां यह ८ तारीख को शुरू हुआ। ८, ९, १० और १४ चार रोज तो यह हो गये। ५वां दिन आज है। अमेंडमेंट्स इसमें हैं और उन अमेंडमेंट्स की तादाद जो है वह हमारे सामने है इस एजेंडे पर कि वे कितने हैं गिनती में और इस हिसाब से इस एक अमेंडमेंट पर जितना वक्त लिया गया है जिसमें कि ८-१० आदमी बोल चुके हैं इस हिसाब से अगर वक्त खर्च किया जाय तो फिर यह कब खत्म होकर, कब यह कौन्सिल में जाय और किस तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया से इसकी स्वीकृति हासिल की जाय, अगर एटीटयूड यह हो तो मैं मान सकता हूं कि यह मंजूर मत हो। मगर मैं यह समझता हूं कि गेंदासिंह जरूर फरमायेंगे कि उनका यह ऐटीटयूड नहीं है। ऐसा डेस्ट्रक्टिव या रुकावट डालने वाला ऐटीटयूड और अमल उनका नहीं है और उसके रास्ते में वह रुकावट पैदा नहीं करेंगे। अगर वह नहीं चाहते हैं तो मैंने अर्ज किया कि अगर आज नहीं तो कल इस बिल को इस हाउस से जरूर पास हो जाना चाहिए। अब मैं उन पर छोड़ता हूं कि वह क्या फैसला करते हैं। क्लोजर किये बगैर यह बिल कैसे कल तक पास हो सकेगा, अगर इतने आदमी बोलते चलेंगे।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बराबर कोशिश करता हूं कि सरकार की तरफ से कभी उनको ऐसी तकलीफ न हो कि वह भी कहें कि मैं शराफत से नीचे उतर रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि कभी-कभी हाफिज जी जैसे आदमी के मुंह से भी यह सुनना पड़ता है कि जो कुछ मैं कहता हूं या करता हूं वह शराफत से नीचे की चीजें हैं। बहुत तकलीफ होती है इसको सुन करके। खैर, सवाल यह है कि इस बिल को जल्दी पास करना चाहिए। गवर्नमेंट की इस परेशानी को मैं महसूस करता हूं और उस मियाद का भी मुझे ख्याल है जो आर्डिनेंस के बाद ऐक्ट बन जाने की है। लेकिन मैं क्या यह दरख्वास्त कर सकता हूं कि जिस वक्त से हम बैठे हुए हैं उस वक्त से सेल्स टैक्स के बिल पर विचार करने का वक्त सरकार ने मुनासिब समझा जब कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का आधा काम करीब-करीब हो चुका था।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल के पहले या किसी और दूसरे बिल के पिहले सेल्स टैक्स बिल की इतनी अहमियत सरकार ने नहीं समझी। लेकिन अब उसका सारा दोष इस वक्त एक धर्म संकट की शक्ल में वह अपोजीशन के सामने डाला जा रहा है कि चूंकि हम जल्दी से जल्दी इस बिल को पास करके उस मियाद के भीतर सेंट्रल

गवर्नमेंट से इजाजत लेकर, उसमें राष्ट्रपति की इजाजत लेनी पड़ेगी, उस इजाजत के बाद एक कानून बना देना चाहिए। अगर यह नहीं बनता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी अपोजीशन पर है और वह अड़ंगा लगाता है। सरकार पर जिम्मेदारी डालने की कोई कोशिश नहीं करता। मैं समझता हूं कि कल जो सरकार ने रुख अख्तियार किया, मेरे लिए यह कहा जाता है कि मैंने जो कहा वह शराफत से नीचे की बात थी। लेकिन मैं क्या यह पूछ सकता हूं कि वह शिष्टाचार के विरुद्ध बात थी या नहीं जब कल वाक आउट हुआ? कल हम वाक आउट करके गये, तो उसके बाद हाफिज जी ने मुनासिब नहीं समझा कि मैंने जो डेढ़ घंटे का वक्त खराब किया था, मैंने उसमें बड़े बड़े सवाल उठाये थे, जिन सवालों का जवाब कम से कम वित्त मंत्री जी को देना मुनासिब था। वह मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए, क्योंकि यह सदन देश का है। मैं उठकर चला गया था। लेकिन सारे देश के लिए जवाब देना मुनासिब था। न केवल मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि जगदीश शरण जी का भी जवाब नहीं दिया। इस तरफ बैठने वाले और उस तरफ बैठने वाले जिन्होंने भी सवाल उठाये थे, एक भी सवाल का जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। यही शिष्टाचार की बात है? क्या बात थी? सिर्फ एक बात थी कि अगर हम जवाब देंगे तो जो सस्ते तरीके पर चार पांच खंड पास होते चले जा रहे हैं यह नहीं पास होंगे। उसे पास करने के लिए सरकार ने भूल की। उस पर इस हाउस का मत जानने की कोशिश नहीं की।

इस वक्त माननीय नारायण दास पासी के अमेंडमेंट पर विचार हो रहा है। जो उस तरफ जो बैठने वाले हैं, इस तरह का तो संशोधन सब्सीडियरी हो गया है। माननीय नारायणदास पासी का वह संशोधन है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानते हुए भी और जानते हुए भी कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए, इस वक्त रहने के लिये तैयार नहीं हूं कि फलां वक्त तक यह बिल पास हो जायगा। यह गवर्नमेंट के रुख पर डिपेन्ड करता है। गवर्नमेंट अगर यह चाहेगी कि अपोजीशन की परवाह न करके, मेम्बरों की परवाह न करके, उनकी बातों की न सुनते हुए बिल को अपने बहुमत के बल और वोटिंग के बल पर पास कराना चाहे तो यह भीतर से रिवोल्ट करते हैं। उसको नहीं सुनेंगे और जो कुछ भी हम कर सकते हैं, फिर मैं कहता हूं यह अधिकार की बात है जो कुछ भी हम यहां उसके विरोध के तरीके हो सकते हैं, करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको पास कराना चाहती है, जल्दी पास करना चाहती है, यह हम जानते हैं, यह हमारे बस की बात नहीं है कि हमेशा के लिये टाल दें, नहीं टाल सकते, इतनी अक्ल हम रखते हैं। तो हम जो तरीके हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं उसके लिये विरोध करेंगे। दूसरे लोगों को अवसर दिया जाय। मुमकिन है उनकी बात सुनने के बाद सरकार अपनी राय बदले, मैं जानता हूं बदलेगी। इसलिये लोगों को अवसर दिया जाय। और इस तरह के इमपोरटेंट बिल पर विचार करने से लोगों की बात सुनने से इन्कार न किया जाय। और फिर आखिर में मैं इस बात को दोहराता हूं कि सरकार के रुख पर यह सारी चीज डिपेंड करती है कि कितना वक्त इस बिल पर लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री कुछ कहना चाहते हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम---जी हां। इसी पर कुछ अर्ज करना है। मुझे जनाबवाला, यह नहीं मालूम था कि मेरे भाई गेंदा सिंह साहब जिधर रहते हैं शायद उधर से उस किस्म की उर्दू बोली नहीं जाती जो मैंने बोली। और मैंने जो लफ्ज कहे वह इस प्रीजम्प्शन पर कहे कि एक शरीफ वह थे और एक मैं था। दोनों के दर्मियान यह बात नहीं आनी चाहिये थी। तो मैंने अपनी तरफ से शरीफ ही समझा वह अपने आपको जो समझें, इसका कोई चारा नहीं। मैंने उनको शरीफ ही कहा, हमारे दर्मियान की बात थी। हम किसी किस्म की धमकियों में नहीं आना चाहते थे। हाउस अपने दिमाग

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

में फैसला कर ले कि मैंने सही किया या उन्होंने सही किया। रहा कल का वाकया, मुझे सख्त अफसोस है। उसे दोहराया नहीं जाना चाहिये था। और मुझ पर ही यह इल्जाम लगे कि डेढ़ घंटे की स्पीच थी उसका जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मैं अर्ज करूं कि जब जवाब देने का वक्त आया तो आदमी यहां से उठ कर चले जायं। तो इसको तो मैं इस हाउस की कन्टेम्प्ट समझता हूं जो मेम्बरान यहां से इस तरीके से उठ कर जाते हैं यह मेरी राय है, मेरी यही फीलिंग है। जो शख्स यहां से इस तरह वाक आउट करते हैं यकीनन इस हाउस की कन्टेम्प्ट करते हैं। तो जिस चीज की निस्बत मेरी यह फीलिंग हो फिर मुझसे कैसे ऐक्सपेक्ट किया जाय? मेरे दोस्त ने यह तक न सोचा कि इब्राहीम यहां बैठा हुआ है? इसकी अब बारी आ रही है, इसको सुन लिया जाय। मैं नहीं समझता कि इन्साफ किसके हक में होना चाहिये मेरे या मेरे दोस्तों के? हाउस ही अपने दिल में तय करे कि किसने किसकी तौहीन की।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अपोजीशन के द्वारा या किसी मेम्बर के द्वारा वाक आउट किया जाना इस हाउस का कन्टेम्प्ट उससे किस प्रकार माना जा सकता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह मेरी फीलिंग है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं श्रीमन्, हाफिज जी से नहीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब एक आदमी खड़ा है तो दूसरा बिना आपकी इजाजत खड़ा हो सकता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---हाफिज जी, आप गरम क्यों हो रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य रूलिंग चाहते हैं। इस हाउस में ऐसी परम्परा बराबर रही है कि जब कोई नाराजगी हुई तो उठ कर चला गया। मगर तरीका उठने का कैसा हो, उसके बारे में प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी राय रख सकते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा प्वाइंट आफ आर्डर ले लें अब। हमारा प्वाइंट आफ आर्डर यह था कि जब माननीय नारायणदत्त जी एक प्वाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे थे तो बिना आपका ध्यान आकर्षित कराये हुए और बिना आपकी आज्ञा प्राप्त किये हुए श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने स्वतः अपने को खड़ा कर दिया और बहुत ही आवेश में आकर वह सवाल का जवाब करने लगे तो क्या यह वैध है? वह एक मंत्री हैं और बराबर सर्मन्स दिया करते हैं हम लोगों को। मैं आपसे निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हाफिज जी के सर्मन्स को केवल इसीलिए हम सुनते हैं कि वह अवस्था में जरा बड़े हैं, लेकिन मैं यह भी आज निवेदन करना चाहता हूं---

बुजुर्गी ब अकल अस्त न ब साल

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था दे दें कि हाफिज जी जो बिना आपकी आज्ञा प्राप्त किये हुए, माननीय नारायणदत्त जी खड़े थे और वह स्वतः खड़े हो गए और खड़े होकर के नारायणदत्त जी के प्रश्नों का जवाब भी देने लगे, यह क्या उचित है?

श्री उपाध्यक्ष---मैंने माननीय सदस्य को कहा था बैठने के लिये और वह बैठ भी गए थे।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर है। श्रीमन्, क्या कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में किसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है जिसका अपनी राष्ट्रीय भाषा से कोई सम्बन्ध न हो और उसका बिना अर्थ बताये हुए उस भाषा की लाइनें कोट कर सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं।

(कुछ ठहर कर)

मैं समझता हूं कि यह प्रश्न उपस्थित करने के लिए जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को उपस्थित करने के पहले मुझे अधिकार है कि मैं इस बात पर निर्णय दूं कि अभी काफी बहस हुई है या नहीं। मैं जैसा अभी कह चुका हूं कि इन प्रस्तावों पर इन संशोधनों पर आठ सदस्य अभी तक बोल चुके हैं और मैं समझता हूं कि दो और सदस्यों को मौका देने के बाद मैं इस प्रस्ताव को फिर से ले लूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन में अपना एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपको अमेंडमेंट में अमेंडमेंट पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन्, अब मैं आपकी आज्ञा को उचित न समझते हुए भी शिरोधार्य कर रहा हूं और शिरोधार्य करते हुए अब अपने भावों को ही व्यक्त करूंगा। मैं श्रीमन्, माननीय रामनारायण जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और उसी के साथ-साथ.....

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा निवेदन है कि आपकी, चेयर की किसी रूलिंग के ऊपर क्या कोई सदस्य कमेंट कर सकता है जैसा कि अभी राजनारायण जी ने किया है कि आपकी रूलिंग को उचित न समझते हुए भी मैं उसे मानता हूं, ऐसा क्या कोई कह सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो माननीय सदस्यों की अपनी योग्यता पर ही निर्भर होता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप समय-समय पर कभी-कभी पार्लियामेंटरी पद्धति की ओर भी सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। अच्छा है भविष्य के लिए ग्रामवासी जी सबक लेंगे। मैं कह रहा था श्रीमन्, कि माननीय रामनारायण जी ने जो संशोधन खंड ६ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) की पंक्ति १ में रखा था कि शब्द "समाचारपत्र" और शब्द "और" के बीच में शब्द "मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गुड़, गृह उद्योगों के लिए प्रयुक्त विद्युत शक्ति, पुस्तकें, पत्रिकाएं" तो मेरी भावना यह थी और मैं चाहता था कि रामनारायण जी अपने इस संशोधन में "मोटा कपड़ा" भी जरूर जोड़े होते। क्योंकि खाद्यान्न हो गया, गुड़ हो गया, गृह उद्योगों के लिए प्रयुक्त विद्युत शक्ति हो गयी, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं हो गयीं, मिट्टी का तेल हो गया। अब उसी के साथ साथ मोटा कपड़ा जिसको कि हम सब लोग अपने जीवन की द्वितीय आवश्यकता मानते हैं होना चाहिये था। प्रथम तो अन्न हुआ और दूसरे कपड़ा हुआ। उसको भी माननीय

[श्री राजनारायण]

रामनारायण जी को इसमें रख देना चाहिये था। आपने मुझे आज्ञा प्रदान नहीं की इसलिए नियमित रूप से मेरा संशोधन यहां नहीं आया, मगर मैं अपने इस भाव को सरकार के सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वह मोटे कपड़े को भी बिक्री कर से मुक्त करें। क्यों बिक्री कर से मुक्त करें, इसके बारे में तो मैं एक एक करके.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो चीज आपके संशोधन में नहीं है, मंजूर नहीं की गयी है उस पर समय नष्ट न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का जिक्र तो कर सकते हैं ?

श्री राजनारायण---गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा यह अधिकार चाहती है कि जिसको चाहे हटा दे, तो उसके लिए अर्ज कर रहा हूं और यदि श्रीमन्, आपको याद हो आपके ही सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत ही तर्कपूर्ण---तर्कपूर्ण तो नहीं कहूंगा बल्कि महत्वपूर्ण---बात कही थी जो मेरे समर्थन में जाती है। आज तक अध्यादेश जारी करने का औचित्य माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सदन में रखना चाहा, परन्तु एक प्रसंग में उन्होंने यह भी कहा था श्रीमन्, कि हमने जल्दी इसलिए कर दी कि माननीय नारायण दत्त जी इस बारे में.....

श्री उपाध्यक्ष---इस संशोधन के सम्बन्ध में अध्यादेश का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अध्यादेश को ही तो ऐक्ट कर रहे हैं। अगर आप कहें कि न बोलें तो बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष---आप उसी संशोधन पर बोलें।

श्री राजनारायण---क्या केवल इतना ही कह दूं कि मिट्टी के तेल और मोटे कपड़े पर से बिक्री कर हटा दिया जाय---यही पढ़ दूं। वह कैसे लगाया गया, क्यों हटाया जाय और न हटाया गया तो क्या कुपरिणाम होंगे इस पर कोई प्रकाश न डालूं ? इस पर सारे सम्मानित सदस्य बोल चुके हैं, यह हमारी ही वाणी पर प्रकोप क्यों हो ?

मैं आपसे निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा और मैं जानबूझ कर आज ज्यादा अदब के साथ बोलना चाहता हूं ताकि हाफिज साहब कभी फिर न कह दें कि वह ऐसे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं जो कि सभ्यता के स्तर के नीचे हैं। यद्यपि हाफिज साहब के इस कहने का मेरे ऊपर जोर नहीं पड़ता है। लेनिन ने कहा था कि, "लेट मी नो दि मेन हू हैव बीहेड फार यू, एंड आई विल टेल यू हू आर सार्ट आफ पालिटिक्स यू हैव"। मुझे बताओ कि कौन से लोग तुम्हारे पक्ष में वोट किये हैं और मैं बता दूं कि तुम्हारी राजनीति क्या है। तो हाफिज साहब अगर तारीफ कर दें तो मैं तो उसे निन्दा ही कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---किसी व्यक्तिगत विषय में नहीं जाना चाहिये।

श्री राजनारायण---नहीं जा रहा हूं, जानबूझ कर नहीं जाना चाहता---भावना बहुत है लेकिन जा नहीं रहा हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जरा जैसा कि और सम्मानित सदस्यों को अवसर प्राप्त हुआ है हमें भी जरा सा अवसर प्रदान किया जाय कि हम भी अपनी बातों को धारा-वाह रूप में कह सकें।

तो मैं यह कह रहा था कि आज जो यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ है इसके आने की आवश्यकता क्या थी ? माननीय वित्त मंत्री इस विधेयक को इतनी जल्दी कराने के लिये क्यों प्रयत्नशील हैं ? माननीय मंत्री जी की तरफ से बारबार यही तर्क

प्रस्तुत होता है कि अध्यादेश को कानूनी शक्ल देना होगा इसलिए जल्दी कर दो। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन की मौलिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित विधेयक हो और उस विधेयक पर अपनी बात भी न कह पावें, हमको अपना व्यक्त करने से रोका जाय तो क्या यह जनतन्त्र है? श्रीमन्, जनतंत्र की सब से पहली कसौटी यह है...

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बड़े-बड़े सिद्धान्तों को प्रतिपादित कर रहे हैं। वह अपने संशोधन पर बोलें, सामान्य विवाद नहीं है।

श्री राजनारायण--अभी जो हमारे मित्र सीतापुर के एम० एल० ए० साहब बोले हैं क्या उनका जवाब देने का मुझे हक नहीं है, हमारे मित्र नवलकिशोर जी बोले हैं क्या उनका जवाब देने का मुझे हक नहीं है। हम तो अपनी शैली में अपने भावों को व्यक्त करेंगे और मैं समझता हूं कि प्रत्येक पार्लियामेंटरी प्रणाली में अपनी शैली में अपने भावों को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिये केवल अनपार्लियामेंटरी लफ्ज इस्तेमाल नहीं होने चाहिये। तो मैं श्रीमन्, यह कह रहा हूं और सरकार की ओर से जो यहां पर विधेयक प्रस्तुत है वह यह है कि मूल अधिनियम की धारा ४ के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--"पानी, दूध, नमक, समाचारपत्र और मोटर स्पिरिट, कि जिसकी परिभाषा यू० पी० सेल आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ में की गई है कर नहीं लगेगा"। इस तरह से है। अब माननीय रामनारायण जी इसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं कि इसमें मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गुड़, गृहोद्योगों के लिये विद्युत शक्ति, पुस्तकें, आदि आदि भी कर से मुक्त कर दिया जाय। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जब सरकार कर से मुक्त करने की बात सोचे और हमारा निवेदन है कि जरूर सोचे तो उसमें कपड़ा भी रखे और इसके लिये अपने तर्क मैं बाद में बतलाऊंगा। श्रीमन्, नारायनदास जी के संशोधन पर बीच का भाषण हाफिज साहब ने दिया था कि सरकार की नीति मोटे अनाज और अनाज के सम्बन्ध में क्या है यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि वह किस अन्न पर बिक्री कर हटाये और किस पर से न हटाये। अब मैं यह जानने का अधिकारी होता हूं कि जब सरकार की ओर से अध्यादेश जारी हुआ तब उसके औचित्य को साबित करने के लिये एक तर्क यह भी दिया गया था कि हमने इसलिये जल्दी में अध्यादेश जारी कर दिया कि नारायणदत्त तिवारी जी की तरफ से यह कहा गया था कि किन-किन सामानों पर कर लगाना चाहते हैं बजट के डिबेट में उसको नहीं बतलाना चाहिये था वरना इसमें चोरबाजारी होती। अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब वे इस सदन में घोषित करते हैं कि किस-किस गल्ले की किस्म पर हम बिक्री कर हटायेंगे यह प्रश्न विचाराधीन है, इस समय सरकार कुछ नहीं कह सकती। यह क्या है? यह सरकार की अनिश्चित नीति है या नहीं? यह सरकार आज बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रान्ति में विचरण कर रही है या नहीं? आज सरकार के सामने कोई ठोस कार्यक्रम इस बात के लिये कि बिक्री कर किस पर लगे और किस पर न लगे, है या नहीं? माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को इस सदन में कह कर क्या आज चोर बाजारी को बढ़ावा दिया है या नहीं? आज चारों तरफ जब वित्त मंत्री जी का यह कथन सदन के बाहर जायगा, समाचार-पत्रों में प्रकाशित होगा तो सरकारी कर्मचारियों के पास जितने व्यापारी हैं वे दौड़ने लगेंगे और स्पेकुलेशन होगा। बराबर सट्टेबाजी की चर्चा चलने लगेगी। लोग सोचने लगेंगे कि किस पर से सरकार बिक्री कर हटाने जा रही है और किस पर से नहीं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आपकी इजाजत हो तो मैं अपने दोस्त से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जरा अपनी तकरीर में मेरे ऊपर इल्जाम लगाते न चलें कि मैंने यह कहा है वह कहा है। मैंने जो कुछ कहा है वह लिखा हुआ मौजूद है। मैंने वह नहीं कहा जो आप कह रहे हैं?

श्री राजनारायण—मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जब माननीय नारायणदास पासी का संशोधन पेश था कि मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन को बिक्री कर से मुक्त किया जाय तो क्या श्री हाफिज साहब ने बीच का भाषण करते हुये सरकार की यह नीति नहीं बतायी कि सरकार किस गल्ले पर से बिक्री कर हटायेगी और किस पर से नहीं हटायेगी। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, मगर इस मौके पर हम अभी नहीं कह सकते कि किस पर से किस अनाज पर से हटायेंगे और किस पर से नहीं हटायेंगे। यह मैंने समझा जो कुछ हाफिज साहब ने कहा।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, यहां प्रोसीडिंग्स लिखी हुई हैं। उसको लेकर पढ़ लेना चाहिये। मैं माननीय अध्यक्ष की कृपा से उनके द्वारा अब भी हाफिज साहब से निवेदन करते हुये यह कह देना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा उसको फिर से रिपीट कर दें ताकि सदन की डिबेट में इधर-उधर की बातें न हों। जो ठीक सरकार की पालिसी हो उसी पर हम निवेदन करें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने जनाबवाला, यह अर्ज किया था कि मैंने कोर्स और बेकोर्स, किसी की बाबत नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि गल्ले की बाबत मैं यहां सुनूंगा कि इस हाउस में क्या-क्या कहा जाता है, किस-किस गल्ले की बाबत और उसके बाद मुमकिन है मैं यह चुनूं कि किसको एग्जेम्प्ट किया जाय। यह मैंने कहा था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बड़ी कृपा हुई कि हाफिज साहब ने सरकार की पालिसी के बारे में सफाई दे दी। जितनी सफाई इस समय हाफिज साहब ने दी उससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कि किस गल्ले पर बिक्री कर लगाया जाय और किस पर न लगाया जाय कोई अन्तिम नीति निर्धारित नहीं की है और अभी-अभी जो सफाई सरकार की ओर से हाफिज साहब ने दी उसमें भी उन्होंने यह बात कह दी कि मैं यहां भाषण सुनने के बाद यह चुनूंगा कि किस गल्ले पर से बिक्री कर हटे और किस पर से न हटे। श्रीमन्, मैंने यही कहा था कि अपना बीच का भाषण करते हुये हाफिज साहब ने यह फरमाया था कि सरकार इस पर निश्चय लेगी मगर इस समय सरकार कुछ तय नहीं कर सकती है। अब श्रीमन्, मैं निहायत अदब से सरकार से यह जानना चाहता था कि इस तरह की बात करके क्या सरकार ने खाद्यान्न के व्यापारियों को एक अवसर प्रदान नहीं किया है कि व्यापारी दौड़ धूप करें और सरकार की नीति को जानने के लिये लालायित रहें कि सरकार किस पर बिक्री कर हटा रही है और किस पर नहीं? मैं समझता हूं कि इसका असर जरूर पड़ेगा और चोर बाजारी के लिए मौका जरूर मिलेगा। जब सरकार की ओर बराबर सदन को अवगत कराया जाता है कि किस किस्म के गल्ले पर यह रहे और किस पर न रहे, इस पर सरकार विचार कर रही है। ऐसी हालत में मैं आवश्यक समझता हूं कि सरकार माननीय रामनारायण जी और राम सेवक जी यादव के संशोधन को मान ले। यह बात सही है कि सरकार इस समय दुविधा की नीति में है और उसकी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि "भई गति सांप छछूंदर केरी, उगलत निगलत पीर घनेरी।" न तो छोड़ते ही बनता है और न पकड़ते ही बनता है। आज सरकार की परिस्थिति डांवाडोल हो रही है और सरकार चाहती है कि दोनों तरफ उसका निशाना लगा रहे। इसी वजह से सरकार निश्चयात्मक ढंग से जानकारी नहीं दे सकती है कि किस गल्ले पर से वह बिक्री कर हटायेगी और किस पर से नहीं।

मैं कहता हूं कि गल्ले पर से बिक्री कर नहीं हटाना चाहिये। यह बहुत अनुचित है। इसका विरोध अभी हुआ है और जबर्दस्त विरोध होना चाहिये और मैं समय रहते सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार यदि चाहती है कि अमन चैन और शान्ति व्यवस्था कायम रहे तो गल्ले पर से बिक्री कर हटा ले। हमारे मित्र नवल किशोर जी और ताराचन्द

माहेश्वरी का भाषण सुनने का मौका हमें मिला। मैं आंकड़े समझ सकने में असमर्थ हूं जिस बुनियाद पर वह कहते हैं कि ७५ फीसदी लोगों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। ७० कहिये, ७४ कहिये या ७५ कहिये बात एक ही है। जब ऐसा तर्क उधर से प्रस्तुत होता है तो हमारे लिये भी आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी सेवा में निवेदन करें कि उनके आंकड़े गलत बुनियाद पर आश्रित हैं। क्यों हैं? अपने प्रदेश में दो एक एकड़ में खेती करने वाले किसान कितने हैं, अगर तमाम का आंकड़ा रखा जाय तो करीब चार करोड़ लोग हैं जो खेती पर आश्रित हैं यानी ७३ फीसदी किसान दो एकड़ से कम जमीन पर खेती करते हैं। क्या यह किसान गल्ला नहीं खरीदेंगे उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा जो बिक्री कर बढ़ रहा है? खेतिहर मजदूर ४० लाख के करीब हैं, उनका परिवार अलग है। यह गल्ला खरीदेंगे या नहीं? क्या उनके खाने के लिये खेती है या वह गल्ला पैदा करते हैं। हम अंधकार में हैं सम्मानित सदस्य कहते हैं कि ७४ फीसदी लोगों पर इस टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। रिक्शा चलाने वाले, बेकार, मजदूर, कुली, मिलों में काम करने वाले मजदूर, मजदूर संघ में मजदूर, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया में सड़क कूटने वाले मजदूर, यह सब कहां से आते हैं? उनकी कितनी बड़ी संख्या होगी, उनकी कितनी बड़ी तादाद होगी, जरा देखें। "मूदहु आंख कतहुं कोउ नाहीं" के सिद्धान्त के अनुसार अगर सरकारी पक्ष के लोग चलेंगे तो कभी भी वस्तुस्थिति का ज्ञान आपको नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि किसी बात का औचित्य सिद्ध करने के लिये सदन में गलत बुनियाद पर आंकड़े प्रस्तुत करना अपने को भी अंधकार में रखना है और दूसरों को भी अंधकार में रखने का प्रयत्न करना है। इसी तरह से श्रीमन्, मिट्टी के तेल की बात है। मिट्टी के तेल का जब चर्चा होता है तो हम इस सदन के सम्मानित सदस्यों से जानना चाहते हैं कि आखिर मिट्टी का तेल कौन इस्तेमाल करता है? यह कहां इस्तेमाल होता है? क्या आज भी देहातों की रहने वाली गरीब जनता मिट्टी के तेल का दीया अपने घरों में बालती नहीं? माननीय नवल किशोर जी शायद यह बात भूल गये हों, गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में रहते-रहते कि अब झोपड़ों में दीपक भी जलता है। वह घरिया जो होती है जिसमें मिट्टी का तेल डाल कर दीपक बारा जाता है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं।

इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा पुनः निवेदन करना चाहूंगा अपने मित्र नवल किशोर जी या उनके समकक्ष विचार रखने वाले सम्मानित सदस्यों से कि वह भूल जायं कि देहात और शहर का अन्तर मिट गया है। देहात और शहर का अन्तर कायम है। अभी तक देहात में बिजली ट्यूब वेल चलाने के लिये नहीं मिल पायी और सारी फसल सूखी चली जा रही है मिट्टी के तेल का इस्तेमाल गरीब जनता करती है। इसलिये इस तर्क को सरकार की ओर से न प्रस्तुत किया जाय कि मिट्टी के तेल पर जो बिक्री कर बढ़ रहा है उसका बोझ ऊपर के सेक्शन पर पड़ेगा, उच्च मध्यम वर्ग पर, मध्यम वर्ग पर या मध्यम मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। आज आंकड़ों के आधार पर या यदि आंकड़े पुस्तकों में उपलब्ध न हों तो जानकारी के आधार पर यह बात मानी जा सकती है कि इस समय जो मिट्टी के तेल और खाद्यान्नों पर बिक्री कर बढ़ रहा है उसमें गरीब जनता के ऊपर ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ेगा। श्रीमन्, मैं अब इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि जो प्रातः स्वास्थ्य मंत्री श्री चन्द्रभानु जी गुप्त के समय में उठ गया था—मोटा अन्न कौन खाता है, पतला अन्न कौन खाता है—क्योंकि मैं जिस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं उसमें मोटे और महीन अन्न का कोई भेद नहीं किया गया है।

हमारी तो मांग सरकार से है कि खाद्यान्न मात्र पर से बिक्री कर हटा लिया जाय। मोटे अन्न पर तो कभी सरकार की कल्पना ही नहीं होनी चाहिये कि बिक्री कर लगाया जाय। यह तो कल्पना मात्र होना ही निहायत अपराध का काम होगा। इसी के साथ-साथ श्रीमन्, तीसरी आवश्यकता गुड़ की है। अब इस गुड़ को देखा जाय कि यह कौन खरीदता है?

[श्री राजनारायण]

गुड़ को निम्न जनता, एक दम नीचे का सेक्शन या मध्यम वर्ग के या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम-वर्ग के लोग ही खरीदते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या गुड़ उच्च वर्ग के लोग खरीदते हैं ? देखा जायगा तो गुड़ के खरीदार अपनी मेहनत से अपना जीवन निर्वाह करने वाले निम्न वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और कुछ मानों में उच्च मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। यह समाज प्रदेश की जनता के आबादी के पांच बटे छै हिस्से से कम न होगा। न मालूम कहां से आंकड़े सम्मानित सदस्य सीतापुर, माहेश्वरी जी और नवलकिशोर जी ने लाकर प्रस्तुत कर दिये। मैं फिर इनसे कहना चाहता हूं कि अपने किसी दूसरे मित्र से हमारे संशोधन का समर्थन करा दें और जो कुछ सरकारी विधेयक का पक्ष करके इस सूबे की जनता के हित का नुकसान हो उसका परिमार्जन करा दें और उसका प्रायश्चित इस सदन में कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि जब नवल किशोर जी बोल रहे थे किसी कोने से यह आवाज आयी थी कि जरा बाहर की जनता का ख्याल कीजिये।

श्रीमन्, मैं गुड़ के बारे में थोड़ी जानकारी और कराना चाहता हूं। गुड़ के बारे में अगर जाड़े का समय देखा जाय जब कि गुड़ के पैदा होने का समय होता है तो हमने देखा है अपने जिले के आस-पास और अपने जिले में करीब करीब ९९ फीसदी हरिजन और ७५ फीसदी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग और दूसरे लोग जिनको ज्यादा अच्छे साधन सम्पन्न नहीं हैं वह गुड़ के सहारे जिन्दा रह जाते हैं। वह गुड़ से न मालूम कितने तरह का सामान बनाते हैं और उसी को खाते हैं। इसके बाद जब यह कहा जाता है कि सरकार गृह कुटीर उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देती है तो मैं समझता हूं कि गुड़ पर बिक्री कर लगा कर किस प्रकार वह गृह कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है ? सरकार की ओर से जितना प्रयत्न हो रहा है वह गृह कुटीर उद्योग को समाप्त करने का प्रयत्न हो रहा है और सत्यानाश करने का प्रयत्न हो रहा है। इससे छोटे उद्योग-धंधे पनप नहीं सकते हैं। हमारे प्रदेश का गुड़ एक बहुत बड़ा रोजगार है और बड़ा भारी व्यापार है। बहुत से लोग इसी पर आश्रित हैं। इसलिये सरकार से हम निवेदन करेंगे कि सरकार गुड़ पर से भी बिक्री कर हटाये। गुड़ पर बिक्री कर लगा कर सरकार गरीब जनता की सहायता नहीं करेगी बल्कि उनके हित में एक बाधा प्रस्तुत करेगी।

श्रीमन्, माननीय रामनारायण जी ने अपने संशोधन में कहा है कि गृह उद्योग-धंधों के लिये जो विद्युत शक्ति दी जायगी वह सस्ती दी जायगी। बराबर इस सदन में सरकार की ओर से यह बात कही गयी और उस बिक्री कर विधेयक में जो पहले प्रस्तुत हुआ था और उसके बाद भी देखा जाय तो सरकार की ओर से इस तरीके से कहा गया और माना गया कि ऐसी विद्युत शक्ति पर बिक्री कर नहीं लगेगा जो छोटे गृह उद्योग के इस्तेमाल में आती हो। बराबर सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न रहा और बराबर सरकार का ढिंढोरा पिटता रहा कि हम गृह उद्योग को प्रोत्साहन देंगे और बढ़ायेंगे। मगर जिस तरह से बिक्री कर बढ़ाने की तजवीज सरकार की ओर से पेश है उसको देखते हुये बिना किसी हिचक के और बिना किसी बाधा के मैं यह कह सकता हूं कि सरकार की नीति यह गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने की नहीं है बल्कि उसको पीछे ले जाने वाली है और बरबाद और चौपट करने की है।

श्रीमन्, इसके बाद माननीय रामनारायण जी ने अपने संशोधन में पुस्तकों और पत्रिकाओं का जिकर किया है। तो अब सरकार की ओर से पुस्तकों पर से बिक्री कर हटाने का एलान हो चुका है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो पुस्तकों पर से बिक्री कर हटाने का एलान करें और कागज पर बिक्री कर को बढ़ा कर आप उसको बहुमुखी और बहुसूत्री करके सरकार एक हाथ से तो देती है और दूसरे हाथ से उसको ले लेती है। मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से इस बात का एलान होना

चाहिये कि किताबें महंगी नहीं हो पायेंगी। जिस भाव से और जिस रेट पर आज विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध हैं उसी भाव पर आगे भी मिलती रहेंगी। मगर मैं जानता हूं कि सरकार इसका ऐलान नहीं कर सकती। क्योंकि वह एक हाथ से तो वायदा करती है और दूसरे हाथ से उसको वापस ले लेती है। आज सरकार की ओर से कितने ही मुलायम शब्दों में, कितने ही सुन्दर शब्दों में अपीलें क्यों न की जायं लेकिन अगर उसका कुप्रभाव ऐसे लोगों पर पड़ता है जो जन सेवी हैं, जनहित के विरुद्ध उसका प्रभाव पड़ता है तो वह कभी भी सुन्दर वस्तु नहीं हो सकती।

इसीलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाफिज साहब से यह निवेदन करूंगा कि चाहे वे लच्छेदार, सुन्दर और मुलायम शब्दों का प्रयोग न करें, यह हमें बरदाश्त होगा, लेकिन वे उस टैक्स को बढ़ाने का प्रयत्न न करें जिससे जनता दबी जा रही है, उसकी हड्डियां पिसती चली जा रही हैं। एक तरफ तो ऐशोइशरत और मौजें और दूसरी तरफ पेट मर रहा है। आज जिनके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, जो दाने-दाने को मोहताज हैं, आज जिनकी क्रय शक्ति नहीं रह गयी है, उनकी ओर से वाणी में यहां बुलन्द करना चाहता हूं और आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इतने बड़े पाप को मोल न ले क्योंकि उनका यह कदम बड़ा अनर्थकारी होगा, उससे उनका जीवन दूभर हो जायगा, उनकी जिन्दगी चल न पायगी। श्रीमन्, जब यह बातें सामने आती हैं तो हमारे पक्ष की ओर से जो चीजें पेश होती हैं उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित होने की आवश्यकता होती है।

हमारे मित्र माहेश्वरी जी ने, वे मुझे माफ करेंगे, शायद वे इस समय सदन में नहीं हैं, उन्होंने हमें बड़ी खरी-खोटी सुनायी और सदन के सम्मानित सदस्य उनके तर्कों से प्रभावित होकर हो सकता है हमारे संशोधन का विरोध करें, तो मैं उनको सचेत कर देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि हम कभी विरोध में नहीं थे प्राइस सपोर्ट स्कीम के। अब प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है? सोशलिस्ट पार्टी ही है जो यह बराबर कहा करती थी—

"Parity must be established between industrial Produce and agricultural produce."

यानी खेतों से उत्पन्न होने वाले और कल कारखानों से उत्पन्न होने वाले पणियों में न्याय और समानता की बुनियाद कायम हो। बराबर हम इसका ऐलान करते रहे। आज से नहीं, तीन बरस से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की नीति किसानों के हित में नहीं जा रही है, किसानों के हित की नाशक है और करोड़पतियों के हित का रक्षक है। इसीलिये हम कहते हैं कि यह कंगाली और करोड़पन उसने कायम कर रखा है, वह इस कांग्रेस ने ही कायम कर रक्खा है। मेरा यह निश्चित मत है कि दुनिया से यह कंगाली, यह करोड़पन और यह कांग्रेस हुकूमत एक साथ ही सब जायंगे। तो इसमें कोई विशेष विलम्ब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कानून ऐसे बनते जायंगे और कंगाली बढ़ती जायगी और कंगाली बढ़ेगी तो करोड़पन्थी बढ़ेगी और करोड़ पन्थी से कांग्रेस हुकूमत जिन्दा रहेगी क्योंकि इन दोनों का रिश्ता ही ऐसा है। अगर कंगाली मिटेगी तो करोड़पन्थी भी मिटेगी और उसके मिटाने के बाद कांग्रेस की हुकूमत को भी मिटना होगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस विषय पर माननीय राजनारायण जी बोल रहे हैं उससे इस संशोधन का तो कोई विशेष सम्बन्ध मालूम नहीं होता। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह माहेश्वरी जी की किसी बात का उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ ऐसा जिक्र किया था तो वह उसका जबाव दे सकते हैं, मैं उस वक्त यहां नहीं था इसलिए मैं नहीं जानता कि माहेश्वरी जी क्या कह चुके थे।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन, मैं आपके द्वारा इस सदन में यह निवेदन कर रहा था कि माहेश्वरी जी ने हमारे ऊपर लांछन लगाया कि जब गल्ले का भाव गिर रहा था तो वह लाल टोपी कहां थी? मैं भी उनसे उन्हीं शब्दों में कह सकता हूं कि जरा देर को मान लें कि

[श्री राजनारायण]

लाल टोपी ने उस वक्त कुछ नहीं किया लेकिन उस वक्त वह सफेद टोपी कहां थी लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि लाल और सफेद टोपी का विवाद नहीं उठाना चाहिए और मैंने तो सफेद टोपी की परिभाषा भी डिक्शनरी से निकाल कर बता दी थी क्योंकि काफी समय तक मैं ने भी उसको अपनाया था और मैं सदन में साफ कह देना चाहता हूं कि मेरे दिल में ऐसी बात सुनने से और उसका जवाब देने से एक ठेस लगती है और एक ऐसे स्थान पर जहां पर हर समय हमारे सामने पूज्य बापू का चित्र टंगा है, मैं तो कभी-कभी सोचता हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चित्र को यहां से हटा दिया जाय क्योंकि यहां जब ऐसी बातें उनके नाम पर की जाती हैं तो उनकी आत्मा को अवश्य ठेस लगती होगी ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आपका ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि ऐसा कहना सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है । वह चित्र कोई गवर्नमेंट की चीज नहीं है वह सदन की चीज है, इसलिए आप उसे हटाने की बात न कहें ।

श्री राजनारायण---ठीक है, मैं उसको नहीं कहूंगा लेकिन इस सदन में जहां पर पूज्य बापू का चित्र टंगा हुआ है वहां जब हम उनकी बात करें तो जरा गम्भीरता और अदब के साथ करें । सदन की प्रतिष्ठा इसी में है कि हम पूज्य बापू के सिद्धान्तों की अवहेलना न करें । मैं आज सदन में डंके की चोट पर कह सकता हूं कि पूज्य बापू ने जिस आदर्श को, जिस लक्ष्य को और कार्यक्रम को आधार बना कर जिस स्वप्न को मूर्तिमान स्वरूप देने की चेष्टा की थी उनका वह स्वरूप आज इस कांग्रेस सरकार के ही जमाने में धूमिल होता जा रहा है, वह सारे सुन्दर स्वप्न पीछे हटते जा रहे हैं और उन के पद चिन्हों पर चलने वाली कांग्रेस की हुकूमत उनके ध्येय और लक्ष्य को नर्क में ले जा रही है और उनके महान आदर्शों से च्युत हो रही है । हमको माहेश्वरी जी के द्वारा सबक पढ़ाया गया कि बापू ने जब नमक सत्याग्रह.....

श्री अध्यक्ष---यह विषयान्तर हो रहा है, उसका इस संशोधन से क्या सम्बन्ध है ? श्री ताराचन्द्र ने जो इस विषय में कहा है आप उसी पर जवाब को सीमित रखिए ।

श्री राजानरायण---उन्होंने कहा था कि पूज्य बापू के ध्यान में उस वक्त यह नहीं था कि नमक पर बिक्री कर न लगे । तो क्या इस सदन के सम्मानित सदस्य माहेश्वरी जी की इस बात से सहमत हैं ? मैं फिर यही कहता हूं कि इस तरह की बातें यहां न हों तो अच्छा है । क्या बापू ने यह भी कहा था कि अंग्रेज तो नमक कर न लगावें लेकिन कांग्रेस की हुकूमत उसको लगावे । तो फिर इस तरह की बात करने की अनधिकार चेष्टा क्यों की जाती है और गलत बात का समर्थन कौन कर सकता है ? मैं आ रहा था अपनी बात पर । प्राइस सपोर्ट स्कीम के मातहत बड़े उलाहने दिये गये हमें । जब गल्ले का भाव गिर रहा था तो कहां लाल टोपी वाले, पीली टोपी वाले काली टोपी वाले---न मालूम किससे उनका संकेत था---लाल टोपी हम धारण करते हैं इस लिये वह संकेत हम अपने से मानते हैं---हमने जरूर विरोध किया था और जम कर विरोध किया और यह कह दिया कि गल्ले का भाव गिरेगा तो अनर्थ हो जायगा ? नहीं गिरना चाहिये । इसके लिये हमने प्रदर्शन भी किये ।

याद कर लें यह सदन कि १८ अक्तूबर, को जो सारे देश में डिमांड्स डे मनाया गया था । सोशलिस्ट पार्टी की ओर से उसी १८ अक्तूबर की तैयारी के लिये १६ अक्तूबर को बहुद्दपूर में सभा की थी जिसमें कि अवधशरण वर्मा उर्फ लल्ला जी की हत्या की गई । हमारी डिमांड चारों तरफ थी कि गल्ले का भाव गिर रहा है नहीं गिरना चाहिये । शहर-शहर में, मोहल्ले मोहल्ले, में देहात देहात में हमने प्रदर्शन किये, सभा की लेकिन सरकार ने एक प्राइस सपोर्ट की स्कीम निकाली । वह खोखली स्कीम थी । प्राइस सपोर्ट की चर्चा करके बिक्री कर न लगाने देने की बात सिद्ध

होती है क्योंकि प्राइस सपोर्ट स्कीम कांग्रेस हुकूमत सपोर्ट स्कीम थी। इस लिये कि सदन अवगत है कि दस रुपये मन किसान से गल्ला खरीदा गया और उसे १६ रुपये मन बेचा गया। क्या यह प्राइस सपोर्ट हुई? ७० फीसदी, ७५ फीसदी नफा ले हुकूमत और वह अपने को समाजवादी हुकूमत कहने का दावा करे, दम्भ करे और उलाहना हमें दें कि उस समय हमने किसानों की हित की रक्षा नहीं की बल्कि हुकूमत ने की—मैं यह जानना चाहूंगा, श्रीमन्, आपके द्वारा हम हया को अपने साथ रखते हैं, लज्जा और सत्य को अपने साथ रखते हैं और असत्य न कहने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो क्या कोई इस सदन में कह सकता है कि वह प्राइस सपोर्ट स्कीम यह निर्विवाद बात नहीं है कि वह कांग्रसी हुकूमत सपोर्ट स्कीम थी, यह हुकूमत बरकरार रहे, यह कानून बरकरार रहे। चाहे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लो, चाहे किसी शब्द का नाम ले लो उन शब्दों का प्रयोग कर जनता के गले पर छुरी चला दो—मैं निहायत अदब से कहूंगा कि यह बहुत गलत प्रचार हुआ है। यह गलत धारणा थी कि किसानों के गल्ले को खरीद कर किसानों को राहत पहुंचाई। किसान से दस रुपये मन लिया गल्ला और १६ रुपये मन बेचा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस असंगत विषय पर अधिक न कहें।

श्री राजनारायण—अच्छी बात है। हमारे प्रदेश में कुछ रूसी साहित्य का प्रचार हो रहा है। मार्शल बुलगेनिन और क्रुश्चेव भी यहां आये। तो उनके यहां भी एक नीति चली कि "एग्रीकल्चर शुड बी एक्सप्लायटेड फार दि डेवेलपमेंट आफ इन्डस्ट्री।" उन्होंने कहा कि हमारी कालोनी है एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री को विकसित करने के लिए। दूसरे मुल्कों के पास तो उपनिवेश हैं, दूसरे उपनिवेशों में माल भेज कर अपने यहां के उद्योग-धन्धों को विकसित करते हैं। हमारे पास उपनिवेश नहीं हैं। तो किसानों को उपज की कीमत को कम करके उद्योग-धन्धों को बढ़ाया जाय और इस तरह से उन्हीं रूसी पद चिन्हों-पर चल रहे हैं, उन पद-चिन्हों पर चल कर जो स्टैलिन के साथ हुआ—मरने के बाद किसी की निन्दा इतनी श्रीमन्, आप की हमसे ज्यादा उम्र है, आपने कभी भी सुनी न होगी और मरने के बाद पोस्ट मार्टम हुआ हो—हम नहीं चाहते कि हमारे देश के किसी नेता का इसी तरह से पोस्ट मार्टम हो। कतई इच्छा नहीं है। इसलिए मैं पहले से ही चेतावनी देता हूं कि खेती को उपनिवेश मत बनाओ उद्योग-धन्धों को विकसित करने के लिए। खेती भी एक उद्योग है। यह कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश को अगर आप चाहें कि अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के मानिन्द ले लें तो नामुमकिन है, असम्भव है। क्योंकि हिन्दुस्तान की आबादी देखी जाय और हिन्दुस्तान की कृषि को देखा जाय तो अमेरिका और रूस से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। हिन्दुस्तान में तो जहां पर एक वर्ग मील में तीन सौ से ज्यादा आबादी है वहां रूस और अमेरिका में बीस और ५० की आबादी है। कैसे हो सकती है यहां पर उनसे तुलना? जहां १ १/४ एकड़ प्रति व्यक्ति खेती का हिसाब होता है, वहां पर तीस और ७० एकड़ का हिसाब रूस और अमेरिका में क्रमशः होता है। फिर वहां का आदर्श, वहां के आंकड़ों को निकाल करके अपने देश में चलने की बात को सोचना, हमें हमेशा असफलता होती रहेगी। इस लिए बार-बार जो यह सरकार कहा करती है कि हम तो विकास करना चाहते हैं, उद्योग-धंधे को बढ़ाना चाहते हैं, पनपाना चाहते हैं इसलिए टैक्स का लगाना आवश्यक है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बड़ी गलती हुकूमत कर रही है। विकास होना चाहिए।

हमारे यहां कपड़े की और दूसरी जीवनोपयोगी वस्तुओं की जैसे लोहा और इस्पात है, की बड़ी कमी है। अगर हम अमेरिका और रूस के मुकाबिले में देखें कि यहां जहां १२ लाख टन था, मुश्किल से अब सरकारी आंकड़ों को दिया जाता है, तो कहा जाता है कि १४ लाख टन बनता है। वह भी ५०, ४० लाख टन भी नहीं होता। इस प्रकार इन जीवनोपयोगी सामग्रियों की यहां पर बड़ी कमी है। उनका विकास करना आवश्यक है। मगर इसका विकास कैसे होगा? गरीब को मार कर, किसान को मार कर होगा? खेतीबारी को

[श्री राजनारायण]

चौपट करके होगा ? अगर हुकूमत इसका कोई दूसरा रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो श्रीमन्, आप ही बतायें उस शब्द को जिस शब्द को मैं इस हुकूमत के लिए प्रयोग करूं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार अपनी औद्योगिक नीति को फिर से देखे और आज इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार की नयी औद्योगिक नीति घोषित हुई तो उस समय श्री घनश्याम दास जी बिड़ला और एक अमेरिका के प्रमुख नेता, दोनों की बात हो रही थी।

श्री व्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से बिलकुल बाहर की बातें हो रही हैं। इसमें कहां अमेरिका आता है ?

श्री अध्यक्ष---आप जरा विषय पर आ जायं। बिड़ला वगैरह यहां नहीं आते।

श्री राजनारायण---इस बिक्री कर को मिट्टी के तेल पर लगाया गया, खाद्यान्न पर लगाया गया, उद्योग धंधों पर लगाया गया, क्या मकसद है ? हुकूमत कहती है कि हम विकास कर रहे हैं इसलिए मैंने प्रसंगवश कह दिया कि आज सरकार की औद्योगिक नीति से श्री घनश्यामदास बिड़ला खुश हैं और कोई खुश नहीं है। कह दिया गया हुकूमत की ओर से केवल १७ उद्योगों के अतिरिक्त तमाम उद्योगों को हम व्यक्तिगत हाथों में दे देंगे। इस तरह से औद्योगीकरण होगा ? इस तरह से उद्योगों का विकास होगा ? नहीं होगा। यह करोड़पतियों का विकास होगा। तो मैं आ रहा था अपने उन मित्र के द्वारा, प्राइस सपोर्ट स्कीम की ओर। प्राइस स्पोर्ट स्कीम में सरकार ने लूट की। वह भार किसान पर ही पड़ा, वह भार गरीब पर ही पड़ा। और जब इस तरह बिक्री कर गल्ले पर पड़ा तो यह भार भी किसान और गरीब पर जायगा। यह कोई भी व्यक्ति साबित नहीं कर सकता कि इसका भार गरीब पर नहीं जायगा। फिर क्यों लगाया बिक्री कर गल्ले पर। क्यों न बिक्री कर गल्ले पर से हटायें ? और मैं माननीय गेंदासिंह जी के उस तर्क से सहमत हूं कि जो उन्होंने कल बताया था, अपना मत यहां की चीनी के कारखानेदारों के बारे में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय गेंदासिंह जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये, वह आंकड़ा ऊंचा होता है। उनकी जिस तरह से अखबार में रिपोर्ट निकली है, हमने उसको पढ़ा, मैं सदन में उपस्थित नहीं था। इसमें पिछले तीन वर्षों का हिसाब-किताब लगा करके उन्होंने बताया कि करीब २० करोड़ रुपया चीनी के कारखानेदारों के पास आता है, मैं कहता हूं अपने आंकड़ों से और तमाम कारखानों में घूमने के बाद मेरा यह अनुभव है कि अगर सही माने में हिसाब लगाया जाय तो १६ से २० करोड़ तक जो एक साल का अतिरिक्त मुनाफा जाता है, ३ साल का कहीं बहुत ज्यादा हो जायगा। ४० करोड़ से ऊपर हो जायगा। यह ४० करोड़ रुपया कहां जायगा ? उस रुपये को लेने की सरकार क्यों नहीं योजना बनाती ? उस रुपये को लेने की ओर सरकार क्यों नहीं जाती .....

श्री अध्यक्ष---अब आप विषय पर आ जाइये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं जरा आपसे एक जानकारी कर रहा था आपसे मैं यह कह रहा था कि इसी तरीके से मैंने एक कपड़े के बारे में अपना संशोधन दिया था। तो हम को माननीय उपाध्यक्ष ने यह कहा था कि संशोधन आप मूव नहीं कर सकते मगर आपको बोलने का मैं मौका दूंगा। तो आपकी इजाजत से हम अपना मत पेश कर देना चाहते हैं ताकि सरकार उससे भी अवगत हो जाय।

श्री अध्यक्ष---आप उसका जिक्र कर सकते हैं। उन्होंने कहा तो आपका उत्तर देना ठीक है।

श्री राजनारायण---तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक खाद्यान्न हो, मिट्टी का तेल हो, गुड़ हो, उद्योगों के लिए प्रयुक्त विद्युत शक्ति हो, पुस्तकें आदि हों, इन चीजों पर से बिक्री कर हटा ले। हमारी यह सिफारिश भी है सरकार से कि कपड़े पर भी बिक्री कर नहीं होना

चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? श्रीमन्, यदि देखा जाय तो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट में और बड़े अच्छे तर्कों में यह स्पष्ट किया गया है कि आज अपने प्रदेश के कपड़े का रोजगार बरबाद हो रहा है क्योंकि हमारे पड़ोसी सूबे दिल्ली और बिहार हैं। जहां दिल्ली और बिहार में कपड़े पर ३ पाई या ६ पाई बिक्री कर है और हमारे यहां कपड़ा पर बिक्री कर १२ पाई है। तो कपड़े पर १२ पाई बिक्री कर लगा कर अगर पूरा हिसाब लगाते हैं, अगर कपड़े का हिसाब देखा जाय तो हमारे प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ की आबादी है। यदि हम औसत मान लें कि प्रति व्यक्ति पीछे साल में १० रु० का कपड़ा लगता होगा, १० रु० से कम नहीं लगेगा, कम से कम १० रख लें तो उस हिसाब से हम यह देखते हैं कि करीब ६५ करोड़ रुपया हो जाता है जो कि कपड़ा बिकेगा, हमारे प्रदेश के लोगों की खरीद के लिए। अब इस पर बिक्री कर केवल २ पैसे के हिसाब से भी लगा तो लगभग २ करोड़ ३ लाख के हो जायगा, १२ पाई निकाल दें, अगर ६ पाई भी रख लें, तो भी २ करोड़ ३ लाख रुपया इस कपड़े पर, जो कि हमने कम हिसाब लगा करके रखा है, १० रुपया फी व्यक्ति के हिसाब से साल में कपड़े का खर्चा ६५ करोड़ हुआ। उसका हिसाब लगा करके देखा। मगर जो रेट इस वक्त सरकार का है उस से सवा चार करोड़ हो जायगा। फिर सरकार आज तक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पायी है कि बिक्री कर से वह कितना रुपया वसूल करना चाहती है। कोई आंकड़ा सरकार की ओर से नहीं किया गया। बल्कि सरकार अंधकार में है। तो सरकार अंधकार में रहे हम लोगों को क्यों ले जाना चाहती है? इसलिए मैं सरकार से अदब से अर्ज करूंगा कि कपड़े पर बिक्री कर नहीं लगना चाहिए और अपने तर्क के समर्थन में केवल एक बात कहूंगा: जैसे पश्चिमी बंगाल में ७ रु० ८ आना तक की धोती और ९ रु० तक की साड़ी बिक्री कर से मुक्त है। अच्छा, क्या मैं सरकार से यह कह सकता हूं कि ऐसा कपड़ा जो कि गरीब पहिनता है, निम्न वर्ग पहनता है, निम्न मध्यम वर्ग पहनता है, मध्यवर्ग पहनता है उस पर बिक्री कर न रहे। आज तक श्रीमन्, आप माननीय राजगोपालाचारी जी के तर्क को स्मरण करेंगे जब कि उन्होंने एक बार तर्क रखा था कि जो हाथ से बुनाई होती है, बुनकरों के कपड़ों को कोई सहायता अगर करनी है तो उनके लिए किसी तरह का सामान निर्धारित कर दिया जाय और वह सामान मिलें न बनायें। अब हम को सरकार यह बताये कि एक तरफ तो तीन आना छूट सरकार सहायता जो देती है, दोनों तरफ वह चले, एक तरफ तो तीन आना छूट सहायता मिले और दूसरे हाथ से कपड़े पर बिक्री कर बढ़ा दिया जाय। यह क्यों हो? यह कोई उचित नीति है? यह अनुचित नीति है। तो हर नुक्तेनजर से हम जब कहते हैं, तमाम सूबे के, देश के आंकड़ों को अपने सामने रखते हुए, हम सधिकारपूर्ण तरीके से कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कपड़े का व्यापार चौपट हो रहा है और इसके समर्थन में श्रीमन्, कानपुर का दैनिक प्रताप, बनारस का आज और दूसरे बड़े-बड़े अखबारों ने संकेत किया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बिहार से कपड़ा आ रहा है, किस तरह से दिल्ली से कपड़ा आ रहा है। यानी करीब साढ़े छः रुपया मुनाफा उनको हो जाता है, ढाई रुपया मुनाफा हो जाता है और वह मुनाफा ले करके सस्ते कपड़े को हमारे बाजार में वह बेच रहे हैं जब कि उत्तर प्रदेश का कपड़ा उतना सस्ता नहीं बिकता है। तो फिर उत्तर प्रदेश में सरकार की नीति से कपड़े का व्यापार कैसे पनपेगा यह सरकार को समझना पड़ेगा।

सरकार को बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार की जो नीति चल रही है इस समय बिक्री कर के सम्बन्ध में यह सारे प्रदेश के कपड़े के रोजगार को बरबाद कर रही है, चौपट कर रही है या नहीं? इसलिए श्रीमन्, हम अपने हित में, समाज के हित में या एक माने में अगर सरकार माने तो सरकार के हित में भी सरकार से निवेदन करेंगे कि कपड़े पर भी बिक्री कर सरकार फौरन हटाये और दूसरे सूबे के समान उसकी नियमावली में परिवर्तन करे। दूसरे सूबे में जो कपड़े के बारे में नियमावली है उसको भी सरकार सामने रखे। मैं उन तमाम आंकड़ों को इस समय नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा, आखीर में ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहता, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार असमर्थ हुई है, सरकार तर्कशून्य हुई है, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, सरकार के पास

[श्री राजनारायण]

कोई औचित्य नहीं है कि सरकार गल्ले पर, सरकार मिट्टी के तेल पर, सरकार गुड़ पर, सरकार छोटे छोटे उद्योगधंधों से जो बिजली से चलते हैं उनके द्वारा बनाये हुए सामान पर या बिजली पर या कपड़े पर बिक्री कर लगाये और बढ़ाये। हम जोरदार शब्दों में सरकार से यह मांग करेंगे कि सरकार इन सामग्रियों पर से अविलम्ब बिक्री कर को हटाये और उसी के साथ साथ जब हम सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं, आरजू मिन्नत करते हैं, तो सरकार को हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन, हमारी आरजू मिन्नत में एक दृढ़ता भी है। हम छिपाना नहीं चाहते, कोई बात आड़ में नहीं रखना चाहते। हम सरकार से अदब के साथ यह अर्ज करना चाहते हैं कि सरकार ज्यादा खेल न खेले। हमारी तरफ श्रीमन्, देहात का एक मसल है कि लंगड़ी बिलार घर ही में शिकार। वह घर में ही तमाम मूसों को पकड़ करके खाना चाहती है। तो सरकार जरा ऊंचे स्तर पर आकर के इन समस्याओं को समझे। घर ही में बैठकर के नजदीक ही देखकर गरीबी को देख कर के जीभ में पानी न आ जाय कि जल्दी पाओ इन्हीं को और इन्हीं को दबोचो और इन्हीं पर सारा टैक्स बढ़ा दो और सरकारी खजाना भर लो और उसके बाद लुटाओ। विरोध होगा, जमकर विरोध होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो विरोध का क्रियात्मक स्वरूप भी होगा। उसका स्वरूप हो सकता है सत्याग्रह, उसका स्वरूप हो सकता है आम हड़ताल, उसका स्वरूप हो सकता है कानून का तोड़ना। गांधी जी ने हमें जिन उच्च आदर्शों को सिखाया है, जिन कार्यकलापों को सिखाया है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भी नाजायज टैक्स के बोझ से जनता का उद्धार करने के लिए हम इन अवसरों का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां कोई धमकी की भाषा नहीं होनी चाहिए। यह दूसरों के मत को तर्क से परिवर्तित करने का स्थान है ?

श्री राजनारायण--निवेदन है, धमकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं फिर भी कहता हूं कि धमकी देने का स्थान यह नहीं है।

श्री नवलकिशोर--मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, मेरा नाम कई बार लिया गया।

श्री अध्यक्ष---कोई परसनल एक्सप्लेनेशन है आपका ?

श्री नवलकिशोर---जी हां। मान्यवर, मुझको इतनी बात कहनी है सिर्फ कि मैंने जो कुछ कहा उसको ठीक नहीं समझा। मैंने सिर्फ यह कहा था कि जहां तक कि फूडग्रेन्स का सम्बन्ध है उसका टैक्स ७० परसेंट पापुलेशन पर नहीं लागू होता है, उसके अलावा मैंने किसी टैक्स की बात नहीं कही थी।

श्री राजनारायण--यही मैंने समझा भी, श्रीमन्।

***श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)----माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर काफी देर से सदन में बहस हो रही है। मैं इस विषय पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में यह कहा गया है कि टैक्स लगाने से पहले जनमत का जानना आवश्यक है। एक सदस्य ने यह कहा था कि "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन"। नारे की बात बहुत अच्छी हुआ करती है लेकिन नारों से ही देश की नीतियां निर्धारित नहीं होतीं। जिन्होंने कि अमेरिका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का इतिहास पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि "नोटैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन" की आवाज जो अमेरिका के स्वाधीनता के इतिहास में लगायी गयी थी उसके समानान्तर यहां कोई चीज नहीं है। वह चीज वहां उस समय होती थी, जब कि अमेरिका पर कानून लगा दिये जाते थे और वह कानून अमरीकनों से बगैर पूछे अंग्रेजी सरकार यह ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने यहां बना देती थी। यहां उसके समानान्तर क्या चीज है? यहां तो एक संविधान बना और किसने उसको बनाया? देश के प्रतिनिधियों ने। उसमें यह रखा गया कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर एक अध्यादेश को निकाल सकता है और वह अध्यादेश भी एक निश्चित समय तक सदन के सामने उपस्थित होना आवश्यक है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां वह उक्ति लागू होती है कि "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रजेन्टेशन"?

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अब आम बहस खत्म हो चुकी है। अब संशोधन पर आ जायं और उसके सिलसिले में कहें।

श्री देवकीनन्दन विभव--जी हां। मैं यह बतला रहा था कि कुछ चीजों के लिए --संक्षिप्त में ही चलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा सदन का--मैं यह बतला रहा था कि इस सम्बन्ध में कुछ चीजें सरकार ने जनमत के आधार पर निश्चित कीं और उसने नमक पर से कर हटाया और कुछ चीजों पर टैक्स कम किया और मुझे खुशी है कि आज वित्त मन्त्री महोदय ने इस बात का भी एलान किया कि वे इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि अनाजों में से किन किन चीजों पर टैक्स रखा जाय और किन पर नहीं। मैं समझता हूं कि जनमत का आदर जितनी अधिक मात्रा में हो सकता था वह हमारी सरकार ने किया। मैं इसीलिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं कि वित्त मन्त्री जी को यह अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वे इस बात को देखें कि किन-किन अनाजों को कर से मुक्त किया जा सकता है।

गृहउद्योगों को भी मुक्त करने की बात कही गयी। मैं समझता हूं कि इस सदन में इस सम्बन्ध में एक मत है कि हमें गृहउद्योगों को टैक्स से मुक्त करना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी हम पास कर चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है वित्त मन्त्री महोदय से यह जानकर कि वे इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि गृहउद्योगों में से किन-किन चीजों को कर से मुक्त किया जाय। मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री महोदय शीघ्र ही इस बात पर अपना निर्णय लेंगे और सदन को यह बतलायेंगे कि वे इस सम्बन्ध में क्या निर्णय कर चुके हैं। मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि देश की बेकारी की समस्या को हल करने का एक ही उपाय है और वह यह कि हम अपने छोटे गृहउद्योगों को बढ़ायें। मुझे खुशी है कि वित्त मन्त्री महोदय इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और सम्भवतः उद्योग विभाग से इसकी चर्चा भी चल रही है और शीघ्र ही निर्णय होगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होगी और किन गृहउद्योगों को कर से मुक्त कर देगी।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह सेल्स टैक्स लगा है मुझे कितनी ही व्यापारिक संस्थाओं, यू०पी० नेशनल चेम्बर्स और दूसरी व्यापारी संस्थाओं की मीटिंगों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं यहां बड़ी खुशी के साथ एक बात का एलान करना चाहता हूं कि जैसा मैं उन व्यापारी संस्थाओं से विचार, विमर्श के बाद जान सका हूं कि आज हमारे प्रदेश का व्यापारी इस बात के लिए इच्छुक है कि वह देश के निर्माण के कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन का संग्रह कर सके।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ मई, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७ पर)

क्र० सं०	तहसील का नाम	नदी का नाम	क्र० सं०	तहसील का नाम	नदी का नाम
				मोहम्मदाबाद तहसील	
१	मझगवां	.. टोंस	१	फीरोजाबाद	.. टोंस
२	असनी	.. ,,	२	डीह	.. ,,
३	कोल बाजबहादुर	.. ,,	३	उझौली	.. ,,
४	बाज लखराज	.. ,,	४	मिर्जापुर	.. ,,
५	रामपुर जाप्ती	.. ,,	५	पट्टी	.. ,,
६	नरौनी	.. ,,	६	मदनपुर	.. ,,
७	ममरखापुर	.. ,,	७	देवकली तारन	.. ,,
८	मोजरापुर	.. ,,	८	वालिदपुर	.. ,,
९	दुबौली	.. ,,	९	बोईनाबाद	.. ,,
१०	कजरा कोल	.. ,,	१०	देवकली धरमजीत	.. ,,
११	परबू वट्टी	.. ,,	११	उतरार	.. ,,
१२	दुवासा	.. ,,	१२	खरन्ती	.. ,,
१३	पच्छिम पट्टी	.. ,,	१३	बरइपुर	.. ,,
१४	कोल	.. ,,	१४	रानीपुर	.. ,,
१५	खुतौली	.. ,,	१५	चमराही	.. ,,
१६	कोठवा	.. ,,	१६	मादकोल	.. ,,
१७	कोल पांडे	.. ,,	१७	काजीपुर	.. ,,
१८	हरीपुर	.. ,,	१८	प्रधानपुर	.. ,,
१९	हथिया	.. ,,	१९	सरैया	.. ,,
२०	मुजफ्फरपुर	.. ,,	२०	रसूलपुर	.. ,,
२१	गंगाठिया	.. ,,	२१	कसर	.. ,,
२२	रायदोपुर	.. ,,	२२	लाडसुर	.. ,,
२३	मडया	.. ,,	२३	दीलिया	.. ,,
२४	हरेया	.. ,,	२४	पाही जमीनपाही	.. ,,
२५	मुसामी का पुरा	.. ,,	२५	सोनावर	.. ,,
२६	मिजामाबाद (चमरौटी)	,,	२६	मुढ़ा	.. ,,
२७	गयांसपुर	.. ,,	२७	गुरजवार	.. ,,
२८	मजा	.. ,,	२८	इब्राहीमपुर	.. ,,
२९	चक मिसरौली	.. ,,	२९	मरहा	.. ,,
३०	सिउली	.. ,,	३०	बन्नी कोल	.. ,,
३१	पान्डे का पुरा	.. ,,	३१	चन्द्रभानपुर	.. ,,
३२	सोहिला	.. ,,	३२	खन्जहनपुर	.. ,,
३३	चकलोनिया	.. ,,	३३	रनबीरपुर	.. ,,
३४	चकइनामी	.. ,,	३४	अमराहट (अहीरपटी)	,,
३५	सुलतानीपुर	.. ,,	३५	सजन	.. ,,
३६	बनहर	.. ,,	३६	चक सादी	.. ,,
३७	स्टमरगंज	.. ,,	३७	सराय लखनसी	.. ,,

क्र० सं०	तहसील का नाम		नदी का नाम
३८	सनेगपुर	..	टोंस
३९	मत्तावरगंज	..	,,
४०	अमिल	..	,,
४१	मलिके सुदानी	..	,,

सगरी तहसील

१	रशीदाबाद	..	,,
२	सनरूपुर	..	,,
३	पयागपुर	..	,,
४	करमा	..	,,
५	अभवारा नरायनपुर		,,
६	सिकरौरा	..	,,
७	पनसबादा	..	,,
८	भुवाना बुजुर्ग	..	,,
९	चक भुवाना	..	,,
१०	फजुल्लापुर	..	,,
११	बलिया कल्यानपुर	..	,,
१२	लारो	..	,,
१३	मेगापुर	..	,,
१४	हर्रासिहपुर	..	,,
१५	अहिरौली	..	,,
१६	हरई	..	,,
१७	मरौली	..	,,
१८	नूरउद्दीनपुर	..	,,
१९	अमरालाडीह	..	,,
२०	परसोत्तमपुर	..	,,
२१	जमुनाहरी राम	..	,,
२२	असरफपुर	..	,,
२३	कोकिलपुर	..	,,
२४	गढ़वाल	..	,,
२५	अजगला पश्चिमी	..	घाघरा नदी
२६	शिवपुर	..	,,
२७	देवारा जैदकिया नं० २		,,
२८	हैदराबाद	..	,,
२९	नौबरार हरखपुर	..	,,
३०	नौबरार देवारा जदीद नं०		,,
३१	अमान पट्टी	..	,,
३२	देवारा ईस्माइलपुर	..	,,
३३	गौन्हा	..	,,
३४	नौबरार त्रिपुरारीपुर खालसा		,,
३५	कुध्वी	..	,,
३६	नौबरार तुर्क छोरा	..	,,
३७	तुतेहवा	..	घाघरा नदी
३८	कारखिया	..	,,
३९	त्रिपुरार अमिया	..	,,
४०	अराजी देवारा	..	,,
४१	चौउला	..	,,
४२	दम महुला	..	,,
४३	सहबोडिया	..	,,
४४	हाजीपुर	..	,,
४५	देवारा खास राजा	..	,,
४६	सातडीह	..	,,
४७	महामा खास	..	,,
४८	बनबा	..	,,
४९	सिराला	..	,,
५०	मठनिया	..	,,
५१	भदवा महरन्द	..	,,
५२	मसुरियापुर	..	,,
५३	नैनीजोरा	..	,,
५४	मराही	..	,,
५५	सुरौली	..	,,

तहसील सदर

५६	अमई पट्टी	..	,,
५७	धुनिया चक	..	,,
५८	महुली	..	,,
५९	गंगीपुर	..	,,
६०	परसिया	..	,,

तहसील फूलपुर

१	पहिजनरामपुर	..	टोंस नदी
२	असलई खुर्द	..	,,
३	असलई बुजुर्ग	..	,,
४	छतौनी	..	,,
५	सिमाह	..	,,
६	शाहपुर छगौना	..	,,
७	बिशुनपुरा	..	,,
८	कठकोली	..	,,
९	सोहवल	..	,,
१०	शम्भूपुर	..	,,
११	छितौनी बना खुर्द	..	,,
१२	पैरा दूबे	..	,,
१३	परछीतू	..	,,
१४	ढवेना	..	,,

क्र०सं०	तहसील का नाम		नदी का नाम	क्र०सं०	तहसील का नाम		नदी का नाम
१५	बशेरा	..	टोंस नदी	७	दुनियलपुर	..	टोंस नदी
१६	बीबीपुर	..	"	८	जसिंहपुर	..	"
१७	सजनी	..	"	९	मुहम्मदपुर खास	..	"
१८	मकदूमपुर	..	"	१०	भगवानपुर	..	"
१९	निजामपुर	..	"	११	चिस्तीपुर	..	"
२०	फरीदपुर	..	"	१२	भवरकोल	..	"
२१	मौलानापुर	..	"	१३	खेरीडीह	..	"
२२	अमिलिया	..	"	१४	मोहम्मदपुर मठ	..	"
२३	अन्दिका	..	"	१५	डगवली	..	"
२४	गाखावल	..	"	१६	इकौना	..	"
२५	ममुरिया	..	"	१७	कोठवा कोपरा	..	"
२६	खोडपुर चन्दू	..	"	१८	सोडसर	..	"
				१९	काछी क्लन	..	"
	घोसी तहसील			२०	बमनी कोल	..	"
१	मीरपुर रहीमाबाद		टोंस नदी	२१	फैजुल्लापुर	..	"
२	खुरथी जफारपुर	..	"	२२	चकारा	..	"
३	पारा	..	"	२३	नूरुल्लापुर	..	घाघरा नदी
४	नौसेमर	..	"	२४	बेवारा दुबरी	..	"
५	जहनियनपुर	..	"	२५	देवरा धर्मपुर	..	"
६	सहेरोज	..	"	२६	सम्हारूका पुरा	..	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८० पर)

उन जिलों की सूची जहां जिला सूचना कार्यालय की गाड़ियां प्रयोग में नहीं हैं।

जिले का नाम	कब से प्रयोग में नहीं हैं	वर्तमान स्थिति
१—अलीगढ़ ..	अप्रैल, १९५५	रोडवेज द्वारा ८८४ रु० की मरम्मत हो चुकी है और अभी २,१५० रु० की और मरम्मत की स्वीकृति दी गयी है।
२—अल्मोड़ा ..	दिसम्बर, १९५५	गाड़ी रोडवेज वर्कशाप कानपुर में मरम्मत हो रही है।
३—बहराइच ..	मार्च, १९५६	कुछ मरम्मतों के लिए लखनऊ आयी है। कार्यवाही हो रही है।
४—बाराबंकी ..	जनवरी, १९५६	लखनऊ में मरम्मत हो रही है।
५—फतेहपुर ..	जुलाई, १९५५	मरम्मत के लिए यहां आयी है।
६—गाजीपुर ..	फरवरी, १९५५	कंडेम होने के लिए मुख्य कार्यालय पर आई है।
७—जालौन ..	जून, १९५५	कन्डेम हो चुकी है किन्तु जिलाधीश ने मरम्मत करा ली है और अभी चालू हालत में है।
८—मैनपुरी ..	फरवरी, १९५५	कन्डेम हो चुकी है।
९—मेरठ ..	नवम्बर, १९५४	कन्डेम हो चुकी है पर अस्थायी रूप से मुजफ्फरनगर की गाड़ी भेज दी गयी है।
१०—नैनीताल ..	जून, १९५५	यहां कन्डेम होने के लिए आई है।
११—सीतापुर ..	जून, १९५५	यहां कन्डेम होने के लिए आई है।
१२—इटावा ..	.. ..	मरम्मत में है।
१३—प्रतापगढ़ ..	मार्च, १९५६	मरम्मत में पड़ी है।
१४—मुजफ्फरनगर	.. ..	मेरठ को भेज दी गयी है।

(क)

१—इलाहाबाद
२—अल्मोड़ा
३—आजमगढ़
४—बहराइच
५—बांदा
६—बस्ती
७—देवरिया
८—गढ़वाल
९—गोंडा
१०—गोरखपुर
११—हमीरपुर
१२—हरदोई
१३—झांसी
१४—कानपुर
१५—खीरी
१६—मेरठ
१७—मुरादाबाद
१८—मिर्जापुर
१९—नैनीताल
२०—सहारनपुर
२१—सीतापुर
२२—टेहरी गढ़वाल

(ख)

१—आगरा
२—अलीगढ़
३—बलिया
४—बनारस
५—बाराबंकी
६—बरेली
७—बिजनौर
८—बदायूं
९—बुलन्दशहर
१०—देहरादून
११—एटा
१२—इटावा
१३—फैजाबाद
१४—फर्रुखाबाद
१५—फतेहपुर
१६—गाजीपुर
१७—जालौन
१८—जौनपुर
१९—लखनऊ
२०—मथुरा
२१—मुजफ्फरनगर
२२—पीलीभीत
२३—प्रतापगढ़
२४—रायबरेली
२५—रामपुर
२६—शाहजहांपुर
२७—सुल्तानपुर
२८—उन्नाव
२९—मैनपुरी

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७ पर)

जिला बोर्ड के सदस्यों, अध्यक्षों को बोर्ड द्वारा जिला बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों आदि के यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियम के अन्तर्गत प्राप्त कार (Car) विनयक विवरण।

जिला बोर्डों के नाम	जिला बोर्ड के अध्यक्ष को कार प्राप्त है या नहीं	जिला बोर्ड के नाम	जिला बोर्ड के अध्यक्ष को कार प्राप्त है या नहीं
१—देहरादून	नहीं	२६—बनारस	नहीं
२—सहारनपुर	*	२७—मिर्जापुर	हां
३—मुजफ्फरनगर	हां	२८—जौनपुर	हां
४—मेरठ	हां	२९—गाजीपुर	हां
५—बुलन्दशहर	हां	३०—बलिया	हां
६—अलीगढ़	हां	३१—भदोही सब बोर्ड	हां
७—मथुरा	हां	३२—गोरखपुर	हां
८—आगरा	हां	३३—बस्ती	हां
९—मैनपुरी	हां	३४—आजमगढ़	हां
१०—एटा	हां	३५—देवरिया	हां
११—बरेली	हां	३६—नैनीताल	हां
१२—बिजनौर	हां	३७—अल्मोड़ा	हां
१३—बदायूं	हां	३८—पोड़ी गढ़वाल	नहीं
१४—मुरादाबाद	हां	३९—लखनऊ	हां
१५—शाहजहांपुर	हां	४०—उन्नाव	नहीं
१६—पीलीभीत	हां	४१—रायबरेली	हां
१७—फर्रुखाबाद	हां	४२—सीतापुर	हां
१८—इटावा	हां	४३—हरदोई	हां
१९—कानपुर	हां	४४—खीरी	हां
२०—फतेहपुर	हां	४५—फैजाबाद	हां
२१—इलाहाबाद	*	४६—गोंडा	हां
२२—बांदा	हां	४७—बहराइच	हां
२३—हमीरपुर	हां	४८—सुल्तानपुर	हां
२४—झांसी	हां	४९—प्रतापगढ़	हां
२५—जालौन	हां	५०—बाराबंकी	*

* सूचना जिलाधीश के यहां से प्रतीक्षित है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

अनुसूची (क)

रुड़की के राजकीय कारखाने में किसी विशेष मशीन का निर्माण नहीं होता परन्तु उन में निम्नलिखित औजार और पुर्जे बनाये जाते हैं।

१—बैलों की सहायता से ही प्रयोग में आने वाले औजार 'जैसे' हल, थ्रेशर (Threshers), रेक्स (Rakes), हैरोज (Harrows), बीज बोने के यंत्र (Seed Drills) विभिन्न प्रकार के।

२—इन्टरनल कम्बरशन इंजिन (Internal comburtion Engine) के पुर्जे ट्रैन्स्मीशन के पुर्जे (Tramission parts) जिसमें गियरिंग (gearing) और शैफ्टिंग (Shafting) भी सम्मिलित हैं।

३—बिजली के सामान जैसे ११ के० वी० इन्सुलेटर्स पिन (K. V. Insulators pin) और ट्रैन्स्मीशन लाइन बनाने के लिये बिजली के विभिन्न सामान।

४—स्टील फैब्रीकेशन (Steel Fabrication) वेलडेड (Welded) और रिविटेड (Rivitted)।

५—पंद्रह हन्ड्रेडवेट तक ढलाई, पीतल और अलमूनियम, लोहे और दूसरे नान फैरस (Non-ferrous) धातुओं की ढलाई।

६—स्लाटेड पाइप (Slotted Pipe), कैसिंग पाइप (Casing pipes) और दूसरे पाइपों की फिटिंग।

७—बारीक मशीन का काम।

८—हाथ से उपयोग में आने वाली मशीनें।

९—हर प्रकार की लकड़ी का काम।

१०—कृषि मशीनें और १० हार्स बावर के सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प (Centrifugal Pumps)

११—मशीन, लेथ (Lathes), प्लेनिंग मशीन (Planing Machine) और इस प्रकार की दूसरी मशीनें।

१२—हर प्रकार का फोर्जिग (Forging) का काम।

१३—ट्रक के लिये ट्रेलर और बाडी (Trailors and Bodies) को बनाना।

१४—रेल के इंजन तथा डब्बों के पुर्जे, उदाहरणार्थ:—

(१) पैच बेंट चैनल सोलबार तथा हेड स्टाक (Patch Bent Channel Sole Bars and Head Stock)।

(२) ब्रेक ब्लाक (Brake Blocks)।

(३) पार्टिग प्लेट्स (Parting Plates)।

(४) पिन पुल राड (Pine Pull Rod)।

(५) डोर लाक कम्पलीट (Door Lock complete)।

(६) फेस प्लेट फार ऐक्सल बाक्स (Face Plate for Axle Box)।

(७) ऐक्सल गार्ड (Axle Guards)।

(८) लेवेटरी डोर कैच (Lavatory Door Catch)।

(९) कमोड चूट के लिये स्लीव (Sleeves for Commode Chute) ।
(१०) स्प्रिंग डोर चेक (Spring Door Check) ।
(११) सी० आई० सीट लेगस् (C. I. Seat Legs) ।
(१२) बैटरी बाक्स के लिये लोहे की फिटिंग्स (Iron Fittings for Battery Box) ।
(१३) ब्रिटम्प पैकिंग के लिये केसिंग सी० आई० (Casing C.I. for Britump Packing) ।
(१४) स्मोक बाक्स सैडल (Smoke Box Saddle) ।
(१५) लुप पुल राड्स (Loop Pull Rods) ।
(१६) वाशर (Washers), बुशेज (Bushes) तथा स्लीवज (Sleeves) की भिन्न २ प्रकारें।

१५—ट्रांसमिशन टावर (Transmission Towers), स्टबस् (Stubs) तथा जलविद्युत विभाग के लिये टेम्पलेट्स (Templates) ।

१६—हाउसिंग पाइप्स तथा नलकूप विभाग के लिये अन्य पुर्जे ।

१७—नहरों तथा डामों के लिये स्लूइस गेट (Sluice gates), लिफ्टिंग गियर्स (Lifting gears) तथा अन्य सामग्री सहित ।

१८—स्वायत शासन इंजीनियरिंग विभाग के लिये डबल फ्लैंग्ड स्टील पाइपस् (Double Flanged Steel Pipes), सी० आई० बेन्ड्स (C.I. Bends), टीज (Tees), रिड्यूसर्स (Reducers), साकेट्स (Sockets) इत्यादि

१९—पंजाब सिंचाई विभाग के लिये ब्रिज गर्डर्स (Bridge Girders)

२०—रुड़की विश्वविद्यालय के लिये फिक्सड तथा टिल्टिंग फ्लूम्स (Fixed and Tilting Flumes) ।

२१—रोपवे एक्सेसरीज (Ropeway Accessories) पंजाब व सिक्किम सरकार के लिये ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९० पर)

अनुसूची (स)

रुड़की के राजकीय कारखाने की आमदनी और खर्च

साल			कुल खर्च	कुल आमदनी
			रु०	रु०
१९५०–५१	..	..	६,१३,३८१	६,३८,९५९
१९५१–५२	..	..	४,७३,००३	३,७३,५६७
१९५२–५३	..	..	४,३५,५२५	३,८६,२९०
१९५३–५४	..	..	७,६२,४७०	५,५४,४१३
१९५४–५५	..	..	७,५५,५०९	७,४२,९६६
१९५५–५६	..	..	१२,५१,७४९	१३,७४,८४२

कारखाने पर कुल लागत १९,६३,९१४ रु०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९० पर)

अनुसूची (ख)

रुड़की राजकीय कारखाने में अधिकारियों, क्लर्कों और मजदूरों की संख्या

	अधिकारी	क्लर्क	मजदूर
स्थायी ..	..	..	..
अस्थायी नियमित	५	४०	..
वर्क आर्जड़ ..	..	..	४१९

अदेखित प्रकाशन

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

जिला सूचना अधिकारियों को सौंपे गये कार्य एवं कर्त्तव्य का विस्तृत विवरण

१—जिला नियोजन विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क रखना तथा उनके सभी कार्य कलापों का समुचित रूप से प्रचार करना ।

२—जिला सूचना अधिकारी को अपना कार्यालय और जिले भर के लिये एक सूचना केंद्र संगठित करना जहां जिले के सब प्रकार के प्रगति के आंकड़े और दूसरे विवरण सुलभ हों ।

३—पत्रकारों एवं प्रेस से अच्छे एवं निकट संपर्क स्थापित करना।

४—ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करना तथा जनता को सरकारी योजनाओं में हुई प्रगति से अवगत कराना।

५—मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रचार करना तथा चलचित्र प्रदर्शन करना ।

६—सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत दिये गये रेडियो सेटों तथा बैटरियों की दशा, उपयोगिता एवं कार्य संबंधी सूचना प्राप्त करना तथा रेडियो की मांग के लिये जनता में उत्साह उत्पन्न करना ।

७—प्रधान कार्यालय से भेजी गयी प्रचार सामग्री को सुरक्षित रूप से संबंधित व्यक्तियों के पास पहुंचना।

८—विभागीय गाड़ी, प्रोजेक्टर, लाउडस्पीकर, फिल्मों आदि की पूरी देख-रेख करना।

९—विभागीय पत्र पत्रिकाओं के चन्दे की वसूली की देख-रेख करना ।

१०—वास्तविक महत्व के संवाद को भेजना, जिनका प्रकाशन राज्य-स्तर पर होना उचित हो।

११—स्थानीय समाचार पत्रों का निरीक्षण तथा भ्रमोत्पादक समाचारों का खंडन प्रकाशित करना।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

कृषकों के नामों की सूची

क्रम-संख्या	कृषक का नाम		बीघा क्षेत्र बिस्वा	विस्वांसी	मुआवजा देने की तारीख
१	सुखदेव सिंह	..	१	५	७-२-५६
२	सतलाल पुत्र सबल	..	१०	१५	"
३	महेश पुत्र जग्गे	..	..	५	"
४	बन्ना पुत्र सदल	..	३	१०	"
५	जीत पुत्र तपसी	..	१०	१५	"
६	विल्स पुत्र बनवारी	..	५	..	"
७	जीत पुत्र सितल	..	२	..	"
८	दूबस पुत्र दिनई	..	..	१०	"
९	विसन पुत्र जगपत	..	१०	..	१६-३-५६
१०	शिवपाल पुत्र मसे	..	२	५	"
११	राम सूरत पुत्र चन्दर	..	२	१०	"
१२	हरगुन सोमन (साझीदार)	..	२	५	"
१३	दुबरे पुत्र हरख	..	..	१५	"
१४	याद पुत्र बुद्ध	..	३	१५	"
१५	मैनेसर पुत्र टेलह	..	१	..	"
१६	दखवनती पुत्र सुखदेव	..	३	..	"
१७	कौलेसर पुत्र संदलू	..	१	१०	"
१८	चौथी पुत्र बदरी	..	१	५	"
१९	कलई पुत्र बदल	..	७	..	"
२०	भगवान सिंह पुत्र बलदेव	..	८	..	"
२१	सोमन पुत्र पल्टे	..	६	१५	"
२२	सलामत पुत्र अब्दुल	..	१५	..	"
२३	सुन्दर पुत्र बिल्ले	..	४	..	"
२४	बांके लाल पुत्र भगवान	..	२	१०	"
२५	टिकोरी लाल पुत्र पग्गू	..	१०	..	"
२६	बासदेव सिंह पुत्र हरख	..	..	१०	"
२७	ढलमन पुत्र हरख	..	२	१५	"
२८	ढलमन दिनई (साझीदार)	..	१	५	७-२-५६
२९	दिनई पुत्र हरख	..	..	५	"
३०	पुन्वासी पुत्र बंशी	..	२	१५	"
३१	हरगुन पुत्र पिनवासी (साझीदार)	..	२	१०	"
३२	जगदेव पुत्र पहल	..	४	१५	"
३३	हरगुन पुत्र लौट	..	१	१५	"
३४	नागेश्वर पुत्र जगलाल	..	२	५	"
३५	दौलत पुत्र रजई	..	२	१०	"

अध्यक्ष विधान सभा

क्रम-संख्या	कृषक का नाम		बीघा क्षेत्र		मुआवजा देने की तारीख
			बिस्वा	बिस्वांसी	
३६	गनेश पुत्र चनक	..	१५	५	"
३७	हीरा पुत्र खेलावन	..	५	१५	"
३८	पदारथ पुत्र जगलाल	..	१	१०	१६-३-५६
३९	झपसी पुत्र टिसरी	..	३	..	७-२-५६
४०	राम प्रसाद पुत्र खिलाड़ी	..	६	..	"
४१	अधार पुत्र बेचन	..	३	..	"
४२	बलराज सिंह पुत्र रामलखन	..	२	११	"
४३	मोती पुत्र खेलावन	..	३	१०	"
४४	सुभग्गा पुत्र सोमई	..	१	१०	"
४५	राजाराम सिंह पुत्र रामवरन	..	..	१०	१६-३-५६
४६	रामचरण पुत्र तपसी	..	३	१०	७-२-५६
४७	कुबेर पुत्र जगन्नाथ	..	४	..	१६-३-५६
४८	मुनेसर पुत्र कुमार	..	८	..	७-२-५६
४९	राजदेव सिंह तबक्कल	..	४	..	"
५०	भगौती ..	..	२	५	"
५१	सकलू सिंह	..	३	१५	१६-३-५६

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७ पर)

सरकार द्वारा इलाहाबाद म्युनिसिपिल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट को गत ४ वर्षों में दिये गये कर्ज संबंधी विवरण ।

जिला बोर्ड, इलाहाबाद

वित्तीय वर्ष	ऋण की धनराशि रुपया	प्रयोजन
१—१९५१-५२ ..	७२,०००	अध्यापकों को संशोधित वेतन देने के लिये ।
२—१९५२-५३ ..	१,००,०००	अध्यापकों को संशोधित वेतन देने के लिये ।

म्युनिसिपल बोर्ड, इलाहाबाद

१—१९५३-५४ ..	७०,०००	मेहतरों के गृह निर्माण के लिये ।
२— ,, ..	७,५०,०००	बैराहना टैगोर टाउन ड्रैनेज योजना ।
३—१९५४-५५ ..	२,५०,०००	ड्रैनेज योजना ।
४— ,, ..	४,००,०००	जल-कल योजना (water supply scheme) ।
५— ,, ..	३०,०००	ट्रक खरीदने के लिये ।
६—१९५५-५६ ..	३,००,०००	जल-कल योजना ।
७— ,, ..	५३,८००	कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मकान बनाने के लिये ।
८— ,, ..	४,००,०००	जल-विद्युत योजना ।
९— ,, ..	५,७४,०००	ड्रैनेज योजना ।

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, इलाहाबाद

१—१९५४-५५ ..	२,०६,०००	चर्च लेन स्कीम के विकास के लिये ।
२—१९५५-५६ ..	५,००,०००	निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये ट्रस्ट द्वारा मकान बनवाने के लिये जिसमें से नवम्बर १९५५, में १,००,००० रुपये की पहली किश्त दी गई ।
३— ,, ..	१०,००,०००	निम्न आय वर्ग के लोगों के गृह निर्माणार्थ वितरण तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नगर के विभिन्न भागों में गृह निर्माण हेतु, जिसमें से फरवरी सन् १९५६, में २,००,००० रुपये की पहली किश्त दी गई मार्च १९५६, में ५,००,००० की एक और किश्त दी गई ।
४— ,, ..	२,००,०००	निम्न आय वर्ग योजना के अन्तर्गत ट्रस्ट द्वारा भूमि के विकास के लिये तथा उक्त योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के हेतु ऋण, जिसमें से ४०,००० रुपये की पहली किश्त जनवरी ५६, में दी गई ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर)

जिला नैनीताल के उन ग्रामों की सूची जहां कि पंचायत निर्वाचन में ग्राम पुलिस भेजी गई

१—	ग्राम सभा	बइलवघौरा	१७—	ग्राम सभा	तल्ली सेठी
२—	,,	डरियागांव	१८—	,,	भवाली गांव
३—	,,	जगलियागांव	१९—	,,	दली
४—	,,	सौराष्ट्र	२०—	,,	सोतला
५—	,,	युमएवारी	२१—	,,	मुतिया
६—	,,	तरतवां	२२—	,,	भरेरला
७—	,,	पुलगांव	२३—	,,	गौल
८—	,,	दंगरेटी	२४—	,,	सूजीगढ़
९—	,,	अमरिया	२५—	,,	मनाघेर
१०—	,,	मल्ला निगलाट	२६—	,,	लल्ला बर्चो
११—	,,	सिमलखा	२७—	,,	माल्ली
१२—	,,	गहना	२८—	,,	जरापुर
१३—	,,	जोस्कुडा	२९—	,,	डाबर
१४—	,,	भवारी गांव	३०—	,,	आटाखस
१५—	,,	अवलिया मेहरागांव	३१—	,,	चापड
१६—	,,	नुनीमगांव	३२—	,,	ओडराकोट

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर)

जिला हमीरपुर को सामूहिक ऋण योजना के अन्तर्गत दिये गये रेडियो सेटों की तहसीलवार सूची

तहसील	संरक्षक का नाम व पता
महोबा	१—श्री बाबूलाल तिवारी
,,	२—श्री वासुदेव चौरसिया, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक ।
,,	३—श्री सीताराम गुप्त, अध्यक्ष विद्यार्थी पुस्तकालय ।
,,	४—श्री शिवचन्द्र चौरसिया, कोआपरेटिव सोसाइटी ।
,,	५—श्री नाथू राम तिवारी ,,
,,	६—श्री बैजनाथ शास्त्री ,,
,,	७—श्री सीतराम पोखाल ,,
,,	८—श्री गोपाल दास वर्मा ,,
,,	९—श्री मेवा लाल चौरसिया
मौदहा	१—श्री रामगोपाल गुप्त, नेशनल पुस्तकालय
,,	२—श्री रामसहाय दूबे, पुस्तकालय
,,	३—श्री नवलकिशोर गुरुदेव
,,	४—श्री रामेश्वरप्रसाद गुरुदेव
,,	५—श्री मन्नी लाल
,,	६—श्री रामभरोसे, प्र० आ० जू० हा०
,,	७—श्री व्यासजी खरे विद्यालय
,,	८—श्री सत्यनारायण
,,	९—श्री छोटेलाल
,,	१०—श्री कामता सिंह
चरखारी	१—श्री ठाकुर प्रसाद अरगरिया
,,	२—श्री बाबूलाल रावत
,,	३—श्री हरिशंकर अवस्थी
हमीरपुर	१—श्री बद्रीप्रसाद
,,	२—श्री देवदत्त त्रिपाठी
,,	३—श्री जंग बहादुर सिंह
,,	४—श्री हीरालाल प्रधान
,,	५—सूचना केन्द्र, हमीरपुर
राठ	१—श्री दयाल पुस्तकालय
,,	२—श्री सिद्ध गोपाल
,,	३—श्री बालकृष्ण
,,	४—श्री प्रधानाचार्य बी० एन० वी० इंटर कालेज ।
,,	५—श्री सुल्तानसिंह, ग्राम पंचायत

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत वितरित रेडियो सेटों की जिलेवार सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	शुष्क बैट्री सेट	बेट बैट्री सेट	बिजली के सेट
१	आगरा ..	४५०	..	४
२	अलीगढ़ ..	२०	..	..
३	इलाहाबाद ..	३९	३७	९
४	अल्मोड़ा ..	५०	..	१
५	आजमगढ़ ..	६८	..	..
६	बहराइच ..	९८	२	..
७	बलिया ..	१००	१	..
८	बनारस ..	६७	१	२
९	बांदा ..	६३	..	..
१०	बाराबंकी ..	..	२६	..
११	बरेली ..	७२	१	५
१२	बस्ती ..	३१	२	१
१३	बिजनौर ..	..	..	..
१४	बदायूं ..	३१	..	१
१५	बुलन्दशहर ..	५८४	..	१
१६	देहरादून ..	१८	..	१
१७	देवरिया ..	२	..	..
१८	एटा ..	५०	१	..
१९	इटावा ..	२४	..	२
२०	फैजाबाद ..	७९	२	३
२१	फरुखाबाद ..	४०	१	..
२२	फतेहपुर ..	२८	..	..
२३	गढ़वाल ..	१	..	..
२४	गाजीपुर ..	२८४	..	..
२५	गोंडा ..	४३	..	१
२६	गोरखपुर ..	४०	*२	*८ सेट वापस आ गये हैं
२७	हमीरपुर ..	२२	*२	..
२८	हरदोई ..	२४	१२	..
२९	जालौन ..	१६४	..	..
३०	जौनपुर ..	६५	..	१
३१	झांसी ..	२१	..	२
३२	कानपुर ..	२५	२	७
३३	खेरी ..	२१	१	१
३४	लखनऊ ..	..	४०	१६
३५	मैनपुरी ..	८	..	..
३६	मेरठ ..	५२	१	३
३७	मिर्जापुर ..	२६	..	१
३८	मुरादाबाद ..	३०५	..	..
३९	मुजफ्फरनगर ..	४५	१	..

अपर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	जिले का नाम		शुष्क बैट्री सेट	वेट बैट्री सेट	बिजली के सेट
४०	मथुरा	..	२५	..	..
४१	नैनीताल	..	५८	१	७
४२	पीलीभीत	..	५४	..	..
४३	प्रतापगढ़	..	२१	३	..
४४	रायबरेली	..	..	२०	..
४५	रामपुर	..	६९	१	१
४६	शाहजहांपुर	..	१५	..	..
४७	सहारनपुर	..	५०	२	..
४८	सीतापुर	..	४१	..	१
४९	सुल्तानपुर	..	६५	२	..
५०	टेहरीगढ़वाल	..	..	..	..
५१	उन्नाव	..	२५	३	१
	योग	..	३,२८२	१६७	७२

रेडियो सेटों की कुल संख्या ३,५२१

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—५६ एल० ए०—१९५६—७९६ ।